VISION IAS

INSPIRING INNOVATION

राजव्यवस्था

Classroom Study Material

(May 2018 to February 2019)

www.visionias.in

+91 8468022022

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW

विषय सूची

1. संवैधानिक मुद्दे 4

1.1 आधार संवैधानिक रूप से मान्य 4

1.2 भारत में अल्पसंख्यकों का निर्धारण 6

1.3. दोहरा जोखिम 8

1.4. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 8

1.5. समवर्ती सूची 9

1.6. लाभ का पद 11

1.7. विशेषाधिकारों का उल्लंघन 13

1.8. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक 14

1.9. राज्यपाल 15

1.9.1. राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां 15

1.9.2. त्रिशंकु विधानसभा में राज्यपाल की भूमिका 15

1.10. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) 17

1.11. भारत में खेल संबंधी सट्टेबाजी की वैधता 18

1.12. राजभाषा विभाग 19

2. संसद / राज्य विधायिका/स्थानीय सरकार के कार्यों से संबंधित प्रावधान 21

2.1. राज्यसभा 21

2.2. राज्य सभा के उपसभापति 22

2.3. लोक सभा 22

2.3.1. आचार समिति 22

2.3.2. लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव 23

2.4. राज्य विधानमंडल 23

2.4.1. राज्य विधान परिषद् का गठन 23

2.4.2. विधान सभाओं की क्षमता 24

2.5 स्थानीय शासन 25

2.5.1 स्थानीय निकायों के चुनावों हेतु शैक्षणिक मानदंड 25

2.5.2 सबकी योजना, सबका विकास 25

3. केंद्र-राज्य संबंध 27

3.1. 15वां वित्त आयोग 27

3.2. क्षेत्रीय परिषदें 28

3.3. पूर्वोत्तर परिषद 29

3.4. अंतर्राज्यीय परिषद 29

3.5 . नीति आयोग 30

3.6. दिल्ली को राज्य का दर्जा 31

3.7 कावेरी जल प्रबंधन योजना, 2018 32

3.8. अनुच्छेद 35A 33

VISION IAS

3.9. राज्य ध्वज 34

4. न्यायपालिका 36

4.1. उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम 36
4.2. भारत का मुख्य न्यायाधीश 36
4.3 अधीनस्थ न्यायालय 37
4.4. आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना हेतु पृथक उच्च न्यायालयों का गठन 38
4.5. वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था 39
4.6. न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की समीक्षा 40

5 निर्वाचन 41

5.1 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 41
5.2. परिसीमन आयोग 42
5.3 इलेक्ट्रॉनिक रूप से सम्प्रेषित डाक मतदान प्रणाली (ETBPS) 43
5.4. उपर्युक्त में से कोई भी नहीं (नोटा) 44
5.5. दो निर्वाचन क्षेत्र नियम 44
5.6. व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी (SVEEP) 45
5.7. सुर्खियों में रही RPA, 1951 की धाराएं 45

6. प्रमुख संवैधानिक संशोधन (विधेयक एवं अधिनियम) 47

6.1. 123 वां संविधान संशोधन विधेयक 47
6.2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण 48
6.3 प्रोन्नति में आरक्षण 48
6.4. उत्तर-पूर्व हेतु स्वशासी परिषद 49

7. महत्वपूर्ण विधान / विधेयक 51

7.1. नागरिकता संशोधन विधेयक - 2016 51
7.2. शत्रु संपत्ति अधिनियम 52
7.3. बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम 53
7.4. भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक (FEOB), 2018 53
7.5. भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018 54

8. सुर्ख़ियों में महत्वपूर्ण संवैधानिक / सांविधिक / कार्यकारी निकाय 56

8.1. संघ लोक सेवा आयोग 56
8.2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 56
8.3. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) 57
8.4. केंद्रीय सूचना आयोग 58
8.5. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 58
8.6. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 59

9. शासन के महत्वपूर्ण पहलू 60

VISION IAS

9.1. सुर्खियों में रहीं सूचना का अधिकार अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएं 60
9.2 केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 60
9.3. दोषपूर्ण अभियोजन (न्याय का कुप्रबंधन) 61
9.4. गवाह संरक्षण योजना 62

10. विविध 63

10.1. युवा सहकार-उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना 63
10.2 इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज 64
10.3. सिटी डेटा इनिशिएटिव 64
10.4.मिशन सत्यनिष्ठा 65
10.5. सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग 65
10.6. केप टाउन कन्वेंशन बिल, 2018 का प्रारूप 65
10.7. पत्थलगड़ी आंदोलन 66
10.8 संयुक्त राष्ट्र वैश्विक मीडिया कॉम्पैक्ट 66
10.9. "बियॉन्ड फेक न्यूज़" परियोजना 66
10.10. वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 67
10.11. सुर्ख़ियों में रही ई-शासन संबंधी पहलें 67
10.12. रिपोर्ट्स और सूचकांक 69
10.13. पुरस्कार 71

1. संवैधानिक मुद्दे

(Issues Related to Constitution)

1.1 आधार संवैधानिक रूप से मान्य

(Aadhaar Constitutionally Valid)

सुर्ख़ियों में क्यों?

26 सितंबर, 2018 को, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा 4:1 बहुमत से कुछ प्रशर्तों के साथ आधार (Aadhaar) की वैधता को बनाए रखा गया है।

आधार क्या है?

- यह 12 अंकों की बायोमीट्रिक-आधारित व्यक्तिगत पहचान संख्या है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। UIDAI की स्थापना **आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम,** 2016 के अंतर्गत की गयी है, जो निम्नलिखित प्रमुख कार्यों को संपादित करता है:
    - नामांकन के दौरान एकत्र की जाने वाली जनसांख्यिकीय और बॉयोमीट्रिक सूचना को निर्दिष्ट करना;
    - व्यक्तियों को आधार संख्या प्रदान करना;
    - आधार संख्या को प्रमाणित करना; और
    - सब्सिडी और सेवाओं के वितरण के लिए आधार संख्या के उपयोग को निर्दिष्ट करना।
- यह पहचान एवं निवास-स्थान के प्रमाण के साथ-साथ भारत के निवासियों के लिए वित्तीय पते का प्रमाण भी है।
- कोई भी निवासी आधार प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
- आधार डेटाबेस में नामांकन के लिए संगृहीत जानकारी:
    - **जनसांख्यिकीय जानकारी,** जैसे- नाम, जन्म-तिथि, लिंग, पता, माता-पिता/अभिभावक का विवरण, संपर्क के लिए फोन, ई-मेल आदि का विवरण।
    - **आवश्यक बॉयोमीट्रिक जानकारी:** फोटो, 10 फिंगर प्रिंट, आइरिस।
- आधार संख्या, जनसांख्यिकीय और बॉयोमीट्रिक जानकारी (जिसे **पहचान जानकारी** कहा जाता है) को केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 द्वारा यथा अधिदेशित तरीके से एक साथ संगृहीत किया जाता है।
- देश भर में 'आधार' पर होने वाला व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है।

आधार:

जहां आवश्यक है:

- कल्याणकारी योजनाएं (PDS, LPG, मनरेगा इत्यादि)
- आयकर रिटर्न
- पैन कार्ड से लिंक करना

आवश्यक नहीं है:

- बैंक खाते
- सिम कार्ड
- निजी कंपनियों
- स्कूल में प्रवेश
- NEET, UGC, CBSE

PT 365 - राजव्यवस्था

VISION IAS

इस निर्णय के प्रमुख बिंदु:

- **आधार की संवैधानिकता:**आधार अधिनियम द्वारा समर्थित आधार योजना निजता से संबंधित **पुट्टास्वामी वाद** के निर्णय में निर्धारित ट्रिपल टेस्ट के अनुरूप है, जो अनुच्छेद 21 के तहत निजता के उल्लंघन की तर्कसंगतता का निर्धारण करता है।
    - **विधि की विद्यमानता (Existence of a law)**: संविधि अर्थात आधार अधिनियम, 2016 द्वारा समर्थित।
    - एक वैध राज्य हित **(A legitimate state interest)** - पात्र एवं निर्धन वर्ग तक सामाजिक लाभ योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करना।
    - **आनुपातिकता की जांच (Test of proportionality)** - आधार के संतुलित लाभ और निजता के मौलिक अधिकार संबंधी संभावित खतरे।
- **राज्य द्वारा निगरानी किए जाने संबंधी भय की समाप्ति:** आधार अधिनियम के प्रावधान "निगरानी करने वाले राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त नहीं करते हैं"।
    - आधार के अंतर्गत आईरिस और फिंगरप्रिंट के रूप में न्यूनतम बॉयोमीट्रिक डेटा एकत्र किया जाता है तथा UIDAI (जिसके द्वारा आधार के नामांकन सम्बन्धी कार्यों की निगरानी की जाती है) प्रयोजनपूर्ण, अवस्थिति या लेन-देनों के विवरण संबंधी आंकड़े एकत्र नहीं करता है।
    - नॉन ट्रैकिंग सुनिश्चित करने हेतु, न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रमाणीकरण रिकाड्र्स को प्रमाणीकरण विनियमों के मौजूदा विनियम 27 (1) के तहत निर्धारित पांच वर्षों के स्थान पर छह माह पश्चात ही हटा दिया जाना चाहिए।
- **बॉयोमीट्रिक डेटा की सुरक्षा:** UIDAI द्वारा बॉयोमीट्रिक आधारित प्रमाणीकरण संबंधी लेन-देनों के संचालन हेतु केवल पंजीकृत उपकरणों के उपयोग को ही अधिकृत किया गया है।
    - होस्ट एप्लिकेशन और UIDAI के मध्य एक **एन्क्रिप्टेड, एकदिशीय संबंध** है। यह संग्रहीत बॉयोमीट्रिक डेटा के उपयोग या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त बॉयोमीट्रिक्स डेटा के पुन:प्रदर्शन की किसी भी संभावना को समाप्त करता है।
    - इसके अतिरिक्त, विनियमों के अनुसार, प्रमाणीकरण एजेंसियों को आधार प्रमाणीकरण के लिए प्राप्त बॉयोमीट्रिक्स डेटा को संग्रहित करने की अनुमति नहीं है।
- **वित्तीय लेन-देन के साथ आधार को जोड़ना:** धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) अधिनियम, 2005 के नियम 9 में 2017 में संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा बैंक खातों एवं म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, बीमा पॉलिसी जैसे अन्य सभी वित्तीय उपकरणों को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने संबंधी प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया गया। **चूंकि संशोधन के अंतर्गत ट्रिपल टेस्ट में आनुपातिक जांच का प्रावधान नहीं किया गया है,** इस प्रकार यह व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसमें बैंकों से संबंधित विवरण भी शामिल हैं।
    - **धन विधेयक के रूप में आधार अधिनियम:** अधिनियम का मुख्य प्रावधान धारा 7 है। उच्चतम न्यायालय ने धन विधेयक के रूप में पारित आधार अधिनियम की वैधता को बनाए रखा है।
- आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत सब्सिडी, लाभ या सेवा इत्यादि प्राप्त करने हेतु आधार आधारित प्रमाणीकरण का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि इस प्रकार की सब्सिडी, लाभ या सेवा के संबंध में किए गए व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।
- इस प्रकार के मुद्दे पर न्यायालय द्वारा धारा 59 की वैधता को बनाए रखा गया है, जो आधार अधिनियम, 2016 के अधिनियमित होने से पूर्व किए गए सभी आधार नामांकन को भी वैधता प्रदान करती है। न्यायालय द्वारा कहा गया है कि चूंकि नामांकन की प्रकृति स्वैच्छिक थी, इसलिए जो लोग विशेष रूप से स्वीकृति प्रदान करने से मना करते हैं, उन्हें आधार योजना से बाहर निकलने की अनुमति प्राप्त होगी।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित की गयी धाराएँ

धारा	न्यायालय का अवलोकन और निर्देश
धारा 33 (1) और धारा 33 (2)	• भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत यथा प्रतिष्ठापित स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से प्रदत्त संरक्षण का उल्लंघन करती थी। • उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं देती थी जिसकी जानकारी को UIDAI द्वारा न्यायालय के आदेश

VISIONIAS

	के अनुपालन में जारी करने की अपेक्षा की जाती थी। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
धारा 47	• यदि इस अधिनियम के तहत किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तो ऐसी स्थिति में यह उस व्यक्ति को आपराधिक प्रक्रिया प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं प्रदान करती थी। केवल UIDAI को यह अनुमति दी गई थी। • यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके डेटा से छेड़छाड़ की गई है तो अब उसे मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति होगी।
धारा 48	• 'सार्वजनिक आपात' की किसी स्थिति में UIDAI के ऊपर केंद्र सरकार के अधिकार की अनुमति दी गयी थी। • 'सार्वजनिक आपात' के संबंध में एक समग्र परिभाषा के अभाव में इसे अस्पष्ट और मनमाना घोषित किया गया।
धारा 57	• यह धारा आधार प्लेटफॉर्म का सभी उपयोगकर्ताओं तक अप्रतिबंधित विस्तार करने की अनुमति प्रदान करती थी। ये उपयोगकर्ता सरकारी एजेंसियां या निजी क्षेत्र के ऑपरेटर हो सकते थे। • पुनः यह धारा इस अधिनियम को बहुत व्यापक दायरा प्रदान करती थी, जिसके कारण कानूनी तौर पर इसे धन विधेयक नहीं समझा जा सकता था। • इसने सेवा प्रदाताओं के लिए आधार नंबर की सीडिंग को सक्षम बनाया और इस तरह से इसने एक निगरानी राज्य (surveillance state) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। किसी कानून के बजाय केवल एक अनुबंध के आधार पर कॉर्पोरेट निकायों और व्यक्तियों द्वारा भी आधार प्रमाणीकरण की मांग की अनुमति प्रदान करना, वस्तुतः एक व्यक्ति के निजता के अधिकार के विरुद्ध है।
आधार विनियमन	• विनियमन 26 (c) UIDAI को विभिन्न लेन-देनों से संबंद्ध मेटाडेटा को स्टोर करने की अनुमति प्रदान करता था। इसके वर्तमान स्वरूप में इसे निरस्त कर दिया गया है। • विनियमन 27 लेनदेन से संबद्ध डेटा को पांच वर्षों के लिए आर्काइव (archive) में रखने की अनुमति प्रदान करता था। इसे निरस्त कर दिया गया है। • ट्रैकिंग न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रमाणीकरण लॉग को पूर्व के पांच वर्ष के प्रावधान के बजाय, छह माह पश्चात् हटा दिया जाना चाहिए।

1.2 भारत में अल्पसंख्यकों का निर्धारण

(Defining Minorities in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित करने और राज्यवार उनकी पहचान करने के सन्दर्भ में निर्णय लेने के लिए कहा है।

अन्य सम्बन्धित तथ्य

- इस जनहित याचिका में लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की गई है।
- इस याचिका के तहत उच्चतम न्यायालय से निम्नलिखित राहत अपेक्षित है:
  - यह घोषित करना कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) अधिनियम 1992 की धारा 2 (c) तथा 5 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाली NCM अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21, 29 और 30 के अनुसार शून्य है;
  - सरकार को "अल्पसंख्यकों" को परिभाषित करने के लिए निर्देशित करे जिसमें निर्धारक इकाई राज्य को माना जाए।

VISION IAS

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) के बारे में

- इसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत की गई थी।
- यह **सिविल न्यायालय की शक्तियों के साथ एक अर्द्ध -न्यायिक निकाय** है।
- इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है; साथ ही सभी सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से होते हैं।
- इसके अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से **तीन वर्ष के लिए** पद धारण करते हैं।
- केंद्र सरकार इसकी रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है।

कार्य

- संघ और राज्यों के तहत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन;
- संविधान और संसद एवं राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित कानूनों में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के कार्यपद्धति की निगरानी करना;
- केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुशंसा करना;
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचनाओं की विशिष्ट शिकायतों पर ध्यान देते हुए ऐसे मामलों को सक्षम प्राधिकरणों के समक्ष उठाना ;
- अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी भी भेदभाव के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करना और उनके निवारण हेतु उपायों की सिफारिश करना;
- अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना;
- केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के अंतर्गत किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में उचित उपाय सुझाना;
- अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी भी मामले पर और उनके द्वारा सामना की जाने वाली विशेष कठिनाइयों पर केंद्र सरकार को समय-समय पर या विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करना; तथा
- कोई अन्य मामला, जो केंद्र सरकार द्वारा NMC को संदर्भित किया जा सकता है।

भारत में अल्पसंख्यक समुदाय

- भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों जैसे **अनुच्छेद 29,30,350A और 350 B** में 'अल्पसंख्यक' शब्द का प्रयोग किया गया है।
- अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित अन्य संवैधानिक प्रावधान हैं: **अनुच्छेद 46, 51 A, 25-28**.
- यह धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान करता है।
- लेकिन यह **न तो 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित करता है और न ही अल्पसंख्यकों के निर्धारण सम्बन्धी मानदंड को रेखांकित करता है।**
- **NCM अधिनियम 1992 की धारा 2 (c) के अनुसार**, 'अल्पसंख्यक' से अभिप्राय इस सन्दर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय से है।
- छह धार्मिक समुदायों, अर्थात; मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जोरोस्ट्रियन (पारसी) और जैन को केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- ये अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदाय देश की लगभग 19% आबादी का गठन करते हैं।
- **राज्य सरकारों को राज्य में अल्पसंख्यकों को नामित करने और राज्य अल्पसंख्यक आयोगों को स्थापित करने का भी अधिकार है।** उदाहरण के लिए 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होने से पहले जैन समुदाय को 11 राज्यों द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया था।

VISION IAS

- **उच्चतम न्यायालय के निर्णय: उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के प्रयास किए है:**
  - ***केरल शिक्षा विधेयक वाद 1958*** : इसमें न्यायालय द्वारा कहा गया कि अल्पसंख्यक ऐसे लोगों का समुदाय होना चाहिए जो 'राज्य में संख्यात्मक रूप से समग्र स्तर पर अल्पसंख्यक हो', न कि किसी विशेष क्षेत्र या स्थान के आधार पर।
  - **बाल पाटिल और अन्य बनाम भारत संघ, 1999 और TMA Pai फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002:** यह कहा गया कि राज्य विधि के संबंध में, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण करने की इकाई राज्य होना चाहिए।

1.3. दोहरा जोखिम

(Double Jeopardy)

सुर्खियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय सुनाया कि यदि किसी आपराधिक कृत्य के आरोपी अभियुक्त को (यहाँ तक कि मुकदमा आरंभ होने से पूर्व ही) अभियोजन के लिए अविधिमान्य प्रमाण के आधार पर मुक्त कर दिया जा चुका है, तो भी ऐसा मामला दोहरे जोखिम/दोहरे संकट पर प्रतिबंध आरोपित नहीं करता है।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को चाहे वह व्यक्ति नागरिक हो या विदेशी अथवा विधिक व्यक्ति (जैसे- कंपनी या निगम), उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण का प्रावधान करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 20 (2), यह अधिदेशित करता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं जाएगा। इसे दोहरा जोखिम अथवा दोहरा संकट **नहीं** (No double jeopardy) के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- दोहरे जोखिम के विरुद्ध संरक्षण केवल न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकरण के समक्ष सुनवाई के मामले में ही उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में, यह विभागीय या प्रशासनिक प्राधिकारियों के समक्ष सुनवाई के मामले में उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये न्यायिक प्रकृति के नहीं होते हैं।

1.4. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम

(National Security Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गौ हत्या के अपराधी तीन व्यक्तियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) आरोपित किया गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 से संबंधित तथ्य

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 23 सितंबर, 1980 को लागू किया गया था; इसका उद्देश्य "कुछ विशिष्ट मामलों तथा उनसे संबंधित मुद्दों में **निवारक निरोध को आरोपित करना** है।"
- **किसी व्यक्ति के निवारक निरोध के लिए निम्नलिखित आधार शामिल हैं:**
  - भारत के विदेशी सरकारों से संबंधों पर या भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने के आधार पर।
  - भारत में किसी भी विदेशी की निरंतर उपस्थिति को विनियमित करने या भारत से उसके निष्कासन की व्यवस्था के लिए।
  - व्यक्ति द्वारा राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने अथवा समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों एवं सेवाओं को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने के आधार पर।
- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी जांच के **तीन माह** तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में **छह माह** तक बंदी के रूप में रखा जा सकता है।
- **तीन व्यक्तियों वाले एक सलाहकार बोर्ड** का गठन किया गया है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। यह बोर्ड तीन माह से अधिक समय के लिए निर्दिष्ट किसी भी

VISION IAS

आदेश की वैधता को निर्धारित करता है। यदि यह बोर्ड अनुमोदन प्रदान कर दे तो व्यक्ति को **12 महीने तक** की न्यायेतर हिरासत में रखा जा सकता है। यदि सरकार को मामले से संबंधित नए साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो इस अवधि में वृद्धि की जा सकती है।

- NSA के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में राज्य सरकार को सूचना देना आवश्यक है।
- **यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत के राज्यक्षेत्र में विस्तारित है।**

संविधान में निवारक निरोध के विरुद्ध संरक्षण:

- **अनुच्छेद 22** उन व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है, जिन्हें निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया हो।
- यह संरक्षण नागरिक के साथ-साथ विदेशी व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **जब तक कि सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट में इस हेतु यथेष्ट कारण प्रस्तुत न कर दिया जाए, किसी व्यक्ति की निरोध (हिरासत) अवधि में तीन माह से अधिक की वृद्धि नहीं की जा सकती।** सलाकार बोर्ड उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है।
  - निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आधार पर संसूचित किया जाना चाहिए। हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध माने जाने वाले तथ्यों को उजागर किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है।
  - निरुद्ध व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करे।
- अनुच्छेद 22 में यह भी उल्लेख है कि- संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि:
  - किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग अथवा वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन तीन माह से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किये बिना निरुद्ध किया जा सकेगा।
  - निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति को किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में **अधिकतम कितनी अवधि** के लिए निरुद्ध किया जा सकेगा।
  - जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।
- **संसद के पास रक्षा, विदेशी मामलों एवं भारत की सुरक्षा से जुड़े कारणों हेतु निवारक निरोध के लिए विधि बनाने का अनन्य प्राधिकार है।**
- संसद एवं राज्यों के विधान-मंडल, दोनों सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, राज्य की सुरक्षा तथा समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निवारक निरोध के संबंध में एक-साथ विधि बना सकते हैं।
- **स्वातंत्र्योत्तर कानून-**
  - निवारक निरोध अधिनियम (1950-1969)
  - गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (1967)
  - आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम- MISA (1971- 1978)
  - विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (COFEPOSA)
  - राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (1980) - 1984, 1985 और 1988 में संशोधित

1.5. समवर्ती सूची

(Concurrent List)

सुर्ख़ियों में क्यों?

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने **राज्यों के लिए और अधिक स्वायत्तता** की मांग करते हुए समवर्ती सूची को पूर्णत: समाप्त (उत्सादित) करने का सुझाव दिया है।

समवर्ती सूची की आवश्यकता क्यों?

- समवर्ती सूची का उद्देश्य संपूर्ण देश में **समरूपता को सुनिश्चित** करना है, ताकि केंद्र एवं राज्य स्वतंत्र रूप से विधान का निर्माण कर सकें। इसलिए संविधान में राज्यों हेतु पर्याप्त लचीलेपन के साथ एक मॉडल कानून को सम्मिलित किया गया।

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची के कुछ विषयों हेतु **वृहद मात्रा में वित्त-पोषण** की आवश्यकता होती है, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा योगदान किया जाता है।

समवर्ती सूची पर सरकारिया आयोग की अनुशंसाएं

- कराधान की अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास ही बनी रहनी चाहिए, जबकि अन्य अवशिष्ट शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए।
- केंद्र को समवर्ती सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण करने से पूर्व राज्यों से परामर्श करना चाहिए।
- सामान्यतः संघ को समवर्ती सूची के किसी विषय के केवल उतने ही कार्य क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करना चाहिए, जो देश के व्यापक हित हेतु नीति एवं कार्रवाई की समरूपता के लिए आवश्यक हो, शेष कार्य क्षेत्र एवं विवरण को राज्य हेतु छोड़ देना चाहिए।
- केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु तमिलनाडु सरकार द्वारा **पी. वी. राजमन्नार समिति** का गठन किया गया। इस समिति ने 42वें संशोधन अधिनियम और पूर्व में (ऐतिहासिक रूप से) राज्य सूची के तहत शामिल विषयों पर केंद्र द्वारा अतिक्रमण के कारण उत्पन्न नए शक्ति-संबंध का विरोध करने हेतु अन्य राज्यों को प्रेरित किया।

सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246)

भारतीय संविधान केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन को सातवीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित 'तीन सूचियों' के माध्यम से निर्धारित करता है:

- **संघ सूची** में उन विषयों का उल्लेख किया गया है, जिन पर संसद विधि का निर्माण कर सकती है, जैसे- रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि।
- **राज्य सूची** में उन विषयों का उल्लेख किया गया है, जो राज्य विधान-मण्डलों के दायरे में आते हैं, जैसे- लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, सट्टेबाजी तथा जुआ आदि।
- **समवर्ती सूची** में उन विषयों का विवरण दिया गया है, जिन पर संसद और राज्य विधान-मण्डल दोनों कानून बना सकते हैं। उदाहरणार्थ: शिक्षा जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय हैं, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, दण्ड विधि (आपराधिक कानून), पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, वन्य जीव जन्तुओं और पक्षियों का संरक्षण, वन आदि।
- समवर्ती सूची विषयक प्रावधानों को आस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है।
- संविधान **समवर्ती सूची के विषयों पर संसद की संघीय सर्वोच्चता का** भी प्रावधान करता है, अर्थात् समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में किसी भी प्रकार के संघर्ष की स्थिति में संघ को यह शक्ति है कि वह राज्य विधि को निरस्त कर दे या या उसके स्थान पर दूसरी विधि प्रतिस्थापित कर दे।
    - परंतु, इस संबंध में एक अपवाद है। यदि किसी राज्य की विधि को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया गया है तथा उक्त विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे में उस राज्य की वह विधि उक्त राज्य में विधिमान्य होगी। लेकिन, ऐसा होने के बावजूद संसद के पास यह अधिकार है कि उक्त मामले से संबद्ध किसी दूसरी विधि को निर्मित कर वह राज्य की उस विधि को निरस्त कर दे।
- वर्ष 1950 से लेकर अब तक सातवीं अनुसूची में कई संशोधन किए जा चुके हैं। इसका प्रभाव यह हुआ है कि जहाँ संघ सूची एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत समाविष्ट विषयों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं राज्य सूची के विषयों में निरंतर कमी हुई है।
- वर्ष 1976 में अधिनियमित 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से सातवीं अनुसूची को पुनर्संरचित किया गया। इस संशोधन अधिनियम के उपरांत शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन तथा भार एवं माप जैसे राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।

VISION IAS

1.6. लाभ का पद

(Office of Profit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लाभ का पद धारण करने के कारण राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली विधानसभा के 27 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया।

लाभ का पद क्या है?

- **अनुच्छेद 102(1)(a) एवं 191(1)(a)** में लाभ के पद के आधार पर निरर्हताओं का उल्लेख है, किंतु लाभ के पद को न तो संविधान में परिभाषित किया गया है और न ही जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में।
- परंतु इसे **न तो संविधान में और न ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।**
- ***प्रद्युत बारदोलाई बनाम स्वप्न रॉय वाद* (2001) में उच्चतम न्यायालय ने** लाभ के पद की जांच के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को रेखांकित किया:
    - क्या वह नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है;
    - क्या पदस्थ व्यक्ति को हटाने अथवा बर्खास्त करने का अधिकार सरकार के पास है;
    - क्या सरकार किसी पारिश्रमिक का भुगतान कर रही है;
    - पदस्थ व्यक्ति के कार्य क्या हैं एवं क्या वह ये कार्य सरकार के लिए कर रहा है; तथा
    - क्या किए जा रहे इन कार्यों के निष्पादन पर सरकार का कोई नियंत्रण है।
- कालांतर में, ***जया बच्चन बनाम भारत संघ वाद*** में उच्चतम न्यायालय ने इसे अग्रलिखित प्रकार से परिभाषित किया- "ऐसा पद जो किसी लाभ अथवा मौद्रिक अनुलाभ को प्रदान करने में सक्षम हो।" इस प्रकार "लाभ के पद" वाले मामले में लाभ का वास्तव में 'प्राप्त होना' नहीं अपितु लाभ 'प्राप्ति की संभावना' एक निर्णायक कारक है।
- अनुच्छेद 102 और 191 के प्रावधानों में यह उल्लेख है कि संसद/राज्य विधान-मंडल विधि द्वारा यह घोषित कर सकती है कि अमुक सरकारी पद को धारण करने वाला एक सांसद/विधायक निरर्हित नहीं होगा।
    - संसद ने **संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959** को भी अधिनियमित किया है। इसमें कई संशोधन किए जा चुके हैं ताकि लाभ के पद के अंतर्गत छूट-प्राप्त सूची को विस्तारित किया जा सके।
    - ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि कितने पदों को विधि के दायरे से छूट प्रदान की जा सकती है।

लाभ के पदों पर संयुक्त समिति

- इसमें 15 सदस्य होते हैं जो संसद के दोनों सदनों से लिए जाते हैं।
- यह केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त समितियों की संरचना व प्रकृति की जांच करती है तथा अनुशंसा करती है कि किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों को संसद के किसी सदन का सदस्य बनने के लिए अर्ह अथवा अनर्ह माना जाए।

इसने लाभ के पद को निम्न प्रकार परिभाषित किया है:

- यदि पदस्थ व्यक्ति को क्षतिपूर्ति भत्ते के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक, जैसे- उपस्थिति शुल्क, मानदेय, वेतन आदि प्राप्त होता है।
- यदि वह निकाय जिसमें व्यक्ति को पद प्राप्त है;
    - कार्यकारी, विधायी अथवा न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है; अथवा
    - उसे निधियों के वितरण, भूमि के आवंटन, लाइसेंस जारी करने आदि की शक्तियाँ प्राप्त हैं; अथवा
    - वह नियुक्ति, छात्रवृत्ति आदि प्रदान करने की शक्ति रखता है।
- यदि वह निकाय जिसमें व्यक्ति को पद प्राप्त है, संरक्षण के माध्यम से प्रभाव अथवा शक्तियों का प्रयोग करता है।

VISION IAS

- अनुच्छेद 102 (1) के अंतर्गत कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि:
  - **वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है** (राज्य विधान-मंडल द्वारा छूट प्राप्त किसी मंत्री या कार्यालय को छोड़कर);
  - यदि वह **विकृतचित्त** है और किसी सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;
  - यदि वह **अनुन्मोचित दिवालिया** है;
  - यदि वह **भारत का नागरिक नहीं है** या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से आर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है;
  - यदि वह **संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निरर्हित कर दिया जाता है।**
- इसी प्रकार से **अनुच्छेद 191 (1)** राज्य विधान सभाओं एवं विधान परिषदों के सदस्यों को भी निरर्हित करने हेतु प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 192 के अनुसार, यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपर्युक्त वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है तो इस संदर्भ में **राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा।** ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पूर्व राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।
- अनुच्छेद 102 (1) एवं 191 (1) से संबंधित मुद्दों पर **ECI की अनुशंसाएं राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होती हैं।**
- संसद ने **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** में निरर्हता से संबंधित कई अतिरिक्त प्रावधान किए हैं। ये संसद के लिए वर्णित निरर्हता प्रावधानों के समान हैं। इनका वर्णन निम्नलिखित है:
  - सदस्य को चुनावों में चुनावी संबंधी अपराधों या भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं पाया जाना चाहिए।
  - सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए सजा नहीं मिली हो जिसमें उसे दो या अधिक वर्षों के लिए कारावास का दंड दिया गया हो। परंतु, निवारक निरोध से संबंधित विधि के अधीन किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाने पर निरर्हता के उपबंध लागू नहीं होंगे।
  - वह निर्धारित समय के भीतर अपने चुनाव संबंधी व्ययों का लेखा-जोखा जमा करने में विफल नहीं रहा हो।
  - वह किसी सरकारी अनुबंध, कार्य या सेवा में कोई रुचि नहीं रखता हो।
  - उसने किसी ऐसे कॉर्पोरेशन में न तो निदेशक या प्रबंधक एजेंट और न ही लाभ का पद धारण कर रखा हो, जिसमें सरकार की न्यूनतम 25 प्रतिशत अंशधारिता हो।
  - उसे भ्रष्टाचार या राजद्रोह के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया हो।
  - उसे विभिन्न समूहों के मध्य शत्रुता को बढ़ावा देने या रिश्वत लेने के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो।
  - उसे अस्पृश्यता, दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराधों के प्रचार और अभ्यास के लिए दंडित नहीं किया गया हो।

दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता:

- संविधान में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति को राज्य विधान-मंडल {अनुच्छेद 191 (2)} और संसद {अनुच्छेद 102 (2)} का सदस्य बनने से निरर्हित घोषित किया जाएगा, यदि उसे दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हित किया जाए।
- दसवीं अनुसूची के तहत निरर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्धारण सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा के मामले में अध्यक्ष तथा राज्य सभा के मामले में सभापति) द्वारा किया जाता है।
- वर्ष 1992 में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दसवीं अनुसूची के तहत निरर्हता के संबंध में सभापति/अध्यक्ष द्वारा दिया निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।

VISION IAS

1.7. विशेषाधिकारों का उल्लंघन

(Breach of Privilege)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, राफेल लड़ाकू जेट विमान सौदे के संबंध में संसद को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
- इसके साथ ही संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष पर भी समिति के विचार-विमर्श के संबंध में ट्वीट करने के लिए "वित्त समिति की गरिमा और नैतिकता को क्षति पहुँचाने" तथा 'विशेषाधिकार के उल्लंघन' का आरोप लगाया गया था।

विशेषाधिकारों की अवधारणा और विशेषाधिकारों के प्रकार

- विशेषाधिकारों की अवधारणा का **उद्भव ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स** में हुआ था। इसका उद्देश्य नव गठित ब्रिटिश संसद की संप्रभुता को राजतंत्र से सुरक्षित रखना था।
- संविधान द्वारा विधायी संस्थानों और उनके सदस्यों हेतु (**अनुच्छेद 105 के तहत**, संसद, इसके सदस्यों और समितियों के लिए / **अनुच्छेद 194 के तहत** राज्य विधानमंडल, इसके सदस्यों और समितियों के लिए) कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। इनके उद्देश्य हैं:
  - सदन में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और सदनों में किए गए व्यवहार के संबंध में न्यायिक मुकदमेबाजी से सुरक्षा।
  - भाषण, मुद्रण या प्रकाशन के माध्यम से किसी भी अपमान के विरुद्ध रक्षा।
  - यह सुनिश्चित करना कि उनका कार्य संचालन अनावश्यक प्रभाव, दबाव या जबरदस्ती के बिना हो।
- वर्तमान में **ऐसा कोई कानून प्रचलित नहीं है** जो भारत में विधि-निर्माताओं **के सभी विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करता हो**।
- वस्तुतः विशेषाधिकार पांच स्रोतों पर आधारित हैं:
  (i) संवैधानिक प्रावधान (ii) संसद के विभिन्न कानून (iii) दोनों सदनों के नियम (iv) संसदीय परम्पराएं (v) न्यायिक व्याख्याएं
- जब भी इनमें से किसी भी अधिकार और उन्मुक्ति की उपेक्षा की जाती है तो इसे **विशेषाधिकार के उल्लंघन** के रूप में वर्णित किया जाता है जो संसद के कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। हालांकि विशेषाधिकार के उल्लंघन और इसके लिए प्रदत्त दंड के संबंध में कोई वस्तुनिष्ठ दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं।
- संसद की संप्रभुता को सुनिश्चित करना।

विशेषाधिकारों के प्रकार (अनुच्छेद 105)

सामूहिक विशेषाधिकार

- सदन की कार्यवाही से बाहरी व्यक्तियों को अपवर्जित करना। विधायिका की गुप्त बैठक आयोजित करना।
- प्रेस को संसदीय कार्यवाही की सही रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन यह गुप्त बैठकों के मामले में उपलब्ध नहीं है।
- केवल संसद ही अपनी कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकती है।
- सदन की कार्यवाही (भाषण, मतदान इत्यादि) की जांच करने से न्यायालय को प्रतिबंधित किया गया है।

व्यक्तिगत

- सत्र के दौरान तथा सत्र के 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात् तक गिरफ्तारी से सुरक्षा। यह सुरक्षा केवल सिविल मामलों में उपलब्ध है,आपराधिक मामलों में नहीं।
- संसद में दिए गए किसी भी वक्तव्य के लिए न्यायालय की कार्यवाही से उन्मुक्ति।
- सदन के सत्र में होने के दौरान साक्षी के रूप में उपस्थिति से उन्मुक्ति।

VISION IAS

विशेषाधिकार समिति

- संसद / राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में विशेषाधिकार संबंधी **स्थायी समिति** का प्रावधान किया गया है।
- लोकसभा और राज्यसभा की विशेषाधिकार संबंधी स्थायी समिति में क्रमशः 15 और 10 सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें क्रमशः अध्यक्ष और सभापति द्वारा **नामित** किया जाता है।
- इसका कार्य **विशेषाधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करना** और अध्यक्ष/सभापति को उचित कार्रवाई की सिफारिश करना है।

विशेषाधिकार उल्लंघन के उदाहरण

- आपातकाल के दौरान की गयी ज़्यादतियों के आधार पर (न्यायमूर्ति शाह समिति की रिपोर्ट) 1978 में इंदिरा गांधी को विशेषाधिकार के उल्लंघन के आरोप में विशेषाधिकार प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप उन्हें सदन से निष्काषित कर दिया गया था।
- 1976 में संसद की गरिमा को ठेस पहुँचाने के आरोप में सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया था।
- तमिलनाडु विधानसभा द्वारा 2003 में मुख्यमंत्री की आलोचना के आरोप में द हिंदू के पत्रकारों को दंडित किया गया।
- कर्नाटक विधानसभा द्वारा 2017 में पत्रकारों को कारावास देने और उन पर जुर्माना आरोपित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

विशेषाधिकार के उल्लंघन संबंधी मामलों में निम्नलिखित **प्रक्रिया** का अनुपालन किया जाता है:

- संसद के किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन करने वाले/वालों के विरुद्ध एक प्रस्ताव के माध्यम से नोटिस दिया जाता है।
- अध्यक्ष/सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव की प्रथम दृष्टया जांच करते हैं। वे स्वयं निर्णय ले सकते हैं या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकते हैं। ऐसे मामलों में निर्णय विशेषाधिकार समिति द्वारा लिया जाता है (संसद और राज्य विधानमंडल, दोनों में ही)।
- समिति द्वारा एक जांच की जाती है और निष्कर्षों के आधार पर विधायिका को सिफारिश की जाती है।
- सदन में रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है जिसके आधार पर अध्यक्ष विशेषाधिकार समिति द्वारा निर्धारित दंड का आदेश दे सकता है।

1.8. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

(Private Members' Bills)

सुर्खियों में क्यों?

संसद में गैर-सरकारी सदस्यों के द्वारा अनेक विधेयक पुरःस्थापित किए गए।

गैर-सरकारी सदस्य: कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है, उसे गैर-सरकारी सदस्य कहा जाता है। मंत्रियों द्वारा पुरःस्थापित विधेयकों को सरकारी विधेयक के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसे विधेयक सरकार द्वारा समर्थित होते हैं और इसके विधायी एजेंडे को दर्शाते हैं। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक वैसे सांसदों द्वारा पुरःस्थापित किए जाते हैं, जो मंत्री नहीं हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक का सदन में पुरःस्थापन

- गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक की स्वीकार्यता पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है। ऐसे विधेयक के पुरःस्थापन हेतु उसे सूचीबद्ध किए जाने के लिए सदस्य द्वारा कम से कम एक माह पूर्व अवश्य नोटिस दिया जाना चाहिए; सदन का सचिवालय उक्त विधेयक को सूचीबद्ध करने से पूर्व संवैधानिक प्रावधानों और विधान संबंधी नियमों के अनुपालन के संदर्भ में उसकी जांच करता है।
- प्रत्येक सत्र में अधिकतम तीन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पुरःस्थापित किया जा सकता है।
- जहाँ सरकारी विधेयकों को किसी भी दिन प्रस्तुत किया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती हैं, वहीं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को केवल शुक्रवार को पुरःस्थापित किया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है।

VISION IAS

- गैर-सरकारी सदस्यों के किसी विधेयक {उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार विस्तार) विधेयक, 1968} को अंतिम बार दोनों सदनों द्वारा वर्ष 1970 में पारित किया गया था। अब तक गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा पुरःस्थापित कुल चौदह विधेयक (जिनमें से पांच राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए थे) पारित किए जा चुके हैं।
- **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति:** यह समिति गैर-सरकारी सदस्यों (मंत्रियों के अतिरिक्त) के विधेयकों तथा संकल्पों को वर्गीकृत करती है एवं उनपर चर्चा के लिए समय नियत करती है। यह लोकसभा की एक विशेष समिति है। लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य होते हैं। **राज्यसभा में इस प्रकार की कोई समिति नहीं है।** राज्य सभा में यह कार्य सदन के कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किया जाता है।

1.9. राज्यपाल

(Governor)

1.9.1. राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां

(Governor Pardon Power)

सुर्खियों में क्यों?

राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा प्राप्त सात दोषियों को रिहा करने पर राज्यपाल की क्षमादान शक्ति पर प्रश्न उठाया गया।

राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों की तुलना:

राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72)	राज्यपाल (अनुच्छेद 161)
वह केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकता है अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है।	वह राज्य विधि के विरुद्ध किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकता है अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है।
वह मृत्युदंड की सजा को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार, निलंबित अथवा लघुकरण कर सकता है। वह **मृत्युदंड की सजा को क्षमा करने वाला एकमात्र प्राधिकारी है।**	वह मृत्युदंड की सजा को क्षमा **नहीं** कर सकता। यहां तक कि यदि किसी राज्य विधि के तहत मृत्युदंड की सजा दी गयी है तो उस मामले में भी क्षमादान देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, न कि राज्यपाल के पास। किन्तु राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को निलंबित, परिहार अथवा लघुकरण कर सकता है।
वह, सेना न्यायालय (कोर्ट मार्शल) द्वारा दिए गए दंड या दंडादेश के संबंध में क्षमा, प्रविलंबन, विराम, निलंबन, परिहार अथवा लघुकरण कर सकता है।	राज्यपाल के पास इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती है।

1.9.2. त्रिशंकु विधानसभा में राज्यपाल की भूमिका

(Role of Governor in Hung Assembly)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनावों के ठीक बाद राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्न उठाए गए।
- इसके अतिरिक्त, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल ने राज्य विधानसभा (जो निलंबित अवस्था में थी) को भंग कर दिया, जबकि कुछ समय पूर्व ही दो राजनीतिक दलों ने अलग-अलग सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया था।

VISION IAS

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 164 (1)** राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
    - उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 164 (1) में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक अर्हता का उल्लेख नहीं है तथा 164 (2) में उल्लिखित सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रावधान के साथ संयुक्त रूप से इसका निर्वचन करने पर यह तथ्य सामने आता है कि, मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के लिए एकमात्र शर्त यह है कि उसे 'सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए'।
- **अनुच्छेद 172** में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा (यदि इसे समय से पूर्व विघटित नहीं किया गया है तो)।
- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 174 (2) (b)** में यह उल्लेख है कि केवल राज्यपाल ही समय-समय पर विधान सभा को विघटित कर सकता है।
- **अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन):** यदि राष्ट्रपति को, किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गयी है, तो वह उस राज्य सरकार की शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है और वह यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधान-मंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी।
- **जम्मू-कश्मीर संविधान के संबंध में:** यहाँ विधानसभा को विघटित करने के लिए **धारा 92** (संवैधानिक तंत्र की विफलता) और **धारा 52** (विधानसभा के विघटन का प्रावधान) के तहत शक्तियों का प्रयोग किया गया।

उच्चतम न्यायालय और अन्य आयोगों के विचार

उच्चतम न्यायालय के निर्णय:

- **एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ वाद (1994):**
    - **त्रिशंकु विधानसभा** की दशा में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां लागू नहीं होती हैं,
    - सदन में बहुमत सिद्ध करने (फ्लोर टेस्ट) के लिए 48 घंटे का समय (हालांकि इसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है) दिया जाना चाहिए ताकि विधायिका द्वारा इस संदर्भ में निर्णय लिया जा सके तथा राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां केवल एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करें।
- **रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ वाद (2006)**
    - राज्यपाल **चुनाव पश्चात् बनने वाले गठबंधनों** को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक ऐसा तरीका है जिससे एक लोकप्रिय सरकार का गठन हो सकता है।
    - सरकार के गठन के प्रयासों में खरीद-फरोख्त (हॉर्स ट्रेडिंग) अथवा भ्रष्टाचार के अप्रमाणित दावों को विधानसभा को विघटित करने के कारणों के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है।

सरकारिया आयोग

- **जब तक कि संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का अनुमोदन न कर दिया जाए, राज्य विधानसभा का विघटन नहीं किया जाना चाहिए।**
- विधानसभा में सर्वाधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त दल अथवा दलों के गठबंधन को सरकार के गठन हेतु आमंत्रित किया जाना चाहिए।
- यदि कोई चुनाव पूर्व गठबंधन उपस्थित है, तो उसे एक राजनीतिक दल माना जाना चाहिए तथा ऐसे गठबंधन को बहुमत प्राप्त होने की स्थिति में गठबंधन के नेता को सरकार का गठन करने हेतु राज्यपाल द्वारा आमंत्रित किया जाएगा।

VISION IAS

- **यदि किसी भी दल अथवा चुनाव पूर्व के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राज्यपाल को निम्नलिखित वरीयता क्रम के अनुसार मुख्यमंत्री का चयन करना चाहिए:**
    - सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने विभिन्न दलों का चुनाव-पूर्व गठबंधन।
    - निर्दलीय सदस्यों के समर्थन से सरकार गठन करने का दावा प्रस्तुत करने वाले सबसे बड़े एकल दल।
    - सरकार में सम्मिलित होने वाले सभी भागीदार दलों के साथ चुनाव-पश्चात् निर्मित गठबंधन।
    - सरकार में शामिल होने वाले कुछ दलों (और जिन्होंने बाहर से सरकार का समर्थन किया हो) के साथ चुनाव-पश्चात् गठबंधन।

एम. एम. पुंछी आयोग ने इस बात पर बल दिया कि त्रिशंकु विधानसभा के मामले में राज्यपाल को **'संवैधानिक परंपराओं'** का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसने **'स्थानीय आपातकाल'** के प्रावधान का सुझाव प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा केंद्र सरकार **राज्य विधानसभा को विघटित किए बिना** नगर/जिला स्तर पर समस्या का समाधान कर सकती है।

1.10. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)

[National Register of Citizens (NRC)]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, असम द्वारा अद्यतन राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के अंतिम मसौदे को प्रकाशित किया गया है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- प्रथम NRC स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अवैध आप्रवासन के मुद्दे से निपटने हेतु 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। किन्तु वोट बैंक की राजनीति के कारण यह प्रक्रिया अप्रभावी रही।
- असम समझौते के बाद नागरिकता अधिनियम, 1955 को, **1 जनवरी, 1966 से पूर्व बांग्लादेश से आए सभी भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिक का दर्जा देने हेतु, संशोधित किया गया। 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के मध्य भारत आए व्यक्ति को पंजीकरण कराने और 10 वर्षों तक राज्य में निवास करने के पश्चात् नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया इसके अतिरिक्त 25 मार्च, 1971 के बाद प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को निर्वासित करने के प्रावधान किया गए थे।** हालांकि, अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है।
- **2014 में,** सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक निश्चित समय सीमा के भीतर **1951 के NRC को अद्यतन(अपडेट) करने का निर्देश दिया।** वर्तमान प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में संचालित की जा रही है।

असम समझौता, 1985

- यह भारत सरकार के प्रतिनिधियों और असम आंदोलन के नेताओं के मध्य हस्ताक्षरित एक प्रकार का समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ़ सेटलमेंट: MoS) है।
- इसके तहत उन सभी विदेशियों को जिन्होंने 1951 और 1961 के मध्य असम में प्रवेश किया था, मतदान के अधिकार सहित पूर्ण नागरिकता प्रदान की जानी थी;
    - 1971 के पश्चात् प्रवेशित लोगों को निर्वासित किया जाना था,
    - इसके अतिरिक्त, 1961 और 1971 के मध्य प्रवेशित लोगों को दस वर्षों के लिए मतदान के अधिकार से प्रतिबंधित किया जाना था, परंतु उन्हें नागरिकता के अन्य सभी अधिकारों का लाभ दिया जाना था।

VISION IAS

NRC क्या है?

- यह असम के सभी प्रमाणित भारतीय नागरिकों की एक सूची है, असम NRC तैयार करने वाला एकमात्र राज्य है। **अन्य राज्य (यथा- त्रिपुरा) भी NRC की मांग कर रहे हैं।**
- NRC को **नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार** अद्यतन किया जा रहा है
- इसमें, 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि से पूर्व किसी निर्वाचन सूची या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, 1951 में शामिल व्यक्तियों और उनके वंशजों को सम्मिलित किया जायेगा।
- सत्यापन की प्रक्रिया में हाउस-टू-हाउस फील्ड वेरिफिकेशन, दस्तावेजों की प्रामाणिकता का निर्धारण, माता-पिता के फर्जी दावों को रद्द करने हेतु परिवार के वंशावली की जांच और **विवाहित महिलाओं के लिए संबद्ध एवं पृथक सुनवाई** शामिल है।

बहिष्कृत व्यक्तियों के समक्ष विद्यमान विकल्प

- इस प्रकार के आदेश के विरुद्ध ऐसे व्यक्तियों के पास क्रमिक अपील प्रक्रिया संबंधी विकल्प मौजूद हैं: NRC सेवा केंद्र , जिला मजिस्ट्रेट, फॉरनर्स ट्रिब्यूनल, गुवाहाटी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय।

1.11. भारत में खेल संबंधी सट्टेबाजी की वैधता

(Legalising Sports Betting in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत के विधि आयोग ने सरकार को सौंपी गयी अपनी रिपोर्ट में कहा कि चूंकि अवैध सट्टेबाजी एवं जुए को रोकना संभव नहीं है, इसलिए खेल संबंधी सट्टेबाजी को "विनियमित" करना एकमात्र व्यवहार्य विकल्प हो सकता है।

भारत में सट्टेबाजी

- संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची की प्रविष्टि 40 के अनुसार, संसद को 'भारत सरकार के साथ-साथ किसी राज्य की सरकार द्वारा किए जाने वाले लॉटरी के आयोजन के संबंध में विधि निर्मित करने का अधिकार प्राप्त है।'
- **राज्य सूची की प्रविष्टि 34** के अंतर्गत गैंबलिंग (जुआ) के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति राज्य सरकारों को प्रदान की गयी है। अतः, अपने क्षेत्राधिकार में गैंबलिंग को प्रतिबंधित और विनियमित करने सहित इस विषय पर विधि निर्माण की अनन्य शक्ति राज्य सरकारों को प्राप्त है।
- सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867, लॉटरी को छोड़कर किसी भी गतिविधि के अवसर और संभावना को प्रतिबंधित करता है। अधिनियम एक कॉमन गेमिंग हाउस को संचालित करने, स्वामित्व रखने और उसमे संलिप्त पाया जाने को प्रतिबंधित करता है, हालांकि, अधिनियम के दायरे में "गेम ऑफ़ स्किल्स" को शामिल नहीं किया गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ऑनलाइन जुए को प्रतिबंधित करता है और इसके लिए, ऑफ़लाइन जुआ संचालन हेतु निर्धारित दंड से भी अधिक कठोर दंड का प्रावधान करता है।
- लोढ़ा समिति ने सट्टेबाजी (BCCI एवं IPL विनियमों के अंतर्गत कवर की गई सट्टेबाजी को छोड़कर) को वैधानिक बनाने की अनुशंसा की है।

VISION IAS

1.12. राजभाषा विभाग

(Department of Official Language)

सुर्खियों में क्यों?

आधिकारिक कार्य में हिंदी भाषा के प्रयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए **राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय का एक स्वतंत्र विभाग)** की पहली समीक्षा बैठक हुई।

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में **अबू धाबी** द्वारा हिंदी को अरबी और अंग्रेजी के साथ अपने न्यायालयों में प्रयोग होने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है।
- इसका उद्देश्य हिंदी भाषियों को बिना किसी भाषाई अवरोध के अभियोग की प्रक्रियाओं, उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सीखने में मदद करना है। इसके अतिरिक्त इस कदम का उद्देश्य एकीकृत फॉर्म के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है।
- आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों की संख्या 26 लाख है जो देश की कुल आबादी का 30% है और यह देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है।
- संयुक्त अरब अमीरात के अलावा, **फिजी में भी हिंदी आधिकारिक भाषा के रूप में विद्यमान है।**

संवैधानिक प्रावधान

- **संविधान का भाग XVII** (अनुच्छेद 343 से 351) राजभाषा से संबंधित है। इसके प्रावधानों को चार शीर्षों- संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, न्यायपालिका एवं कानूनों के मूलपाठ की भाषा तथा विशेष निर्देशों के खंडों में विभाजित किया गया है।
- देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी। लेकिन, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, न कि अंकों का देवनागरी रूप।

राजभाषा और भाषाओं के संवर्धन के लिए विशेष निर्देशों से संबंधित अनुच्छेद

- **अनुच्छेद 343:** संघ की राजभाषा
- **अनुच्छेद 344:** राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
- **अनुच्छेद 350A:** प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं
- **अनुच्छेद 350B:** भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी
- **अनुच्छेद 351:** हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

संबंधित तथ्य

- संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु **संसदीय राजभाषा समिति** के गठन के लिए **राजभाषा अधिनियम (1963)** लागू किया गया। तदनुसार, 1976 में यह समिति स्थापित की गई। इस समिति में संसद के तीस सदस्य होते है, जिनमें से बीस सदस्य लोक सभा के और दस सदस्य राज्य सभा के होते हैं।
    - समिति के अध्यक्ष का चयन समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। परंपरा के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री को समय-समय पर समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाता है।

VISION IAS

- **केंद्रीय हिंदी समिति (Central Hindi Committee)**
    - इसकी स्थापना 1967 में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में हिंदी के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
    - यह राजभाषा पर नीतिगत निर्णय के संदर्भ में निर्देश जारी करने वाली शीर्ष समिति है।
    - इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त, इसमें 8 केंद्रीय मंत्री (उपाध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री), 6 मुख्यमंत्री, संसद के 4 सदस्य तथा हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के 10 विशेषज्ञ शामिल होते हैं। राजभाषा विभाग के सचिव भी इसके सदस्य होते हैं और सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

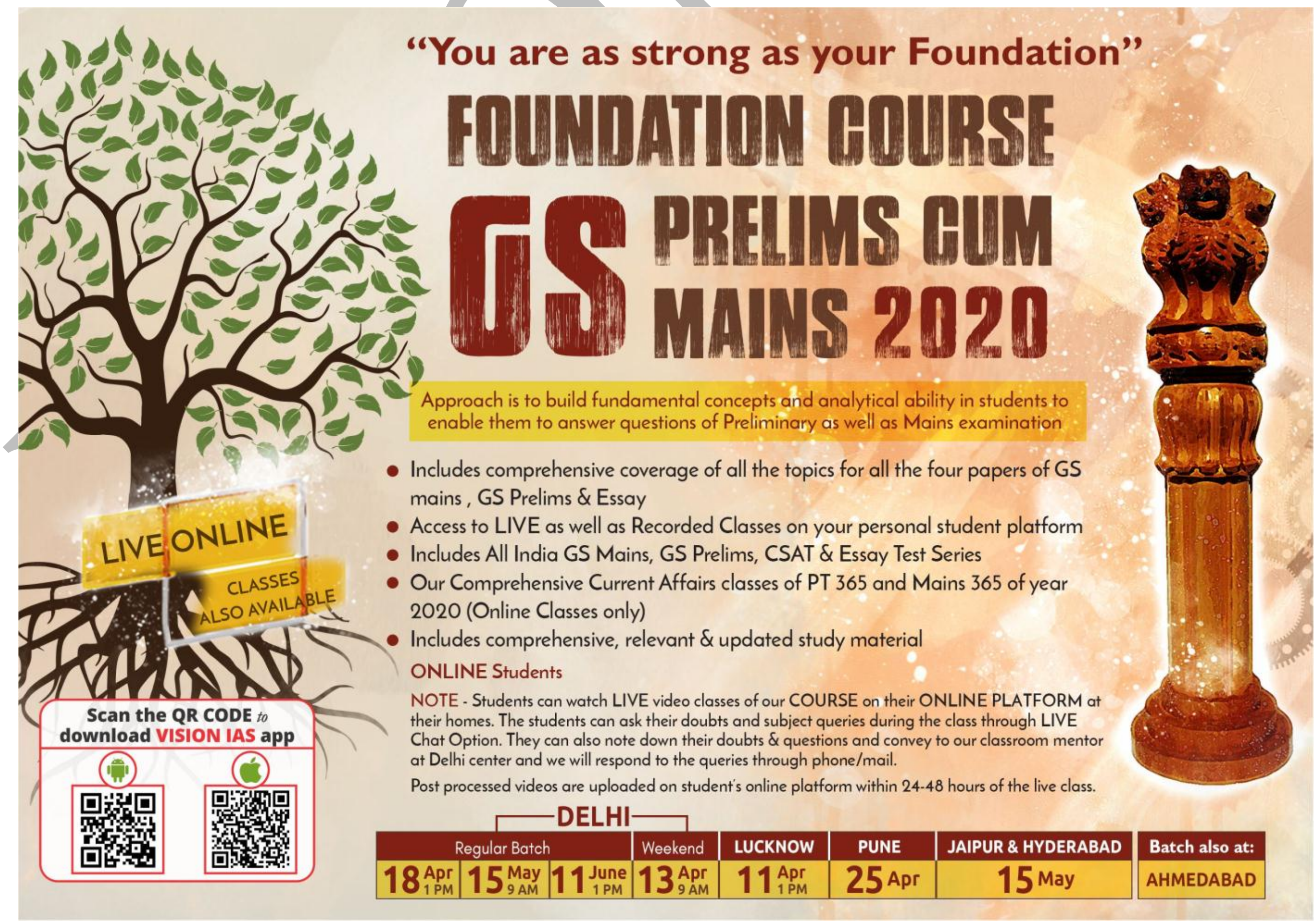

2. संसद / राज्य विधायिका/स्थानीय सरकार के कार्यों से संबंधित प्रावधान

(Issues related to functioning of Parliament/state legislature/ local Government)

2.1. राज्यसभा

(Rajya Sabha Rules)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राज्य सभा के सभापति द्वारा "रिपोर्ट टू द पीपल" प्रस्तुत की गयी। इसके तहत उच्च सदन के सामान्य से भी निम्नस्तरीय प्रदर्शन के साथ-साथ सांसदों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को चिन्हित किया गया है।

अन्य संबंधित जानकारी

राज्य सभा को लोक सभा की तुलना में कुछ विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं:

- राज्य सभा संसद को राज्य सूची में सम्मिलित किसी विषय पर विधि निर्माण करने हेतु अधिकार प्रदान कर सकती है। **(अनुच्छेद 249)**
- राज्य सभा संसद को संघ एवं राज्यों दोनों के लिए सम्मिलित एक या अधिक नई अखिल भारतीय सेवा/सेवाओं के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। **(अनुच्छेद 312)**

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- जून, 2014 से अभी तक तक राज्य सभा के कुल 18 सत्र एवं 329 बैठकें आयोजित की गयीं, जिनमें **154 विधेयक (अर्थात दो बैठकों में एक विधेयक से भी कम) पारित** किए गए।
- सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक संघर्ष और प्रमुख मुद्दों पर सर्वसम्मति के अभाव के कारण इसकी कार्यप्रणाली में अवरोध, स्थगन आदि में वृद्धि देखने को मिली है।

सम्बंधित तथ्य

उच्च सदन के नियमों की समीक्षा के सम्बन्ध में अनुशंसाएँ प्रदान करने हेतु एक दो सदस्यीय समिति **(अग्निहोत्री समिति)** नियुक्त की गई है।

प्रक्रियागत नियमों से संबंधित तथ्य

- **संविधान के अनुच्छेद 118 (1)** द्वारा संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के विनियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गयी है।
- इस प्रकार दोनों सदनों में प्रक्रिया के अपने नियम होते हैं, जो सदन के विभिन्न कार्यों जैसे - सदन की बैठक, सदस्यों को सम्मन जारी करना, शपथ, परिषद की बैठक, उपसभापति का निर्वाचन, कार्य संचालन की व्यवस्था, इत्यादि को संचालित करते हैं।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर, भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में चार सदस्यों को राज्यसभा में नामनिर्देशित किया। संसद में सदस्यों के नामनिर्देशन के संबंध में निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान हैं:
  - **राज्य सभा में नामनिर्देशन:** भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 (1) (a) को अनुच्छेद 80 (3) के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामनिर्देशित कर सकता है, जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला एवं सामाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।
  - **लोक सभा में नामनिर्देशन:** अनुच्छेद 331 के प्रावधानों के अंतर्गत, 'यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक सभा में उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा। मूलतः इस संवैधानिक प्रावधान का वर्ष 1960 तक पालन किया जाना था, लेकिन समय-समय पर इस अवधि का विस्तार किया गया तथा वर्तमान में 95वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2009 द्वारा इसे वर्ष 2020 तक तक बढ़ा दिया गया।

VISION IAS

2.2. राज्य सभा के उपसभापति

(Deputy Chairperson of Rajya Sabha)

सुर्खियों में क्यों?

हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के नए उपसभापति निर्वाचित किए गए।

राज्य सभा का उपसभापति: संविधान के अनुच्छेद 89 में राज्यों की परिषद (राज्य सभा) का सभापति और उपसभापति का पद शामिल हैं।

- उप सभापति का चुनाव राज्य सभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है। जब भी उपसभापति का पद रिक्त होता है, राज्य सभा रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनती है।
- उप सभापति निम्नलिखित तीन मामलों में से किसी भी मामले में अपना पद रिक्त करता है:
    - यदि वह राज्य सभा का सदस्य नहीं रहता है;
    - यदि वह सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप से अपना त्यागपत्र देता है; तथा
    - यदि वह राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसके पद से हटाया जाता है। इस प्रकार के संकल्प को केवल 14 दिनों की अग्रिम सूचना देने के बाद ही प्रस्तावित किया जा सकता है।
- जब सभापति का पद रिक्त है या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तब उपसभापति सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करता है। राज्य सभा की किसी बैठक में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, सभापति के रूप में कार्य करता है। दोनों मामलों में, उसके पास सभापति की समस्त शक्तियाँ होती हैं।
- **उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता है।** वह प्रत्यक्ष रूप से राज्य सभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
- सभापति की भांति, उपसभापति, सदन की अध्यक्षता करते हुए, प्रथम दृष्टया मतदान नहीं कर सकता है; वह केवल मत बराबर होने की स्थिति में ही मतदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त, जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प सदन के विचाराधीन होता है, तब वह उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होता है।
- जब सभापति सदन की अध्यक्षता करता है, तो उपसभापति सदन के किसी अन्य साधारण सदस्य की भांति होता है। वह सदन में बोल सकता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है और सदन के समक्ष किसी भी प्रश्न पर मतदान कर सकता है।
- सभापति की भांति, उपसभापति भी नियमित वेतन और भत्ते हेतु अधिकृत होता है। इन्हें **संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है** और ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।

2.3. लोक सभा

(Lok Sabha)

2.3.1. आचार समिति

(Ethics Committee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एल. के. आडवाणी को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन की आचार समिति के अध्यक्ष (chairman) के रूप में पुनर्नामित किया गया है।

आचार समिति

- इस समिति की स्थापना राज्य सभा में 1997 तथा लोक सभा में 2000 में की गई थी। यह समिति सांसदों हेतु आचार संहिता को प्रवर्तित करती है। यह दुर्व्यवहार संबंधी मामलों की जांच करती है और उपयुक्त कार्यवाही की अनुशंसा करती है। इस प्रकार, इसे संसदीय अनुशासन एवं शिष्टता को बनाए रखने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- यह किसी प्रकरण में स्वतः-संज्ञान लेते हुए भी **जांच-पड़ताल** भी कर सकती है।
- इस समिति में लोक सभा के 15 तथा राज्य सभा के 10 सदस्य शामिल होते हैं।
- समिति के अध्यक्ष को पीठासीन अधिकारी द्वारा समिति के सदस्यों के मध्य से ही नामित किया जाता है।

VISION IAS

2.3.2. लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव

(No-Confidence Motion in Lok Sabha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी दलों द्वारा सरकार के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

अविश्वास प्रस्ताव: संविधान के **अनुच्छेद 75** के अनुसार मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका तात्पर्य यह है कि लोक सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को हटा सकती है।

अन्य विवरण: लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव लाने संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है:

- अविश्वास प्रस्ताव को सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। परन्तु यह केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्य सभा में नहीं।
- सदस्य को प्रस्ताव लाने हेतु पूर्वाह्न 10 (AM) बजे से पूर्व लिखित सूचना देनी होती है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में पढ़ा जाता है। न्यूनतम 50 सदस्यों को प्रस्ताव स्वीकार करना होगा और तदनुसार, अध्यक्ष प्रस्ताव हेतु चर्चा की तिथि की घोषणा करेगा।
- जिस दिन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, आबंटित तिथि उस दिन से लेकर 10 दिनों के अंदर होनी चाहिए। अन्यथा, प्रस्ताव निरस्त हो जाता है और इस प्रस्ताव को लाने वाले सदस्य को इस बारे में सूचित किया जाता है।
- लोकसभा में इसे प्रस्तुत करने के पीछे के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।
- यह केवल समस्त मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
- यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है, तो समस्त मंत्रिपरिषद को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है।

2.4. राज्य विधानमंडल

(State Legislature)

2.4.1. राज्य विधान परिषद् का गठन

(Formation of Legislative Council)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ओडिशा विधानसभा ने विधान परिषद् (Legislative Council) के सृजन हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है।

विधान परिषद् (LC) - विधान परिषद् के सृजन/उत्सादन की प्रक्रिया

- संविधान अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषद् के सृजन अथवा उत्सादन का प्रावधान करता है। तदनुसार, यदि संबंधित राज्य की विधान सभा इस संबंध में प्रस्ताव पारित करे तो संसद किसी विधान परिषद का उत्सादन (जहां यह पहले से विद्यमान है) या इसका सृजन (जहां इसका अस्तित्व नहीं है) कर सकती है।
- इस प्रकार के विशिष्ट प्रस्ताव को **राज्य विधानसभा (Legislative Assembly) द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए अर्थात सभा की कुल सदस्यता के बहुमत तथा विधानसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा।**
- संसद का यह अधिनियम अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों हेतु संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा और इसे एक सामान्य विधान (अर्थात साधारण बहुमत द्वारा) के रूप में पारित किया जाएगा।

विधान परिषद् वाले राज्य: वर्तमान में 7 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं जम्मू-कश्मीर में विधान परिषद् मौजूद हैं।

राज्यसभा की तुलना में विधान परिषद् की शक्तियां:

- वित्तीय मुद्दों एवं सरकार पर नियंत्रण संबंधी कुछ मामलों को छोड़कर राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्तियां प्रदान की गयी हैं। जबकि दूसरी ओर, **विधान परिषद् सभी मामलों में विधानसभा की अधीनस्थ है।** इस प्रकार, विधानसभा का विधान परिषद् पर पूर्ण वर्चस्व स्थापित है।
  - किसी सामान्य विधेयक को पारित करने की अंतिम शक्ति विधानसभा में विद्यमान है। परिषद अधिकतम चार महीने की अवधि के लिए विधेयक को रोक (तीन महीने के लिए) अथवा विलंबित (एक महीने के लिए) कर सकती है। अन्य शब्दों में,

VISION IAS

परिषद **राज्य सभा की तरह पुनरीक्षण निकाय नहीं है;** अपितु यह केवल एक विलंबनकारी सदन अथवा एक परामर्शदात्री निकाय है।

- जब कोई सामान्य विधेयक, जिसकी उत्पत्ति विधान परिषद में हुई हो तथा उसे विधानसभा में पारित होने के लिए भेजा जाता है, और विधानसभा द्वारा उसे निरस्त कर दिया जाता है, तो उस अवस्था में विधेयक समाप्त होकर निष्क्रिय हो जाता है। राज्यसभा के मामले में ऐसा नहीं होता है।
- संविधान संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन के सन्दर्भ में विधान परिषद को किसी भी प्रकार का प्रभावी अधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में, विधान परिषद् की तुलना में विधानसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। इसी प्रकार के मामले में, राज्य सभा के पास लोकसभा के समकक्ष अधिकार विद्यमान हैं।
- अंततः, विधान परिषद का अस्तित्व **विधानसभा की इच्छा** पर निर्भर करता है। विधानसभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा विधान परिषद का विघटन किया जा सकता है। हालांकि, इसके विपरीत राज्यसभा का अस्तित्व लोकसभा की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है।

2.4.2. विधान सभाओं की क्षमता

(Strength of Legislative Assemblies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना विधान सभाओं की क्षमता में वृद्धि करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
- साथ ही सिक्किम विधान सभा की सीटों में वृद्धि अर्थात सदस्य संख्या 32 से बढ़ाकर 40 करने संबंधी एक अन्य प्रस्ताव भी है।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 170** में विधानसभाओं के संघटन सम्बन्धी प्रावधान उपबंधित हैं। अतः राज्य विधान सभाओं की संरचना में वृद्धि करने हेतु संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 170 में संशोधन करना आवश्यक है।
  - विधानसभा के प्रतिनिधियों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसकी अधिकतम संख्या 500 एवं न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है।
  - इसका तात्पर्य यह है कि 60 से 500 के बीच की यह संख्या राज्य की जनसंख्या एवं इसके आकार पर निर्भर है।
  - हालांकि, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा के संदर्भ में यह संख्या निम्नतम 30 निर्धारित की गई है, जबकि मिजोरम एवं नागालैंड के लिए यह संख्या क्रमशः 40 एवं 46 है।
  - इसके अतिरिक्त सिक्किम एवं नागालैंड की विधान सभाओं के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं।
  - **राज्यपाल,** विधानसभा में **आंग्ल-भारतीय समुदाय** का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में इस समुदाय से **एक सदस्य को नामित कर सकता है।**
- **1976 के 42वें संशोधन अधिनियम** द्वारा विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 तक के लिए निर्धारित कर दिया गया था। **2001 के 84वें संशोधन अधिनियम** ने जनसंख्या मापन को निर्धारित करने के उद्देश्य के साथ ही पुनर्निर्धारण पर इस प्रतिबंध को आगामी 25 वर्षों (अर्थात 2026) तक के लिए बढ़ा दिया था।
- 84वें संशोधन अधिनियम, 2001 में सरकार को 1991 की जनगणना के आधार विधानसभा क्षेत्रों के तुलनात्मक पुनर्निर्धारण का अधिकार भी दिया गया। तत्पश्चात 87वें संशोधन अधिनियम, 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 2001 की जनसंख्या (1991 की जनसंख्या के आधार पर नहीं) के अनुरूप करने की व्यवस्था की गई। हालांकि, यह निर्धारण प्रत्येक राज्य की विधान सभा की कुल सीटों में बिना किसी परिवर्तन के किया जाना था।
- यद्यपि, वर्तमान प्रावधान के अंतर्गत, इस प्रकार का पुनर्निर्धारण 2026 में (2021 की जनगणना के प्रकाशन के पश्चात ही) किया जाएगा। विधान सभाओं की सदस्य संख्या में परिवर्तन को वैधानिक मान्यता प्रदान करने हेतु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी संशोधन किया जाएगा।

VISION IAS

2.5 स्थानीय शासन

(Local Governance)

2.5.1 स्थानीय निकायों के चुनावों हेतु शैक्षणिक मानदंड

(Education as A Criteria For Local Elections)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राजस्थान सरकार ने पंचायती राज चुनावों हेतु **शैक्षणिक मानदंड को समाप्त** कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- राजस्थान **पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) नियम, 2015** के तहत जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं नगरपालिका चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कक्षा 10 उत्तीर्ण करने संबंधी मापदंड को अनिवार्य बना दिया गया था।
- उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि **चुनाव लड़ने का अधिकार** (Right to Contest) न तो मूल अधिकार है, न ही केवल वैधानिक अधिकार, अपितु यह एक संवैधानिक अधिकार है। इसके अतिरिक्त, सक्षम विधान-मंडल द्वारा पारित कानूनों के माध्यम से **चुनाव लड़ने के अधिकार को विनियमित एवं सीमित किया जा सकता है।**
- उच्चतम न्यायालय की यह व्याख्या इस तथ्य पर आधारित है कि स्थानीय निकायों में निर्वाचित अशिक्षित या निरक्षर लोगों को उनकी निरक्षरता के कारण अधिकारियों द्वारा सरलता से गुमराह किया जा सकता है।

पंचायती राज चुनाव

- 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्तर पर शासन के तृतीय स्तर के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के गठन संबंधी प्रावधान को अनिवार्य बनाया गया था।
- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 243(K)(4)** के तहत राज्य सरकारें विधि द्वारा स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए योग्यता (अर्हता) निर्धारित कर सकती हैं।
- **अनुच्छेद 243(O)** निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है। यदि पंचायतों के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो न्यायालयों को इन विवादों के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।
- किसी पंचायत के लिए किसी निर्वाचन को ऐसी निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही प्रश्नगत किया जा सकता है, जो ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत की गयी है जिसका किसी राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई गयी किसी विधि द्वारा उपबंध किया गया हो।
- हरियाणा सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों हेतु न्यूनतम योग्यता को निर्धारित करने के लिए **हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015** पारित किया गया था।
- असम एवं उत्तराखंड जैसे राज्यों ने भी स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक मानदंड को निर्धारित करने वाले कानूनों का निर्माण किया हैं।

2.5.2 सबकी योजना, सबका विकास

(Sabki Yojana, Sabka Vikas)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को 'सबकी योजना, सबका विकास' नामक एक अभियान आरम्भ किया गया है।

'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान के बारे में

- इस अभियान में सुव्यवस्थित **ग्राम पंचायत विकास योजनाओं** को तैयार करते समय जमीनी स्तर पर लोगों को शामिल किया जाएगा।
- विगत कुछ वर्षों में किए गए कार्यों की **विस्तृत लेखा परीक्षा** को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
- इस वर्ष दिसंबर में समाप्त होने वाले इस अभियान के तहत ग्राम पंचायतों को एकत्रित धन के सभी स्रोतों और उनके वार्षिक व्यय को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना होगा। साथ ही उन्हें भविष्य की विकास पहलों के बारे में भी सार्वजनिक रूप से बताना होगा।
- इससे ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायता मिलेगी। ये योजनाएं अब तक व्यापक रूप से अव्यवस्थित ही बनी रही हैं।

VISION IAS

ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan: GPDP) के बारे में:

- यह प्रत्येक पंचायत की एक वार्षिक योजना होती है, जिसके माध्यम से ग्रामीण लोगों द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि धन को कहाँ व्यय किया जाना चाहिए।
- GPDP का उद्देश्य एक प्रभावी ग्राम सभा के तत्वाधान में चयनित 31 लाख पंचायत नेताओं और DAY-NRLM के अंतर्गत स्वयं-सहायता समूहों की 2.5 करोड़ महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाना है।
- **GPDP का विषय-क्षेत्र:**
  - **मानव विकास:** लिंगानुपात, शिशु मृत्यु दर (IMR), मातृ मृत्यु दर (MMR), कुपोषण, साक्षरता आदि।
  - **पहुँच से दूर रह जाने वाले समुदायों की स्थिति:** सीमांत एवं वंचित वर्ग (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, बालक, महिला आदि) और मौजूदा योजनाओं की प्रभावशीलता।
  - **नागरिक सेवाएं:** स्वच्छता (सैनिटेशन), पेयजल, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि।
  - **आर्थिक विकास:** कृषि और सिंचाई, पशुपालन आदि।
  - **आपदा सुभेद्यता मूल्यांकन।**

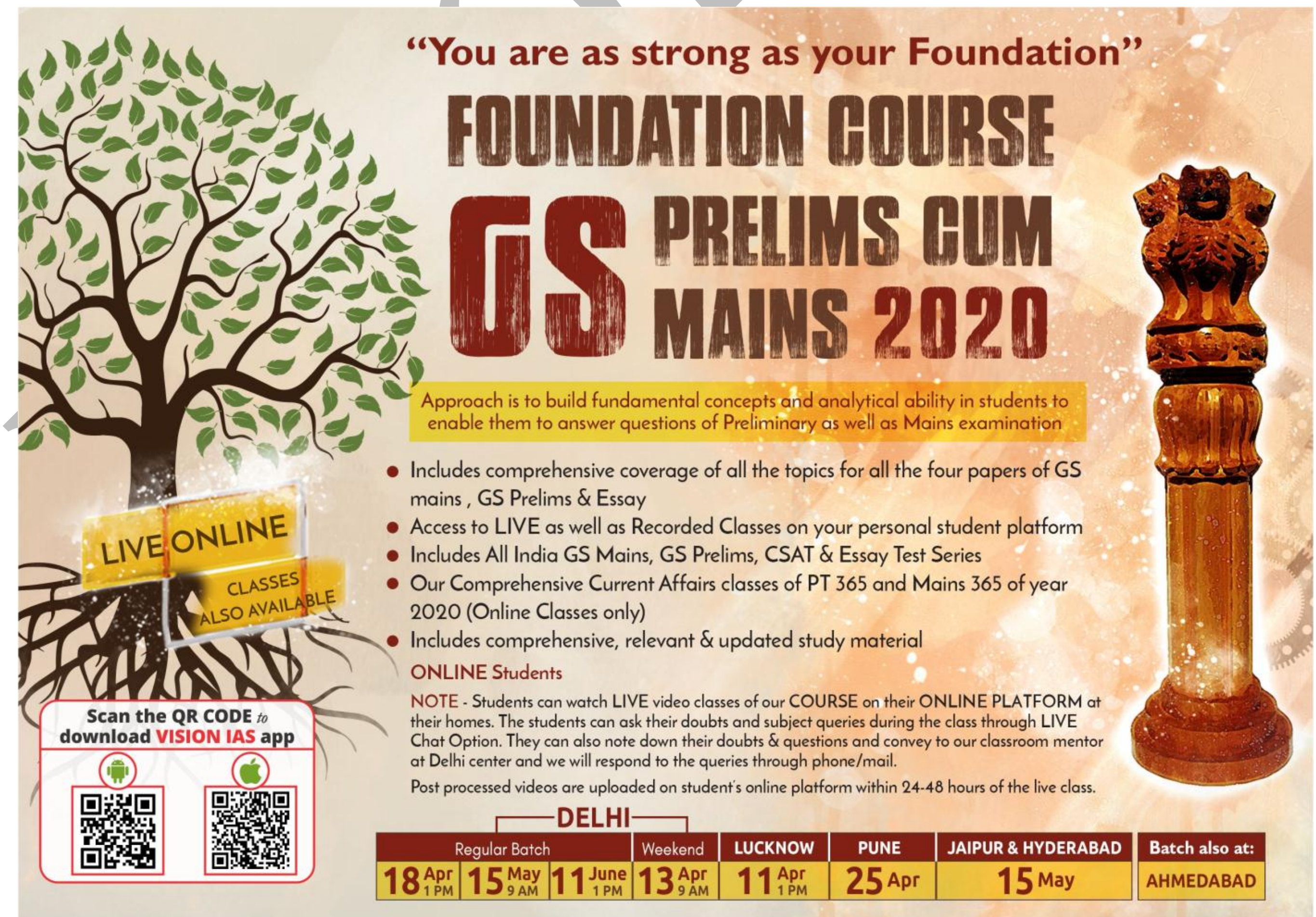

3. केंद्र-राज्य संबंध

(Centre-State Relation)

3.1. 15वां वित्त आयोग

(The 15th Finance Commission)

सुर्खियों में क्यों?

दक्षिणी राज्यों द्वारा 15वें वित्त आयोग के टर्म ऑफ़ रिफरेंस (ToP) अर्थात विचारार्थ विषय का विरोध किया रहा है।

वित्त आयोग के बारे में

- **वित्त आयोग (FC) से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:** भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 280**, अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांचवें वर्ष या उससे पूर्व (यदि वह आवश्यक समझता है) किया जाता है।
- **संरचना:** वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। **वित्त आयोग अधिनियम, 1951** के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। अध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो और अन्य चार सदस्यों का चयन निम्नलिखित में से किया जाना चाहिए:
  - किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति।
  - ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार के लेखा एवं वित्त मामलों का विशिष्ट ज्ञान हो।
  - ऐसा व्यक्ति, जिसे वित्तीय मामलों और प्रशासन का व्यापक अनुभव हो।
  - ऐसा व्यक्ति, जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो।
- **FC के कार्य:** वित्त आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों के संबंध में अनुशंसाएं की जाती हैं:
  - संघ और राज्यों के मध्य साझा किए जाने वाले करों के शुद्ध आगमों का वितरण और इन आगमों का राज्यों के मध्य आबंटन।
  - संघ द्वारा राज्यों को अनुदान सहायता (अर्थात, भारत की संचित निधि से) को निर्धारित करने वाले सिद्धांत।
  - राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्द्धन के लिए आवश्यक उपाय।
  - राष्ट्रपति द्वारा सुदृढ़ वित्तीय हित के सम्बन्ध में आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।
- **FC की सलाहकार भूमिका:** FC द्वारा की गई अनुशंसाएं केवल **सलाहकारी प्रकृति** की होती हैं और इसलिए ये सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। यह केंद्र सरकार पर निर्भर होता है कि आयोग की राज्यों को दी जाने वाली अनुदान सहायता से संबंधित अनुशंसाओं को लागू करे।

15वें वित्त आयोग (FC) की संरचना:

- FC-15 का गठन 27 नवंबर, 2017 को किया गया था और इसका अध्यक्ष पूर्व राजस्व सचिव और राज्यसभा के पूर्व सांसद **एन.के. सिंह** को नियुक्त किया गया था। आयोग के पैनल में शक्तिकांत दास, अनूप सिंह भी सम्मिलित हैं। डॉ अशोक लाहिड़ी और डॉ रमेश चंद भी 15वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं।
- **टर्म ऑफ द रेफरेंस के कुछ प्रावधान:** आयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में, सरकार के उपयुक्त स्तर पर राज्यों के लिए मापनीय प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन का प्रस्ताव करने पर विचार कर सकता है:
  - वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत कर के दायरे को विस्तृत और व्यापक बनाने हेतु राज्यों द्वारा किए गए प्रयास;
  - जनसंख्या वृद्धि की प्रतिस्थापन दर को प्राप्त करने हेतु किए गए प्रयास और प्रगति;
  - भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, आपदा सुनम्य अवसंरचना, सतत विकास लक्ष्यों और तर्कसंगत व्यय के क्रियान्वयन संबंधी उपलब्धियां;

VISION IAS

- पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने, विद्युत् क्षेत्र से संबंधित हानियों को समाप्त करने और भविष्य में आय के स्रोतों का सृजन करने में इस प्रकार के व्यय की गुणवत्ता के सम्बन्ध में की गयी प्रगति;
- कर/गैर-कर राजस्व में वृद्धि करने, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एवं सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली को अपनाकर बचत को बढ़ावा देने, डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने तथा सरकार और लाभार्थियों के मध्य विद्यमान विभिन्न बाधाओं (layers) को समाप्त करने के सम्बन्ध में की गयी प्रगति;
- संबंधित नीति और विनियामक परिवर्तनों को प्रभावी बनाकर और श्रम गहन विकास को प्रोत्साहित कर इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस की दिशा में की गयी प्रगति;
- गुणवत्ता युक्त मानव संसाधन सहित बुनियादी सेवाओं के लिए स्थानीय निकायों हेतु अनुदान सहायता का प्रावधान और सेवाओं के वितरण में सुधार करने हेतु प्रदर्शन अनुदान प्रणाली का क्रियान्वयन करना;
- लोकलुभावन उपायों पर होने वाले व्यय पर नियंत्रण अथवा कमी; तथा
- खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने हेतु स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ-साथ व्यवहार में परिवर्तन लाने की दिशा में की गयी प्रगति।
- आयोग द्वारा अपनी अनुसंशाओं हेतु, 2011 के जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा।

आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट को 30 अप्रैल 2019 तक प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें 1 अप्रैल, 2020 से आगामी पांच वर्षों तक की अवधि को कवर किया जाएगा।

टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दे:

- **2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग** - यहां तक कि 14वें FC द्वारा 1971 की जनगणना के आंकड़ों के साथ-साथ 2011 की जनगणना के आंकड़ों का भी उपयोग किया गया था और 2011 की जनगणना को 10 प्रतिशत भारांश प्रदान किया गया था।
  - 14वें FC द्वारा वनावरण, राज्य के क्षेत्रफल और आय अंतराल को भी भारांश प्रदान किया गया था। उल्लेखनीय है कि राजकोषीय अनुशासन को शून्य भारांश प्रदान किया गया था।
- यदि राज्यों के लिए शर्त रहित कर अंतरण (tax devolution) में की गई 32% से 42% तक की वृद्धि पर विचार किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि यह उच्च वित्त अंतरण फंड विकास से संबंधित केंद्र की वित्तीय आवश्यकता के साथ असंगत दृष्टिगत होता है।
- **"जनसंख्या वृद्धि की प्रतिस्थापन दर को प्राप्त करने की दिशा में किए गए प्रयासों और प्रगति के लिए राज्यों को प्रोत्साहन (incentive) प्रदान करना",** इस प्रकार, यह अधिकांश राज्यों को प्रोत्साहनों से वंचित कर देगा।

3.2. क्षेत्रीय परिषदें

(Zonal Councils)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की मेजबानी पश्चिम बंगाल द्वारा की गई।

क्षेत्रीय परिषदों के बारे में

- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित क्षेत्रीय परिषदें **सांविधिक** निकाय हैं।
- इस अधिनियम के तहत देश को **पांच क्षेत्रों** (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी) में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान किया गया है।
- क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना के **मुख्य उद्देश्य** निम्नलिखित हैं:
  - **राष्ट्रीय एकीकरण** प्राप्त करना;
  - **तीव्र राज्य केन्द्रित भावना (acute State consciousness)**, क्षेत्रवाद, भाषावाद और विशिष्टतावादी प्रवृत्तियों के प्रसार पर **रोक लगाना**;

VISION IAS

- **केंद्र और राज्यों को सहयोग** तथा विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाना;
- विकास परियोजनाओं के सफल और शीघ्र क्रियान्वयन हेतु राज्यों के मध्य **सहयोग का वातावरण स्थापित करना।**

- प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद एक **सलाहकारी निकाय** है। ये आर्थिक और सामाजिक नियोजन, भाषाई अल्पसंख्यकों, सीमा विवादों, अंतर-राज्यीय परिवहन इत्यादि जैसे मुद्दों पर चर्चा कर सकती हैं और इनके संबंध में अनुशंसाएं कर सकती हैं।
- **पूर्वोत्तर राज्य** (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम) क्षेत्रीय परिषदों में **सम्मिलित नहीं हैं**। इन राज्यों की विशिष्ट समस्याओं पर पूर्वोत्तर परिषद द्वारा विचार किया जाता है।

क्षेत्रीय परिषदों की संगठनात्मक संरचना:

- **अध्यक्ष - केंद्रीय गृह मंत्री** प्रत्येक परिषद् का अध्यक्ष होता है।
- **उपाध्यक्ष** - प्रत्येक क्षेत्र में शामिल राज्यों के **मुख्यमंत्री** उस क्षेत्र की क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ये उपाध्यक्ष एक वर्ष के लिए **चक्रीय** रूप में पद ग्रहण करते हैं।
- **सदस्य - मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा नामांकित प्रत्येक राज्य के दो अन्य मंत्री** तथा क्षेत्र में स्थित प्रत्येक **संघ शासित प्रदेशों से दो सदस्य** सम्मिलित होते हैं।
- केंद्रीय मंत्रियों को भी आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

3.3. पूर्वोत्तर परिषद

(North Eastern Council)

सुर्खियों में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की है।

पूर्वोत्तर परिषद की भूमिका और कार्यप्रणाली

- यह पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 (वर्ष 2002 में संशोधित) के अंतर्गत स्थापित एक **सांविधिक सलाहकार निकाय** है।
- यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शीर्ष स्तरीय नोडल एजेंसी है।
- इसकी संगठनात्मक संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं-
  - पदेन सभापति - केंद्रीय गृह मंत्री [पूर्व में यह DoNER (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास) मंत्री था]
  - उपाध्यक्ष - राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), DoNER मंत्रालय
  - सदस्य - सभी आठ राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य।
- यह **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना निकाय** के रूप में कार्य करने हेतु अधिदेशित है।
- क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करते समय यह परिषद दो या अधिक राज्यों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करेगी। परिषद सिक्किम के मामले में विशेष परियोजनाएं और योजनाएं बनाएगी।

3.4. अंतर्राज्यीय परिषद

(Inter State Council: ISC)

सुर्खियों में क्यों?

अंतर्राज्यीय परिषद (ISC) की स्थायी समिति ने पुंछी आयोग की अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श पूर्ण किया।

ISC के बारे में

- **संविधान का अनुच्छेद 263** अंतर्राज्यीय परिषद (ISC) के गठन का प्रावधान करता है।
- इसका गठन **सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से** किया गया।
- यह अंतर्राज्यीय, केंद्र-राज्य तथा केंद्र व संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के लिए एक **परामर्शदात्री निकाय है।** इसका उद्देश्य सम्बंधित मुद्दों की जांच, चर्चा और उन पर सलाह प्रदान करने के माध्यम से इनके मध्य समन्वय को बढ़ावा प्रदान करना है।
- यह **एक स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं** है, किंतु यदि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो इसे 'कभी भी' स्थापित किया जा सकता है।

VISION IAS

- संगठन की संरचना में शामिल हैं:
  - **अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री**
  - **सभी राज्यों के मुख्यमंत्री**
  - **विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री**
  - **उन संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक जहां विधानसभा नहीं है**
  - **राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों के राज्यपाल**
  - **प्रधानमंत्री द्वारा नामित छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (गृहमंत्री सहित)।**
- वर्ष 1990 के राष्ट्रपति आदेश का दो बार संशोधन किया गया। इन संशोधनों के माध्यम से क्रमशः ये प्रावधान किये गये कि **राज्य के राष्ट्रपति शासन के अधीन होने पर राज्य का राज्यपाल परिषद्** की बैठक में भाग लेगा तथा **अन्य केंद्रीय मंत्रियों में से स्थायी आमंत्रितों का नामांकन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।**
- वर्ष 1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों पर **सतत परामर्श और निपटान** हेतु **परिषद की एक स्थायी समिति** की स्थापना की गई। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
  - **अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री**
  - **पांच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री**
  - **नौ मुख्यमंत्री**

3.5 . नीति आयोग

(Niti Aayog)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल (शासी परिषद्) की चौथी बैठक आयोजित हुई, जिसका मुख्य एजेंडा किसानों की आय को दोगुना करने संबंधी उपाय करना तथा सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की स्थिति पर विचार-विमर्श करना था।

नीति आयोग के बारे में

- राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया: NITI) अर्थात् **नीति आयोग** का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। इसने पूर्ववर्ती **योजना आयोग** का स्थान लिया।
- यह भारत सरकार का शीर्ष नीतिगत "थिंक टैंक" है जो निर्देशात्मक और नीतिगत इनपुट, दोनों प्रदान करता है।
- नीति आयोग की स्थापना के मूल में दो केंद्र-बिंदु (हब) हैं, जो आयोग के निम्नलिखित दो प्रमुख कार्यों को प्रतिबिंबित करते हैं:
  - **टीम इंडिया हब:** यह केंद्र सरकार के साथ राज्यों की संलग्नता का नेतृत्व करता है।
  - **नॉलेज एंड इनोवेशन हब:** यह नीति आयोग की थिंक-टैंक क्षमताओं का सृजन करता है।

नीति आयोग से संबद्ध प्रमुख पहलें

- अटल इनोवेशन मिशन;
- सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल;
- एक भारत श्रेष्ठ भारत;
- जिला अस्पताल सूचकांक;
- डिजिटल परिवर्तन सूचकांक;
- स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स;
- SDG इंडिया इंडेक्स;
- राज्य मानव विकास रिपोर्ट;
- NITI फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट;
- महिला उद्यमिता मंच; तथा
- कृषि विपणन एवं किसान हितैषी सुधार सूचकांक।

VISION IAS

नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल (शासी परिषद्) के बारे में

- **संरचना:** नीति आयोग की शासी परिषद् में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), सभी राज्यों एवं विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उप-राज्यपाल, पदेन सदस्य के रूप में चार केंद्रीय मंत्री तथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में तीन केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। नीति आयोग के सदस्य भी शासी परिषद् में शामिल होते हैं।
- यह **नीति आयोग का सर्वोच्च निकाय** है। इसे राष्ट्र के विकास के स्वरूप को आकार प्रदान करने हेतु राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ **राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों की एक साझा दृष्टि विकसित करने का काम सौंपा गया है।**
- शासी परिषद्, जो सहकारी संघवाद के इन उद्देश्यों को पूरा करती है, वस्तुतः **एक भारत श्रेष्ठ भारत** की भावना के तहत राष्ट्रीय विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए अंतर-क्षेत्रीय, अंतर-विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक मंच प्रदान करती है।

3.6. दिल्ली को राज्य का दर्जा

(Statehood for Delhi)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिल्ली सरकार ने एक जन अभियान के माध्यम से दिल्ली हेतु पूर्ण राज्य के दर्जे की अपनी मांग को पुनः उठाने का निर्णय लिया है।

दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान

- वर्ष 1991 के 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान किया, और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनःनामित किया तथा दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर) के रूप में नामित किया।
- इसने दिल्ली के लिए एक विधान सभा और मंत्री परिषद का गठन किया। पूर्व में दिल्ली में एक महानगरीय परिषद एवं कार्यकारी परिषद मौजूद थी।
- विधानसभा की सदस्य संख्या 70 निर्धारित की गयी है, जिनका निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विधानसभा चुनावों का आयोजन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है।
- मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को विधानसभा की कुल सदस्य सदस्यों के दस प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया गया।

दिल्ली एवं एक अन्य राज्य के मध्य अंतर

- **मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति (न कि उपराज्यपाल) द्वारा** की जाएगी। अन्य **मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है।**
- सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करते हैं।
- विधानसभा राज्य सूची (**केवल तीन मामलों- लोक व्यवस्था, पुलिस तथा भूमि को छोड़कर**) एवं समवर्ती सूची के सभी मामलों पर कानून का निर्माण कर सकती है। परंतु संसद द्वारा निर्मित कानूनों को विधानसभा द्वारा निर्मित कानूनों पर वरीयता दी जाएगी।
- **उपराज्यपाल और मंत्रियों के मध्य किसी विचार पर मतभेद** के मामले में, उपराज्यपाल द्वारा मामले को निर्णयन हेतु राष्ट्रपति को संदर्भित किया जाना आवश्यक होता है और तदनुसार कार्यवाही करता है।

दिल्ली एवं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के मध्य अंतर:

- **केवल दिल्ली एवं पुदुचेरी में ही विधान सभा तथा मंत्री परिषद् (मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में) मौजूद है**। हालांकि, दोनों ही UTs के प्रशासकों को मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता एवं परामर्श के आधार पर कार्य करना आवश्यक होता है।
- **दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र प्रशासित प्रदेश है,जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है।**

दिल्ली-केंद्र के मध्य शक्ति संघर्ष के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए हालिया निर्णय:

- **NCT दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ वाद** में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा अगस्त 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया था, जिसमें कहा गया थी चूँकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए सभी शक्तियां दिल्ली की निर्वाचित सरकार के बजाय केंद्र सरकार में निहित होंगी।
- केंद्र सरकार एवं दिल्ली सरकार के मध्य शक्तियों के निर्धारण पर विवाद का समाधान करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने

VISION IAS

निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए:

- दिल्ली सरकार के पास भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था के मामलों को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने की शक्ति तथा उपर्युक्त तीन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में उप राज्यपाल सरकार की सहायता एवं परामर्श मानने हेतु बाध्य है।
- इस नियम का एकमात्र अपवाद, **अनुच्छेद 239-AA** था, जो की **किसी मुद्दें पर मंत्री परिषद् के साथ मतभिन्नता की स्थिति में उपराज्यपाल को उस मुद्दें को राष्ट्रपति को विनिर्दिष्ट करने की अनुमति प्रदान करता है**। ऐसे मामलों में, लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रपति के निर्णय को मानने हेतु बाध्य होता है।
- दिल्ली का उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है और उसे मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श लेनी चाहिए ,क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी को विशेष दर्जा प्राप्त है तथा यह पूर्ण राज्य नहीं है। इसलिए, दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका राज्यपाल से भिन्न होती है।
- न तो निर्वाचित सरकार और न ही उप राज्यपाल को सर्वोच्चता का अनुभव करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि वे संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं तथा हमारे संविधान में निरंकुशता या अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है।

3.7 कावेरी जल प्रबंधन योजना, 2018

(Cauvery Water Management Scheme, 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने **कावेरी जल प्रबंधन योजना, 2018** के तहत **कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA)** और **कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC)** के गठन को अधिसूचित किया है।

अन्य सम्बन्धित तथ्य

- **फरवरी में,** उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को छह सप्ताह की अवधि में CWMA के गठन का निर्देश दिया।
- SC ने यह स्वीकार करते हुए कि **पेयजल के मुद्दे को उच्चतर पीठ को हस्तांतरित किया जाना चाहिए**, कर्नाटक के लिए कावेरी के जल के भाग को 14.75 tmcft तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही इसने तमिलनाडु के भाग को कम किया है किन्तु इसे नदी बेसिन से 10 tmcft भूजल के निष्कर्षण की अनुमति देकर क्षतिपूर्ति प्रदान की है।
- केंद्र सरकार द्वारा कावेरी प्रबंधन बोर्ड और विनियमन समिति की स्थापना के लिए अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6A के तहत कावेरी जल प्रबंधन योजना, 2018 का निर्माण किया गया है।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (Cauvery Water Management Authority) के बारे में

- इसका अधिदेश कावेरी जल विनियमन समिति की सहायता से जल वर्ष (1 जून) की शुरुआत में कुल अवशिष्ट संग्रह की निगरानी और निर्धारण करना, उसके हिस्सों का बंटवारा करना व जलाशयों के परिचालन का निरीक्षण करना है।
- **यह बिलिगुंडुलु गेज पर स्थित अंतर-राज्य संपर्क बिंदु पर कर्नाटक** द्वारा जल छोड़ने को भी विनियमित करेगा।
- यह सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर) को बढ़ावा देने, फसल प्रतिरूप में परिवर्तन, कृषि प्रथाओं में सुधार, प्रणालीगत कमी में सुधार और कमांड क्षेत्र के विकास द्वारा **जल उपयोग की दक्षता में सुधार के लिए उपयुक्त उपायों की सलाह देगा।**
- यह पार्टी राज्यों द्वारा चूक के मामले में **उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है**।
- इसके अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो जल संसाधन प्रबंधन और अंतर-राज्यीय जल बंटवारे के मुद्दों में अनुभव रखने वाला **एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित इंजीनियर या अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी होगा**।
- पूर्व की अंतरिम व्यवस्था के विपरीत, यह केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अधीन एक **स्थायी निकाय** है और इसके निर्णय सभी पार्टी राज्यों पर **अंतिम और बाध्यकारी** होते हैं।

अंतरराज्यीय जल विवादों के लिए संवैधानिक और विधायी प्रावधान

- अनुच्छेद 262 (2) संसद को विधि द्वारा यह उपबंध करने का अधिकार देता है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई

VISION IAS

अन्य न्यायालय ऐसे किसी भी विवाद या परिवाद के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कावेरी निर्णय को स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) के रूप में स्वीकार किया गया था। यह पहली बार था जब सर्वोच्च न्यायालय ने किसी न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय को SLP द्वारा चुनौती देने की अनुमति दी थी। न्यायालय ने इस अधिनिर्णय को संशोधित भी किया।

- अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (IRWD अधिनियम) को संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित किया गया था। इस अनुच्छेद के तहत संसद ने रिवर बोर्ड एक्ट (1956) को भी अधिनियमित किया।

कावेरी जल विनियमन समिति (Cauvery Water Regulation Committee: CWRC) के बारे में

- कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के अंतर्गत एक अध्यक्ष, प्रत्येक पक्षकार राज्य, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), केंद्रीय जल आयोग (CWC) और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि तथा एक सदस्य सचिव शामिल होंगे।
- CWRC एक तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करेगी तथा इसके निम्नलिखित कार्य होंगे:
    - जल स्तर, प्रवाह, भंडार और जल की आवधिक निकासी से संबंधित डाटा एकत्र करना।
    - दक्षिण-पश्चिमी मानसून, उत्तर-पूर्वी मानसून तथा ग्रीष्म काल के लिए जल विवरण की मौसमी/वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और इसे CWMA को सौंपना।

3.8. अनुच्छेद 35A

(Article 35A)

सुर्खियों में क्यों?

अनुच्छेद 35A की संवैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी है।

अनुच्छेद 35A क्या है?

- इसे **संविधान के अनुच्छेद 370 (1) (d) के तहत जारी राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा 1954** में संविधान में शामिल किया गया था।
- यह **जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को राज्य के "स्थायी निवासियों" और उनके विशिष्ट अधिकारों और विशेषाधिकारों को परिभाषित करने का अधिकार देता है,** साथ ही इसको दूसरे राज्यों के लोगों के समानता के अधिकार या संविधान के तहत किसी अन्य अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- यह जम्मू-कश्मीर के संविधान के कुछ प्रावधानों को संरक्षण प्रदान करता है जबकि इसके तहत राज्य के बाहर के व्यक्ति से विवाह करने वाली महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इन अधिकारों से उनके बच्चे भी वंचित रहेंगे।
- हालांकि, वे इन **विशेष अधिकारों और विशेषाधिकारों** को केवल निम्नलिखित चार श्रेणियों को ही प्रदान कर सकते हैं:
    - राज्य सरकार के अधीन रोजगार;
    - राज्य में अचल संपत्ति का अधिग्रहण;
    - राज्य में बसने; या
    - राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति और ऐसे अन्य प्रकार की सहायता का अधिकार।
- अनुच्छेद बाहरी व्यक्तियों को जम्मू और कश्मीर राज्य में संपत्ति खरीदने से प्रतिबंधित करता है।

VISION IAS

अनुच्छेद 370

- यह जम्मू और कश्मीर को **विशेष स्वायत्त दर्जा** प्रदान करता है।
- रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार को छोड़कर, संसद को अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होती है।
- **भाग IV** (राज्य नीति के निदेशक तत्वों से संबंधित) और **भाग IVA** (मूल कर्तव्यों से संबंधित) राज्य पर लागू नहीं होते हैं।
- **राष्ट्रीय आपातकालीन प्रावधान-** संघ सरकार आंतरिक गड़बड़ी या आसन्न खतरे के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकती है जब तक कि यह अनुरोध पर या राज्य सरकार की सहमति से नहीं किया जाता है।
    - केंद्र सरकार केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के मामले में राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकती है।
    - केंद्र को राज्य में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार नहीं है।
- **राज्य के आपातकालीन प्रावधान:** राज्य में दो तरीके से राज्य आपातकाल घोषित किया जा सकता है, अर्थात् भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और राज्य संविधान के तहत राज्यपाल शासन।

राज्यपाल शासन:

- राज्यपाल शासन तब लागू किया जा सकता है जब राज्य प्रशासन **J&K संविधान के प्रावधानों** के अनुसार संचालित नहीं हो सकता है।
- राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति की सहमति से, राज्य सरकार की सभी शक्तियों को (उच्च न्यायालय को छोड़कर) स्वयं धारण कर सकता हैं। वह विधानसभा को विघटित कर सकता है और मंत्रिपरिषद को विघटित कर सकता है। यह 1977 में पहली बार लगाया गया था।
- यदि इस छह माह की अवधि की समाप्ति से पूर्व संवैधानिक तंत्र को पुनः स्थापित करना संभव नहीं है, तो संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधान को विस्तारित किया जाता है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है।

3.9. राज्य ध्वज

(State Flag)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कर्नाटक स्वयं का राज्य ध्वज अपनाने हेतु प्रक्रिया के चरण में है।

अन्य संबंधित तथ्य:

- यदि ध्वज राज्य में औपचारिक रूप से अंगीकार कर लिया जाता है तो जम्मू एवं कश्मीर के पश्चात् अपना आधिकारिक ध्वज अपनाने वाला कर्नाटक दूसरा राज्य बन जाएगा।
- जम्मू एवं कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त है, इसके द्वारा वर्ष 2015 में अपने पृथक ध्वज को अपनाया गया था।
- कर्नाटक ने 1960 के दशक के मध्य से ही एक लाल और पीले रंग का अनाधिकारिक ध्वज अपनाया हुआ है, जिसे प्रत्येक वर्ष राज्य निर्माण दिवस के स्मरणोत्सव पर फहराया जाता है।
- सिक्किम का भी अपना एक अनाधिकारिक राज्य ध्वज है।

संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान

- **संविधान एक राज्य को एक पृथक राज्य ध्वज अपनाने से प्रतिबंधित नहीं करता। एस.आर.बोम्मई बनाम भारत संघ** वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संविधान में राज्य हेतु स्वयं का ध्वज होने पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि, जिस रीति से राज्य ध्वज को फहराया गया है उससे राष्ट्रीय ध्वज का अनादर नहीं होना चाहिए। इसे सदैव राष्ट्रीय ध्वज के नीचे फहराया जाएगा।
- संविधान के तहत **एक ध्वज को सातवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।** हालांकि, **अनुच्छेद 51A** यह निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर

करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य या जन-सामान्य द्वारा ध्वज फहराने के विनियमन हेतु कोई अन्य प्रावधान नहीं किया गया है। यह स्पष्ट है कि संविधान राष्ट्रीय ध्वज के अतिरिक्त किसी अन्य ध्वज को फहराने को निषिद्ध नहीं करता।

- ससंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने को विनियमित करने हेतु विधान का निर्माण किया है। **संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950** किसी भी व्यक्ति को किसी व्यापार, कारोबार,आजीविका या वृत्ति के प्रयोजनार्थ या किसी पेंटेंट के नाम में या किसी व्यापार चिन्ह या डिज़ाइन में किसी ऐसे नाम या संप्रतीक का (जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है) के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध करता है।
- **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम,1971** के तहत किसी भी राज्य को स्वयं का ध्वज फहराने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को जलाना, उसे विकृत करना, विरूपित करना आदि प्रतिबंधित एवं दंडनीय अपराध है।
- **भारतीय झंडा संहिता,2002** एक राज्य ध्वज पर प्रतिबंध आरोपित नहीं करता। इसके विपरीत सामान्य जन, निजी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने से संबंधित प्रावधानों में यह संहिता स्पष्टतापूर्वक इस शर्त के तहत अन्य ध्वजों को फहराने को अधिकृत करती है कि उन्हें राष्ट्रीय ध्वज के समान मस्तूल शिखर से नहीं फहराया जाना चाहिए तथा उन्हें राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रखा जाना चाहिए।

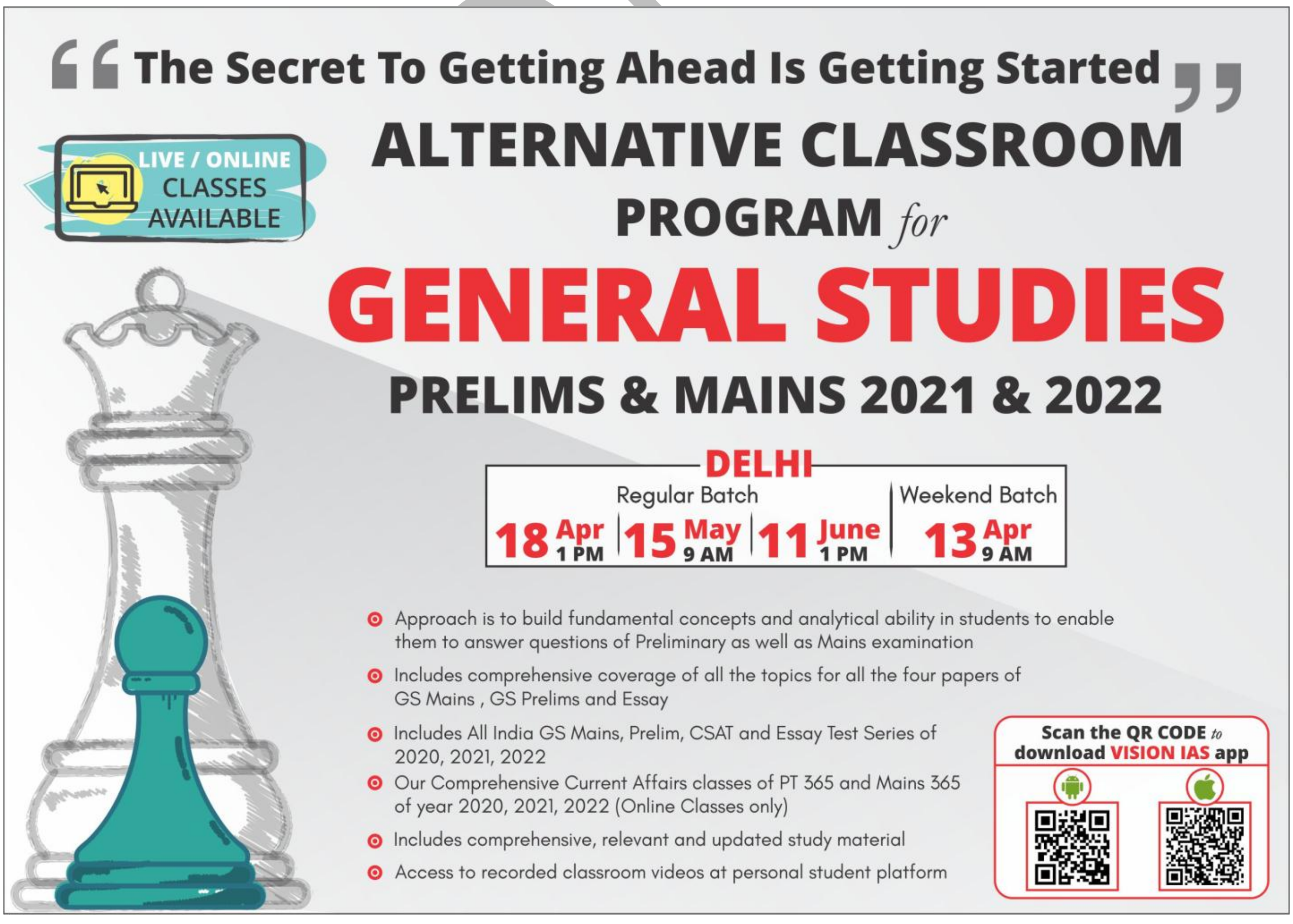

4. न्यायपालिका

(Judiciary)

4.1. उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम

(Supreme Court Collegium)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय में नवीन नियुक्तियां की गई हैं।

उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियां

- **उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियां** भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं तथा उन्हें क्रमशः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) तथा 217 के तहत यह शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- **कॉलेजियम प्रणाली:** यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रणाली है जिसका विकास उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से हुआ है न कि संसद के किसी अधिनियम अथवा संविधान के किसी प्रावधान के द्वारा।
- **उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम** की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है तथा इसमें उच्चतम न्यायालय के अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। एक **उच्च न्यायालय कॉलेजियम** की अध्यक्षता उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है तथा इसमें उस न्यायालय के अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं। एक उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसित नामों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के अनुमोदन के पश्चात् ही सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- **न्यायिक नियुक्तियों में सरकार की भूमिका:** उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है तथा कॉलेजियम द्वारा नामों पर निर्णय लेने के उपरांत ही सरकार की भूमिका होती है।
  - सरकार की भूमिका उस मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के माध्यम से एक जांच करवाने तक सीमित होती है जब कोई अधिवक्ता किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत होने वाला हो।
  - यह कॉलेजियम के विकल्पों के संदर्भ में आपत्ति भी प्रकट कर सकती है तथा स्पष्टीकरण की मांग भी कर सकती है, परन्तु यदि कॉलेजियम पुनः समान नामों को नियुक्ति हेतु अनुशंसित करती है तो सरकार संविधान पीठ के पूर्व निर्णयों के तहत उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने हेतु बाध्य है।
- **नियुक्ति हेतु प्रक्रिया:** नियमों के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श के उपरांत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शीर्ष न्यायालय में प्रोन्नति की अनुशंसा करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस अनुशंसा को रिकॉर्ड के एक भाग के रूप में सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अंतिम अनुशंसा की प्राप्ति के पश्चात् विधि एवं न्याय मंत्री अनुशंसा को प्रधानमंत्री के समक्ष रखेगा जो नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करेगा।

4.2. भारत का मुख्य न्यायाधीश

(Chief Justice of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विभिन्न अवसरों पर उच्चतम न्यायालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्राधिकार को 'समकक्षों में प्रथम" के रूप में दोहराया है।

नियुक्ति प्रक्रिया

- भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, जिसे इस पद हेतु उपयुक्त माना जाए, को नियुक्त किया जाना चाहिए। विधि एवं न्याय मंत्री भारत के आगामी मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति हेतु भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा की मांग कर सकता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की प्रशासनिक स्थिति:

- **उच्चतम न्यायालय का स्थान (अनुच्छेद 130):** संविधान उच्चतम न्यायालय के स्थान के रूप में दिल्ली को नियत करता है। परन्तु, यह भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के स्थान के रूप में अन्य स्थान या स्थानों का चयन करने हेतु अधिकृत भी करता है। इस संदर्भ में वह केवल राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत ही निर्णय ले सकता है।

VISION IAS

- **तदर्थ न्यायाधीश (अनुच्छेद 127):** यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या जारी रखने हेतु उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति न हो पा रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि हेतु उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। परन्तु ऐसा वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के उपरांत ही कर सकता है।
- **सेवानिवृत्त न्यायाधीश (अनुच्छेद 128):** किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश (जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने हेतु सम्यक रूप से अर्ह है) से एक अस्थायी अवधि हेतु उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने हेतु अनुरोध कर सकता है। परन्तु ऐसा वह राष्ट्रपति एवं इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की पूर्व सहमति के उपरांत ही कर सकता है।
- उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार मामलों का समनुदेशन भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के नियमों का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत प्रदान की गई शक्तियों के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जाता है।
- **अपने कार्मिकों की नियुक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 146):** भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका के हस्तक्षेप के बिना अपने अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति कर सकता है। वह उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण भी कर सकता है।

4.3 अधीनस्थ न्यायालय

(Subordinate Courts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अधीनस्थ न्यायालयों में विद्यमान अत्यधिक रिक्तियों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है।

भर्ती प्रक्रिया

जिला न्यायालय

- किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापन और पदोन्नति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है (अनुच्छेद-233)। जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:
    - वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो।
    - वह सात वर्ष की अवधि तक अधिवक्ता रहा हो।
    - उसकी नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसा की गई हो।
- राज्य की न्यायिक सेवा के लिए अन्य न्यायाधीशों (जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त) की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- **अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण:** जिला अदालतों और अन्य अधीनस्थ अदालतों पर नियंत्रण, जिसके अंतर्गत राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से अवर किसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पदस्थापना, प्रोन्नति और अवकाश शामिल हैं, उच्च न्यायालय में निहित होगा।

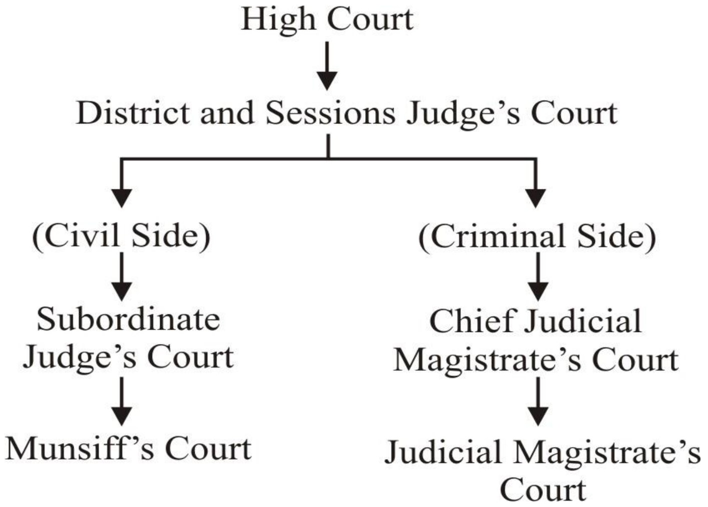

VISION IAS

4.4. आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना हेतु पृथक उच्च न्यायालयों का गठन

(Separate High Courts for Andhra Pradesh & Telangana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना हेतु पृथक उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधिनियमन के साथ ही आंध्र प्रदेश दो राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य एवं तेलंगाना राज्य में विभाजित हो गया था।
- यह अधिनियम 2 जून, 2014 से प्रभावी हुआ था। इसके अंतर्गत तेलंगाना राज्य एवं आंध्र प्रदेश राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया था।

उच्च न्यायालयों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के **भाग 6** में **अनुच्छेद 214 से 231 तक** उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रिया इत्यादि के संबंध में उल्लेख है।
- भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, परंतु **7वें संशोधन अधिनियम, 1956** में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों या दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है।
- उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र एक राज्य के क्षेत्र तक ही सीमित होता है। इसी प्रकार, एक साझा उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र संबंधित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के संबद्ध क्षेत्र तक सीमित होता है।
- वर्तमान में देश में कुल **25 उच्च न्यायालय** (आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय सहित) विद्यमान हैं।
- **दिल्ली एकमात्र संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय (वर्ष 1966 से) है।**
- संसद किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार किसी संघ शासित प्रदेश तक कर सकती है अथवा किसी संघ शासित प्रदेश को एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकती है।

दो या उससे अधिक राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के लिए साझा क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय

बम्बई उच्च न्यायालय	महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव
गुवाहाटी उच्च न्यायालय	असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़
कलकत्ता उच्च न्यायालय	पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
तमिलनाडु उच्च न्यायालय	तमिलनाडु, पुडुचेरी
केरल उच्च न्यायालय	केरल, लक्षद्वीप

VISION IAS

4.5. वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था

(Alternative Dispute Resolution (ADR) Mechanisms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अध्यादेश, 2019 को स्वीकृति प्रदान की गई।

विवरण

- **नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC):** इस अध्यादेश का उद्देश्य NDIAC की स्थापना करना है ताकि पंच-निर्णय, मध्यस्थता और समझौता संबंधी कार्यवाहियों का संचालन किया जा सके। यह NDIAC को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (ICADR):** यह अध्यादेश मौजूदा ICADR के दायित्वों को केंद्र सरकार के तहत हस्तांतरित करने का प्रावधान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (ICADR)

- यह एक स्वायत्त निकाय है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। ICADR के क्षेत्रीय केंद्रों को पूर्ण वित्त पोषण एवं समर्थन राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाता है।
- इसकी स्थापना विधायी कार्य विभाग द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
- ICADR का अध्यक्ष कानून एवं न्याय मंत्री होता हैं।
- इसका मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों के भार को कम करने हेतु विवादों के शीघ्र समाधान की सुविधा के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान को लोकप्रिय बनाना और प्रचारित करना है।

वैकल्पिक विवाद समाधान के साधन

- **पंच-निर्णय (Arbitration)** एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तटस्थ तीसरे पक्ष या पक्षों द्वारा मामले की विशेषता के आधार पर निर्णय किया जाता हैं।
    - यह प्रक्रिया तभी आरंभ हो सकती है, जब विवाद के उत्पन्न होने से पूर्व ही पक्षकारों के मध्य एक वैध मध्यस्थता समझौता विद्यमान हो।
- **मध्यस्थता (Mediation)** का उद्देश्य विवादित पक्षों द्वारा एक सहमति-जन्य समाधान के विकास को सुविधाजनक बनाना है।
    - इसके अंतर्गत गैर-पक्षपातपूर्ण तीसरे पक्ष (मध्यस्थ) द्वारा मामले की जांच की जाती है। मध्यस्थ के अधिकार पक्षकारों की सहमति पर आधारित होता है ताकि वह उनके मध्य वार्ता को सुविधाजनक बना सके।
- **समझौता (Conciliation)** एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विवादों का समाधान परस्पर समझौते या स्वैच्छिक समझौते द्वारा किया जाता है।
    - मध्यस्थता के विपरीत, सुलहकर्ता का निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है। पक्षकार सुलहकर्ता की अनुशंसाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने हेतु स्वतंत्र होते हैं।
- **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) -** इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत किया गया है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की जा सकें तथा विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु लोक अदालतों का आयोजन किया जा सके। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 5 दिसंबर 1995 को किया गया था। यह संपूर्ण देश में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु राज्य के विधिक अधिकरणों को दिशा-निर्देश जारी करता है।
- **ग्राम न्यायालय:** भारत में मोबाइल ग्राम न्यायालयों की स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत की गई थी ताकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली तक त्वरित एवं सुगम पहुँच को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार, ग्राम न्यायालय की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से की जायेगी।

VISION IAS

4.6. न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की समीक्षा

(Review of the Contempt of Courts Act, 1971)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विधि आयोग द्वारा "न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की समीक्षा" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

न्यायालय का अवमान

- **'न्यायालय का अवमान' पद का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है।** हालाँकि, इस पद को **न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971** द्वारा परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार न्यायालय का अवमान सिविल या आपराधिक प्रकृति का हो सकता है।
- **सिविल अवमान** का तात्पर्य किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया अथवा न्यायालय को प्रस्तुत की गई किसी अंडरटेकिंग का जानबूझकर अनुपालन न करने से है।
- **आपराधिक अवमान** का तात्पर्य है किसी भी मामले का प्रकाशन या ऐसा कार्य करना जो - (i) किसी न्यायालय को स्कैंडेलाइज या उसके अधिकार कम करता है; या (ii) किसी न्यायिक कार्यवाही को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है या उसमें हस्तक्षेप करता है; या (iii) किसी भी प्रकार से न्याय की स्थापना को बाधित करता है। उल्लेखनीय है कि 'स्कैंडेलाइजिंग द कोर्ट' का व्यापक अर्थ ऐसे भाषण या प्रकाशन से है जो न्याय व्यवस्था में लोगों के विश्वास को कम करता है।
- हालाँकि, किसी मामले के निर्दोष प्रकाशन और वितरण, न्यायिक कार्यवाहियों की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट, न्यायिक कार्यों की निष्पक्ष और तर्कसंगत आलोचना तथा न्यायपालिका के प्रशासनिक पक्ष पर टिप्पणी करने को न्यायालय के अवमान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है।

5 निर्वाचन

(Election)

5.1 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

[Electronic Voting Machine (EVM)]

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, EVMs की सुरक्षा को लेकर कई विवाद उत्पन्न हुए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के संबंध में

- EVM में एक **"कंट्रोल यूनिट"** और एक **"बैलेटिंग यूनिट"** संलग्न होता है। कंट्रोल यूनिट, चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी के पास तथा बैलेटिंग यूनिट मतदान कक्ष, जहां मतदाता गुप्त रूप से मतदान करता है, में रखी जाती है।
- यह कंट्रोल यूनिट में लगी सिंगल एल्कलाइन बैटरी से संचालित होती है और उन क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, जहाँ विद्युत् नहीं है।
- इनका निर्माण **इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)** द्वारा किया गया है।

भारतीय चुनावों में EVM का इतिहास

- EVM का **प्रथम प्रयोग 1982 के केरल विधानसभा चुनाव (उपचुनाव)** में किया गया था।
- हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 और चुनाव नियम 1961 के तहत EVM के प्रयोग की अनुमति नहीं होने के कारण इस चुनाव को रद्द घोषित कर दिया था।
- EVM के प्रयोग की अनुमति देने के लिए **1988 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** को संशोधित किया गया।
- सम्पूर्ण राज्य के लिए इसका स**र्वप्रथम प्रयोग 1999 में, गोवा विधान सभा चुनाव** में किया गया था।
- **लोकसभा** के लिए EVM का सर्वप्रथम प्रयोग 2004 के लोकसभा चुनावों में किया गया था।

EVMs में शामिल सुरक्षा संबंधी विशेषताएं

- **नॉन-रीप्रोग्रामेबल:** इसमें एक वन टाइम प्रोग्रामेबल (विनिर्माण के समय सॉफ्टवेयर बर्न किया जाता है) इंटीग्रेटेड सर्किट (IC) चिप लगी होती है जिसे रिप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है।
- **कोई बाह्य संचार हस्तक्षेप नहीं :** EVM के नेटवर्क का निर्माण किसी तार या बेतार प्रणाली द्वारा नहीं किया जाता है, और न ही ये किसी फ्रीक्वेंसी रिसीवर और डेटा डिकोडर से संबद्ध होती हैं, इसलिए इनमें कोई बाह्य संचार हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। कंट्रोल यूनिट (CU), बैलट यूनिट (BU) से केवल विशेष रूप से इन्क्रिप्टेड और डायनामिकली कोडेड डेटा ही स्वीकार करती है।
- नीदरलैंड और जर्मनी जैसे अन्य देश (जिन्होंने EVM का प्रयोग करना बंद कर दिया है) कंप्यूटर आधारित EVM का उपयोग करते हैं जो हैकिंग के प्रति सुभेद्य होती हैं, जबकि भारतीय EVM स्वतंत्र रूप से संचालित मशीनें हैं।
- **सुरक्षित सोर्स कोड**: BEL और ECIL में इंजीनियरों के चयनित समूह द्वारा सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड को देश में विकसित किया जाता है ।
- यह मतदाता को **केवल एक बार मतदान करने** की अनुमति देती है। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट (CU) के मतपत्र को सक्षम बनाने पर ही अगला मत दर्ज किया जा सकता है।
- **मतदान का समय मुद्रांकन** : EVM को रियल टाइम वाच, फुल डिस्प्ले सिस्टम और प्रत्येक बार बटन दबाने की प्रत्येक गतिविधि की टाइम-स्टैंपिंग की जाती है, अतः सिस्टम जनरेटेड /अप्रत्यक्ष मतदान की कोई संभावना नहीं होती है।
- **निर्माण के पश्चात टेम्परिंग (छेड़छाड़) के विरुद्ध सुरक्षा**: टेम्परिंग के मामले में मशीन स्वतः सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए स्वचालित रूप से बंद हो जाती है।

VISION IAS

- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु कार्यात्मक जाँच, ट्रायल रन, यादृच्छिक आवंटन, बहु-चरणीय परीक्षण, ड्राई रन और मतदान पश्चात सुरक्षित भंडारण जैसे विभिन्न प्रक्रियात्मक नियंत्रण और संतुलन (मानक संचालन प्रक्रिया) भी सम्मिलित हैं।

वोटर वैरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (Voter Verifiable Paper Audit Trail :VVPAT)

- VVPAT एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की कि उनका मत सही रूप से दर्ज हुआ है, की अनुमति प्रदान करती है। साथ ही विवादों के मामले में यह संभावित चुनाव धोखाधड़ी/दोषपूर्ण कार्यप्रणाली को ज्ञात करने और संग्रहीत परिणामों का ऑडिट करने के लिए एक साधन प्रदान करती है।
- **VVPAT** से, कंट्रोल यूनिट (CU) में मत की रिकॉर्डिंग के साथ उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ एक कागज की पर्ची दी जाती है। मतदान केंद्र में बैलट यूनिट (BU) से जुड़ी एक पारदर्शी विंडो में प्रिंटेड पर्ची प्रदर्शित होती है (7 सेकंड के लिए)।
- **सुब्रह्मण्यम् स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग** (2014) वाद में, उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्णित किया गया कि VVPAT मतदान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है और ECI द्वारा इसे लागू किया जाना चाहिए। आम चुनाव 2019 में, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में VVPAT का प्रयोग किया जाएगा।

5.2. परिसीमन आयोग

(Delimitation Commission)

सुर्खियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय द्वारा सिक्किम की लिम्बू और तमांग अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व संबंधी याचिका पर भारतीय परिसीमन आयोग (DCI), भारत निर्वाचन आयोग (ECI), केंद्र और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया है।

परिसीमन अधिनियम, 2002

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में 2001 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों) के विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जिसे संसद विधि द्वारा अवधारित करेगी।
- इसलिए, परिसीमन अधिनियम, 2002 को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को 2001 की जनगणना के आधार पर प्रभावी करने के उद्देश्य से परिसीमन आयोग की स्थापना करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
  - परिसीमन आयोगों की स्थापना 1952 (1951 की जनगणना), 1962 (1961 की जनगणना), 1972 (1971 की जनगणना) और 2002 (2001 की जनगणना) में की गई थी।

आयोग की प्रक्रिया और शक्तियां

- आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा और अपने कृत्यों के अनुपालन के संदर्भ में इसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।
- यदि सदस्यों के बीच कोई मतभेद है, **तो निर्णय बहुमत के आधार पर किए जाते हैं।**
- परिसीमन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित आदेशों को **भारत के राजपत्र और सम्बद्ध राज्यों के आधिकारिक राजपत्रों** में प्रकाशित किया जायेगा। साथ ही आयोग ऐसे आदेशों को कम से कम दो देशी भाषा के समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाएगा और रेडियो, टेलीविजन तथा जनता को उपलब्ध अन्य संभावित मीडिया मे प्रचारित करेगा।
- भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, ऐसा प्रत्येक आदेश विधि के रूप में मान्य होगा और इसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रकाशन के पश्चात यथाशीघ्र, ऐसा प्रत्येक आदेश लोकसभा और सम्बद्ध राज्यों की विधानसभाओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

VISION IAS

5.3 इलेक्ट्रॉनिक रूप से सम्प्रेषित डाक मतदान प्रणाली (ETPBS)

Electronically Transmitted Postal Ballot System (ETPBS)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, सेवाकर्मी मतदाताओं (सर्विस वोटर्स) के लिए चेंगानूर (केरल) विधानसभा उपचुनाव में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ETPBS) का प्रयोग किया गया।

सेवाकर्मी मतदाता (सर्विस वोटर)

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अनुसार सेवाकर्मी मतदाताओं में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं:

- संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य।
- सेना के सदस्य जिन पर सेना अधिनियम, 1950 के उपबंध लागू होते हैं।
- राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के उस राज्य के बाहर सेवारत सदस्य।
- भारत सरकार द्वारा भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित व्यक्ति।

भारत में प्रॉक्सी वोटिंग

भारतीय चुनाव में मतदान तीन तरीकों से किया जा सकता है-

- स्वयं
- डाक द्वारा
- और, प्रॉक्सी वोटिंग के माध्यम से।
- प्रॉक्सी वोटिंग के तहत, एक पंजीकृत मतदाता अपने मतदान के अधिकार को एक प्रतिनिधि को प्रत्यायोजित कर सकता है।
- सीमित रूप से इसकी शुरुआत लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों के हेतु 2003 में की गयी थी।
- एक "वर्गीकृत सेवा मतदाता" को उसकी अनुपस्थिति में उसकी ओर से वोट डालने के लिए एक प्रॉक्सी को नामित करने की अनुमति है।
- हालाँकि, एक सेवा मतदाता डाक मतपत्र द्वारा भी मतदान कर सकता है।
- हाल ही में, लोक सभा ने जनप्रतिनिधि (संशोधन) विधेयक, 2017 के माध्यम से धारा 60 मे संशोधन करके अनिवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति प्रदान की है (विशेष वर्गों के व्यक्तियों द्वारा मतदान की विशेष प्रक्रिया)।

ETPBS से संबंधित अन्य तथ्य-

- यह वैध सेवाकर्मी मतदाताओं को **पोस्टल बैलट पेपर (डाक मतपत्र) के इलेक्ट्रॉनिक रूप से त्वरित प्रेषण (पूर्व में डाक द्वारा प्रेषित किया जाता था)** की वैकल्पिक विधि प्रदान करता है।
- इसका विकास **निर्वाचन आयोग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC)** की सहायता से किया गया है।
- यह सेवाकर्मी मतदाताओं की विशिष्टता के लिए **QR कोड** का उपयोग करता है और प्रेषण में गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु OTP एवं PIN का प्रयोग करता है।
- पोस्टल बैलट को **इलेक्ट्रॉनिक डाटा फॉर्मेट** में मतदाताओं को **रियल टाइम** आधार पर प्रदान (डिलीवर) किया जाता है। मतदाता पोस्टल बैलट को डाउनलोड कर सकते हैं तथा इस प्रकार डाला गया मत डाक के माध्यम से पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- इसका **सर्वप्रथम प्रयोग 2016 में पुडुचेरी में नेल्लीथोप उप-चुनावों** में किया गया था।

VISION IAS

5.4. उपर्युक्त में से कोई भी नहीं (नोटा)

(None of the above: NOTA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (MSEC) ने हाल ही में स्थानीय निकायों के चुनावों हेतु एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार किसी सीट पर नोटा को सर्वाधिक मत प्राप्त होने की स्थिति में वहाँ पर पुनर्मतदान कराये जाएंगे।

NOTA से संबंधित तथ्य

- भारत में इसे 2013 के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के पश्चात् लागू किया गया था। इसे वोटिंग मशीन में एक विकल्प के रूप में अंकित किया गया है, जो मतदाताओं को मतदान के दौरान सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की अनुमति देने के लिए प्रदान किया गया है।
- हालांकि, **भारत में नोटा 'अस्वीकृति का अधिकार (right to reject)' प्रदान नहीं करता है।** यहाँ अधिकतम मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी चुनाव में विजयी घोषित किया जाता है और इस पर NOTA को प्राप्त हुए मतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- प्रत्याशियों द्वारा उनकी जमानत राशि वापस प्राप्त करने हेतु आवश्यक मतों (वैध मतों का 1/6ठा भाग) की गणना करते समय NOTA के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या को शामिल नहीं किया जाता है।
- चुनाव आयोग को वर्तमान में नए चुनावों के आयोजन हेतु पूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं है, भले ही NOTA को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हों।
- SC ने फैसला दिया है कि NOTA विकल्प केवल प्रत्यक्ष चुनावों के लिए प्रयोज्य है न कि राज्यसभा चुनावों जैसे अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए।
- NOTA को अधिक महत्व प्रदान किये जाने और इसके आधार पर नए चुनाव के आदेश दिये जाने के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम (Conduct of Election Rules) के **नियम संख्या 64 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।** यह कार्य कानून मंत्रालय द्वारा किया जा सकता है और इसे संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

नियम 64

यह **"निर्वाचन के परिणाम की घोषणा और निर्वाचन सम्बन्धी विवरण"** को संदर्भित करता है। किन्तु इस नियम के अंतर्गत उस स्थिति पर विचार नहीं किया गया है जिसमें NOTA पर डाले गए मतों की संख्या किसी भी प्रत्याशी को प्राप्त मतों की संख्या से अधिक हो।

5.5. दो निर्वाचन क्षेत्र नियम

(Two-Constituencies Norm)

सुर्खियों में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33(7) की संवैधानिक वैधता का परीक्षण किया जा रहा है। यह धारा एक उम्मीदवार को एक ही समय में दो सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान करती है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (दो निर्वाचन क्षेत्र नियम)

- मूल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, धारा 33 द्वारा एक व्यक्ति को एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की गयी है, जबकि अधिनियम की धारा 70 ने उसे राज्य या केंद्रीय विधायिका में एक से अधिक सीटों को धारण करने से प्रतिबंधित किया है।
- 1996 में किए गए RPA में संशोधन दो सीटों संबंधी प्रावधान पर सीमा आरोपित करते हैं।

VISION IAS

- हाल ही में ECI द्वारा एक सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए इस धारा में संशोधन करने का समर्थन किया गया है।

दोहरी सदस्यता पर सीटें रिक्त करना: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान उपबंधित करता है:

- यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुना लिया जाता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर एक सदन से अपनी सदस्यता का त्याग करना होगा। ऐसा करने में विफल होने की स्थिति में उसकी राज्यसभा की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
- यदि एक सदन के वर्तमान सदस्य को दूसरे सदन के लिए भी चुन लिया जाता है, तो पहले सदन में उसका स्थान रिक्त हो जाता है।
- यदि कोई व्यक्ति एक सदन में दो सीटों के लिए चुन लिया जाता है, तो उसे एक सीट का चयन करना होगा अन्यथा, दोनों स्थान रिक्त हो जाते हैं।
- इस प्रकार, एक व्यक्ति एक ही समय में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दोनों से निर्वाचित हो जाता है और यदि वह 14 दिनों के भीतर राज्य विधानसभा में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र नहीं देता है, तो संसद में उसका स्थान रिक्त हो जाता है।

5.6. व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी (SVEEP)

(Systematic Voters Education and Electoral Participation)

सुर्खियों में क्यों?

ECI की व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (SVEEP) पहल के लिए एक समर्पित पोर्टल प्रारम्भ किया गया।

SVEEP पहल के संबंध में

- यह भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता और मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए **भारतीय निर्वाचन आयोग** का एक प्रमुख कार्यक्रम है। 2009 से, ECI भारत के निर्वाचकों को तैयार करने और उन्हें चुनावी प्रक्रिया से संबंधित बुनियादी ज्ञान प्रदान करने की दिशा में प्रयास कर रहा है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा **"सुगम्य चुनावों पर एक राष्ट्रीय परामर्श"** का आयोजन किया गया है।
- यह ECI के मिशन, "लीव नो वोटर बिहाइंड", का भाग है इसके तहत "दिव्यांग व्यक्तियों पर विशेष ध्यान" (PwD) दिया गया है।

- इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में चुनाव के दौरान सभी पात्र नागरिकों को मतदान करने और सूचित निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करके वास्तविक सहभागी लोकतंत्र का निर्माण करना है।

5.7. सुर्खियों में रही RPA, 1951 की धाराएं

(Sections of RPA, 1951 In News)

धारा	विवरण
धारा 126	यह किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए तय अवधि से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान टेलीविजन या अन्य किसी प्रकार के उपकरण के माध्यम से, किसी भी तरह की चुनाव सामग्री के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है।
धारा 126 A	यह सभी राज्यों में प्रथम चरण के मतदान के लिए नियत समय के बाद और अंतिम चरण में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एक्जिट पोल के संचालन और उनके परिणामों के प्रसार पर निर्बंधन आरोपित करती है।

VISION IAS

धारा 151 A	• यह निर्दिष्ट करता है कि किसी भी रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन रिक्ति होने की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर कराया जाएगा। • यह उन परिस्थितियों को भी प्रावधानित करती है जिनके तहत इस धारा का कोई प्रावधान लागू नहीं होगा (जिसमें उप-निर्वाचन का संचालन नहीं किया जा सकता है) : ○ किसी रिक्ति से संबन्धित सदस्य की पदावधि का शेष भाग 1 वर्ष से कम है, या ○ निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार से परामर्श करके, यह प्रमाणित करता है कि उक्त अवधि के भीतर ऐसा उप-निर्वाचन कराना कठिन है।

VISION IAS

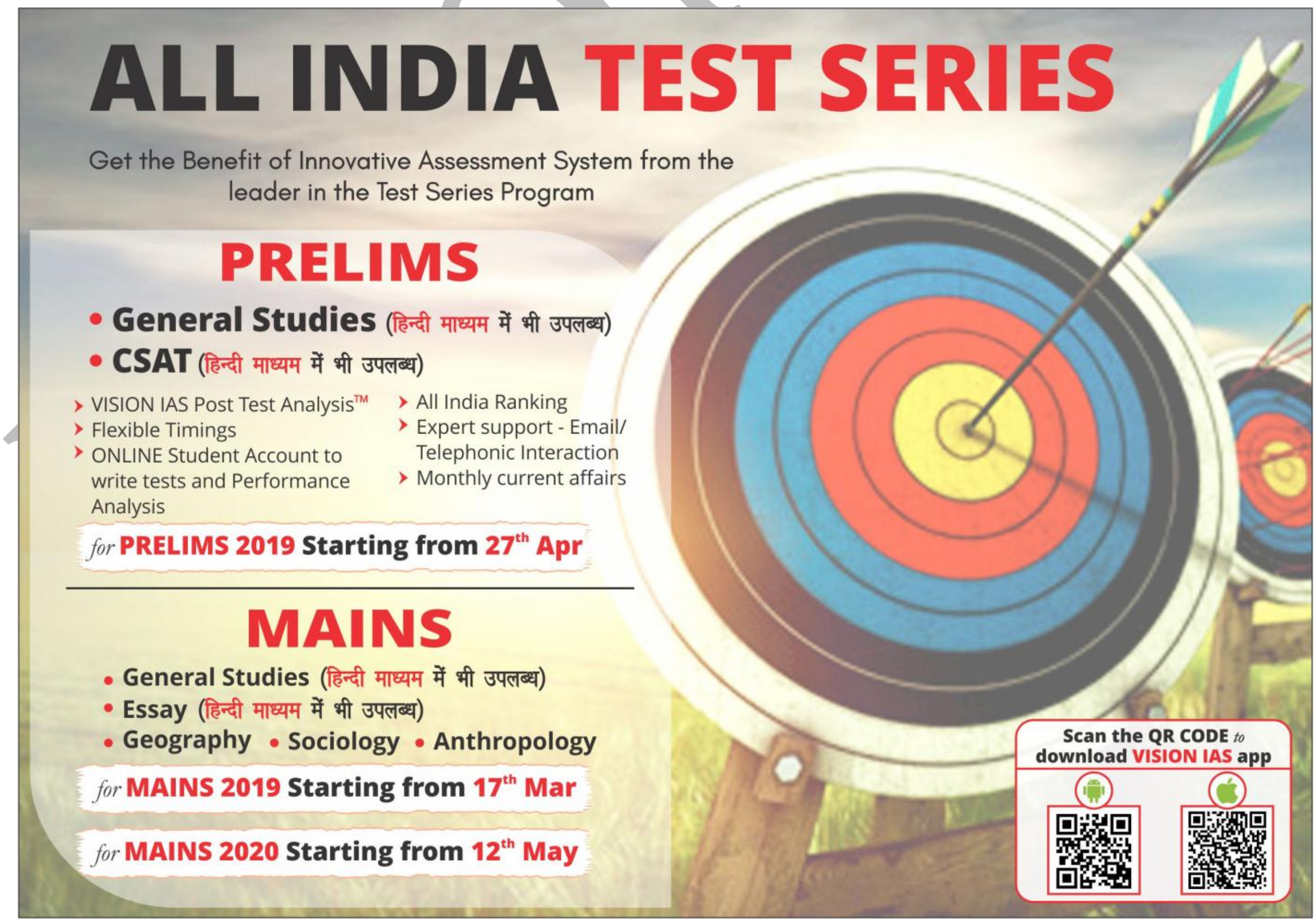

6. प्रमुख संवैधानिक संशोधन (विधेयक एवं अधिनियम)

(Major Constitutional Amendments (Bills And Acts)

6.1. 123 वां संविधान संशोधन विधेयक

(123rd Constitutional Amendment Bill)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में संसद द्वारा 123 संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया।

संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा संशोधन:

- **राजव्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित** उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत तथा साथ ही आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति के साथ साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता हैं।
- यदि एक या कुछ अथवा सभी शेष राज्य विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता; क्योंकि आधे राज्यों द्वारा अपनी सहमति देने से, औपचारिकता पूरी हो जाती है।
- विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान करने हेतु राज्यों के लिए **कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं** की गयी है।
- इसके तहत निम्नलिखित उपबंधों में संशोधन किया जा सकता है:
  - राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया।
  - केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार।
  - उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय।
  - संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन।
  - सातवीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय।
  - संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
  - संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया (स्वयं अनुच्छेद 368)।

संबंधित अन्य तथ्य

- एक नया अनुच्छेद 338B शामिल किया गया जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC), इसकी संरचना, अधिदेश, कार्यों और विभिन्न अधिकारियों से संबंधित प्रावधान करता है।
- एक नया अनुच्छेद 342A अंतःस्थापित किया गया है जो राष्ट्रपति विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को चिन्हित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर सकता है। परंतु पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन के लिए संसद द्वारा विधि पारित किए जाने की आवश्यकता होगी।
- यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की परिभाषित करने के लिए उपखंड 26C को अंतःस्थापित करने हेतु अनुच्छेद 366 में भी संशोधन करेगा।
- यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के समान दर्जा प्रदान करेगा।
- विधेयक को **आधे राज्यों के साधारण बहुमत से स्वीकृति प्राप्त होने और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात NCBC को संवैधानिक दर्जा** प्राप्त हो जाएगा।

विधेयक के अन्य प्रावधान

- **संरचना और सेवा शर्तें:** संविधान संशोधन विधेयक के तहत, NCBC में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पांच सदस्य शामिल होंगे। उनके कार्यकाल और सेवा की शर्तें भी राष्ट्रपति द्वारा नियमों के माध्यम से निर्धारित की जाएंगी।
- **कार्य:** NCBC के कर्तव्यों में सम्मिलित होंगे:
  - संविधान और अन्य विधियों के तहत पिछड़े वर्गों को प्रदत्त सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की जांच एवं निगरानी करना।
  - अधिकारों के उल्लंघन के मामलें में विशिष्ट शिकायतों के संबंध में पूछताछ करना, और
  - ऐसे वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर सलाह प्रदान करना और इस संबंध में अनुशंसा करना।

VISION IAS

- केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर NCBC के साथ परामर्श करने की आवश्यकता होगी।
- पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा उपायों पर कार्य करने हेतु NCBC को राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आवश्यकता होगी। ये रिपोर्ट संसद और संबंधित राज्यों की राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत की जाएगी।

- **एक सिविल कोर्ट की शक्तियां:** NCBC के पास किसी भी शिकायत की जांच अथवा पूछताछ करते समय एक सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी। इन शक्तियों में शामिल हैं: (i) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना, (ii) किसी दस्तावेज या सार्वजनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करना तथा (iii) साक्ष्य प्राप्त करना।

6.2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण

(Reservation for Economically Weaker Sections)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति ने **संविधान संशोधन (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019** (124वां संविधान संशोधन विधेयक) को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह अधिनियम **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS)** को सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में **10 प्रतिशत आरक्षण** प्रदान करता है, ध्यातव्य है कि ये वर्ग किसी भी आरक्षण योजना द्वारा आच्छादित नहीं हैं।

इस संशोधन की प्रमुख विशेषताएं:

- यह अधिनियम सरकार को "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" (EWS) की प्रगति हेतु विशिष्ट उपाय (आरक्षण तक सीमित नहीं) करने हेतु सशक्त करने के लिए **अनुच्छेद 15(6) को संशोधित करता है।**
  - इसके तहत इस प्रकार के वर्गों के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया जा सकता है। यह आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर **लागू नहीं** होगा।
- यह संशोधन **अनुच्छेद 16(6) को अंतःस्थापित करता** है, जो सरकार को नागरिकों के "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" हेतु सभी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण करने हेतु सक्षम बनाता है।
- EWS को 10% तक का आरक्षण अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु प्रदत्त 50% के वर्तमान आरक्षण सीमा के अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।
- केंद्र सरकार पारिवारिक आय एवं आर्थिक पिछड़ेपन के अन्य संकेतकों के आधार पर नागरिकों के **"आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों"** को अधिसूचित करेगी।
- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को संवैधानिक मान्यता:** यह प्रथम अवसर है जब किसी आर्थिक वर्ग को संवैधानिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्यता दी गई तथा यह वर्ग सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम के आधार का निर्माण करेगा। यह सकारात्मक कार्रवाई के निर्धारण हेतु पारंपरिक रूप से प्रयुक्त जाति संबंधी केंद्रीयता के प्रस्थान को इंगित करता है।

6.3 प्रोन्नति में आरक्षण

(Reservation in Promotion)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को "विधि के अनुरूप" प्रोन्नति में आरक्षण** प्रदान करने की अनुमति प्रदान की है। उदाहरण के लिए **एम नागराज वाद (2006) में निर्धारित दिशा-निर्देश**

- पांच-न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने SC एवं ST समुदायों के बीच पिछड़ेपन को दर्शाने वाला "मात्रात्मक डेटा एकत्र करने" की आवश्यकता के बिना सरकारी नौकरियों में SCs एवं STs को पदोन्नति के लिए कोटा प्रदान करने की अनुमति दी। ध्यातव्य है कि यह आवश्यकता 2006 के नागराज निर्णय के अधिदेश के तहत तय की गई थी।

संबंधित वाद और संशोधन

- अनुच्छेद 15 (4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने की अनुमति प्रदान करता है।

VISION IAS

इंदिरा साहनी वाद (1992) में नौ न्यायाधीशों की पीठ

- हालांकि, **77वें संविधान संशोधन** द्वारा अनुच्छेद 16 में **खंड 4A को** अंतःस्थापित किया गया और प्रोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को पुनर्स्थापित कर दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए मंडल आयोग द्वारा प्रस्तावित 27 प्रतिशत कोटा इस शर्त के साथ बरकरार रखा कि संयुक्त आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- इसने उच्च जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु 10% सरकारी नौकरियों के आरक्षण की सरकारी अधिसूचना को भी निष्प्रभावी कर दिया, क्योंकि संविधान केवल सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **क्रीमी लेयर को पिछड़े वर्गों से हटाया जाना चाहिए।**
- **पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए।**
- चूंकि इंद्रा साहनी वाद ने पदोन्नति और परिणामी वरिष्ठता में आरक्षण को अस्वीकृत कर दिया, अतः संसद ने 1995, 2000 और 2002 में तीन संवैधानिक संशोधन लागू किए, जिनमें से सबसे अधिक विवादास्पद अनुच्छेद 16 (4A) था।
- **77वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1995 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 16 (4A):** यह उन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति के मामलों में आरक्षण की अनुमति देता है, जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- 85वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा प्रोन्नत SC/ST व्यक्तियों को "परिणामी वरिष्ठता" प्रदान करने का प्रावधान पुन: लागू कर दिया गया।
- नागराज केस (2006) में पांच न्यायाधीशों की पीठ:
  - न्यायालय ने इन संशोधनों की संवैधानिक वैधता को विद्यमान रखा।
  - लेकिन यह भी कहा कि पदोन्नति में कोटा प्रदान करने के लिए राज्यों को निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध करानी होंगी:
    - अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के पिछड़ेपन से संबंधित मात्रात्मक डेटा
    - उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित तथ्य
    - समग्र प्रशासनिक दक्षता।
    - 50% की उच्चतम -सीमा का उल्लंघन न करना या क्रीमी लेयर को न हटाना या अनिश्चित काल तक आरक्षण का विस्तार करना।

6.4. उत्तर-पूर्व हेतु स्वशासी परिषद

(North-East Autonomous Councils)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में छठी अनुसूची में सम्मिलित अधिसूचित क्षेत्रों के तहत 10 स्वशासी परिषदों की वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों में वृद्धि करने हेतु राज्य सभा में संविधान (125वां संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत किया गया।

सम्बंधित जानकारी

पांचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244 (1)) - यह अनुसूचित क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित है। इस अनुसूची की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:

- यह एक जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन के प्रावधान से संबंधित है।
  - हालांकि, पांचवीं अनुसूची में परिषद के गठन में राज्य विधानमंडल की भूमिका होती है, जबकि छठी अनुसूची में यह संविधान का उत्पाद है।
  - पांचवीं अनुसूची में, जनजातीय सलाहकार परिषद के पास राज्य सरकार को केवल सलाह देने की शक्ति है और वह भी केवल उन मामलों पर जिन पर ऐसा करने के लिए राज्यपाल द्वारा परिषद को संदर्भित किया जाए।
  - इसे पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों की परिषद के विपरीत स्वयं के लिए बजट तैयार करने की वित्तीय शक्ति प्राप्त है।
  - छठी अनुसूची की परिषदें विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों के लिए भारत की संचित निधि से भी धन प्राप्त करती हैं।
- राज्यपाल को संसद और राज्य विधायिका द्वारा पारित कानूनों को इन क्षेत्रों के अनुरूप अनुकूलित करने की शक्ति प्राप्त है।
- यह राज्यपाल को क्षेत्र के लिए सुशासन और शांति के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
- पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए संघ द्वारा राज्य को प्रदत्त निर्देशों के विस्तार से भी संबंधित है।

VISION IAS

स्वशासी परिषदों और छठी अनुसूची के विषय में

- **छठी अनुसूची** उत्तर-पूर्व के चार राज्यों यथा-**असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम** के **जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन** से संबंधित है।
- संविधान के तहत इन क्षेत्रों हेतु विशिष्ट प्रावधान इसलिए किया गया है ,क्योंकि इन राज्यों की जनजातियों ने इन राज्यों में निवास करने वाले अन्य लोगों की जीवनशैली और जीवन यापन के तरीकों को **पूर्णतः आत्मसात नहीं** किया है।
- इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का गठन **स्वशासी जिलों** के रूप में किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में 30 सदस्यों से निर्मित एक **स्वशासी जिला परिषद है**। वर्तमान में ऐसी परिषदों की संख्या 10 है।
- इन स्वशासी परिषदों की कुछ **शक्तियां एवं कार्य** निम्नलिखित हैं:
- वे **कुछ विशिष्ट विषयों जैसे कि** भूमि, वन, नहर के जल, स्थानांतरी कृषि, सम्पत्ति के उत्तराधिकार, विवाह, तलाक इत्यादि पर **विधि का निर्माण** कर सकती हैं। परन्तु इस हेतु उन्हें राज्यपाल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  - वे अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत जनजातियों के मध्य मुकदमों और वादों की सुनवाई हेतु अपने **ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन** कर सकती हैं।
  - वे जिले में **प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों,** फेरी, मत्स्य पालन क्षेत्रों, सड़कों इत्यादि **की स्थापना, निर्माण और उनका प्रबंधन** कर सकती हैं।
  - वे **गैर-जनजातीय लोगों द्वारा धन उधार देने और व्यापार को नियंत्रित करने हेतु विनियम** बना सकती हैं, परन्तु इस हेतु उन्हें राज्यपाल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  - उन्हें **भू-राजस्व के आकलन और संग्रहण तथा कुछ विशिष्ट करों के अधिरोपण** हेतु शक्तियाँ प्राप्त हैं।
  - अनुच्छेद 244A, असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करके एक स्वशासी राज्य बनाने और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों के सृजन का प्रावधान करता है।

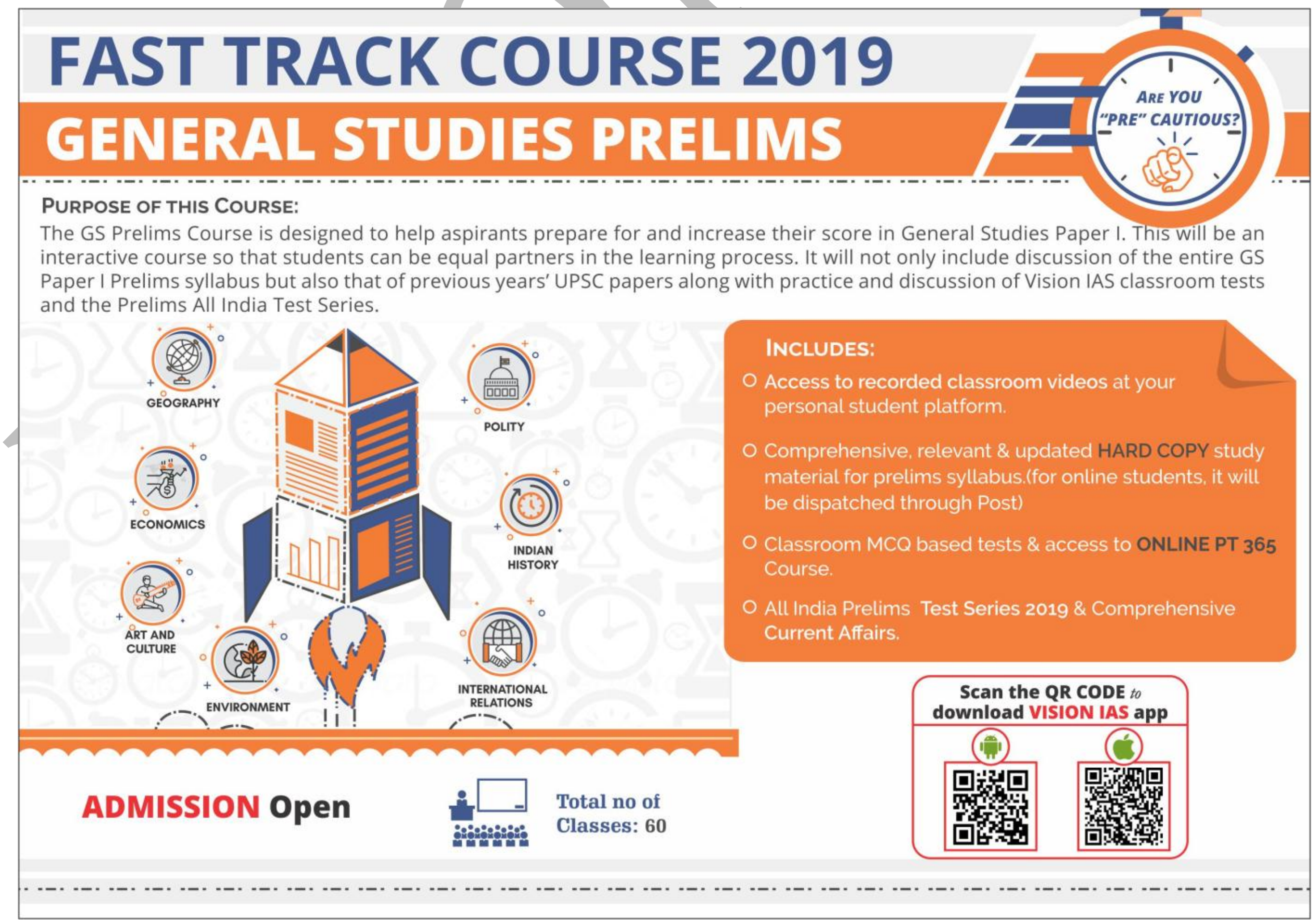

7. महत्वपूर्ण विधान / विधेयक

(Important Legislations / Bills)

7.1. नागरिकता संशोधन विधेयक - 2016

(Citizenship Amendment Bill - 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, व्यपगत हुए नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2016 का देश के कई भागों में विरोध किया गया।

नागरिकता अधिनियम, 1955

- यह अधिनियम जन्म, वंश ,पंजीकरण, देशीकरण एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान करता है।
- यह अधिनियम **अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से वंचित** करता है। यह अवैध प्रवासियों को ऐसे विदेशी के रूप में परिभाषित करता है, जिसने (i) भारत में बिना किसी वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के प्रवेश किया हो (ii) वह स्वीकृत अवधि से अधिक भारत में निवास कर रहा हो।
- यह **भारत के ओवरसीज नागरिक (OCIs) कार्डधारकों तथा उनके अधिकारों को विनियमित करता** है। एक OCI भारत आगमन हेतु मल्टी-एंट्री, मल्टी-पर्पज लाइफ-लॉन्ग वीजा प्राप्त कर सकता है।
- यह केंद्र सरकार को धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकरण, पंजीकरण की 5 वर्ष की अवधि में 2 वर्ष से अधिक का कारावास के दंड, संप्रभुता एवं देश की सुरक्षा इत्यादि आधार पर OCIs के पंजीकरण को रद्द करने हेतु सक्षम बनाता है।

विधेयक के प्रावधान

- **अवैध प्रवासियों की परिभाषा:** उल्लेखनीय है कि नागरिकता अधिनियम, 1955 अवैध प्रवासियों द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के संबंध मे प्रतिबंध आरोपित करता है, वहीं नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 द्वारा इस अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया गया है ताकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए **'उत्पीड़ित' गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक** (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों) जो 31 दिसंबर, 2014 को या इससे पूर्व भारत आ गए हों तथा जो भारतीय नागरिकता हेतु आवश्यक वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना निवास कर रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सके। हालाँकि, इसका लाभ प्रदान करने हेतु उन्हें केंद्र सरकार के पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 के प्रावधानों से छूट प्रदान की जाएगी।
- **देशीकरण द्वारा नागरिकता:** यह संशोधन देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए निवास संबंधी योग्यता की कुल अवधि को 11 वर्षों से घटाकर 6 वर्ष तक करने के साथ-साथ विगत 12 माह से निरंतर निवास करने का प्रावधान करता है।
- **भारत के ओवरसीज नागरिक (Overseas Citizens of India: OCIs) के पंजीकरण को रद्द करना:** इस विधेयक में OCI के पंजीकरण को रद्द करने (यदि उनके द्वारा देश के किसी भी कानून का उल्लंघन किया जाता है) का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

संबंधित समाचार - OCI कार्ड धारकों के लिए पूर्ण नागरिकता की मांग, PIO (भारतीय मूल व्यक्ति) और OCI कार्ड का विलय

OCI कार्ड के लाभ

- किसी भी उद्देश्य हेतु भारत आने के लिए **एकाधिक प्रवेश आजीवन वीजा** (हालांकि OCI कार्डधारकों को भारत में अनुसंधान कार्य करने के लिए एक विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी जिसके लिए वे संबंधित इंडियन मिशन / पोस्ट / FRRO को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं)।
- भारत में रहने की किसी भी अवधि के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी

VISION IAS

(FRO) के समक्ष **पंजीकरण से छूट।**

- **अनिवासी भारतीयों (NRIs) के साथ समानता**
  - कृषि या बागानी संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में उन्हें उपलब्ध सभी सुविधाओं के संबंध में।
  - भारतीय बच्चों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण (गोद लेने) के मामले में।
- भारत में घरेलू क्षेत्रों में हवाई किराए में शुल्क के मामले में निवासी भारतीय नागरिकों के समान व्यवहार किया जाता है।
- भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भ्रमण हेतु घरेलू भारतीय आगंतुकों के समान प्रवेश शुल्क आरोपित किया जाता है।
- OCI कार्डधारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1) (g) के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं, यदि वह पांच वर्ष से OCI कार्डधारक के रूप में पंजीकृत है और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले बारह महीने से भारत में औपचारिक रूप से निवास कर रहा है।

OCI कार्ड धारकों के लिए प्रतिबंध

- OCI कार्डधारक को मतदान करने, विधान सभा या विधान परिषद या संसद का सदस्य होने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन होने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
- OCI कार्डधारक इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार के विशेष आदेश द्वारा नियुक्ति के अतिरिक्त लोक सेवा तथा संघ या किसी भी राज्य के प्रशासन से संबंधित पदों पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।
- इसके अलावा, **OCI कार्डधारक भारत में कृषि या बागान सम्पतियों का अधिग्रहण नहीं कर सकता है।**

7.2. शत्रु संपत्ति अधिनियम

(Enemy Property Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शत्रु संपत्तियों की बिक्री हेतु तंत्र एवं प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विवरण

- युद्धों के दौरान जब्त की गई शत्रु संपत्ति को प्रशासित करने के लिए, सरकार द्वारा 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम को लागू किया गया था।
- यह अधिनियम **"शत्रु संपत्ति"** को ऐसी संपत्ति के रूप में परिभाषित करता है, जो किसी शत्रु, शत्रु आश्रित या शत्रु फर्म की हो, उनके द्वारा धारित की गई हो या उनकी ओर से प्रबंधित की जा रही हो।
  - भारत रक्षा अधिनियमों में **'शत्रु' को एक ऐसे देश के रूप में परिभाषित** किया गया है, जिसने भारत के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही की हो।
- शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत **शत्रु संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए कस्टोडियन ऑफ़ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ़ इंडिया (CEPI) की शक्तियों को निर्धारित किया गया है।**
  - CEPI की स्थापना गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई है और इसे भारत रक्षा अधिनियम के तहत भारत में पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर जब्त करने की शक्ति प्रदान की गयी है।
  - हाल ही में स्वीकृत तंत्र और प्रक्रिया के तहत इसे **शत्रु के शेयरों की बिक्री के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं।**
- शत्रु संपत्तियों के विक्रय के लिए **निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग** (DIPAM) को शत्रु संपत्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिकृत किया गया है।
- **बिक्री द्वारा अर्जित आय को विनिवेश आय के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा संरक्षित सरकारी खाते में जमा किया जाएगा।**
- हाल ही में, शत्रु संपत्ति (संशोधन और वैधता) अधिनियम, 2017 में किया गया संशोधन यह सुनिश्चित करता है की **विभाजन के दौरान पाकिस्तान और चीन को पलायन करने वाले लोगों की भारत में बची हुई संपत्तियों पर उनके किसी भी उत्तराधिकारी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

VISION IAS

7.3. बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम

(Prohibition of Benami Property Transactions Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार द्वारा 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्र न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है, जो बेनामी लेनदेन कानून के तहत अपराधों की जांच-पड़ताल के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में कार्य करेंगे।

बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018

- यह नई योजना **आयकर विभाग** द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य काले धन का पता लगाने एवं कर अपवंचन को कम करने के प्रयासों में जनसामान्य की भागीदारी को सुनिश्चित करना है।
- बेनामी लेनदेन और संपत्तियों के साथ-साथ आय के संबंध में निर्धारित विधि से विशिष्ट जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्ति को **1 करोड़ रूपये तक की पुरस्कार राशि** प्रदान की जाएगी। ज्ञातव्य है कि इस प्रकार की सम्पत्तियों को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित 'बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988' के तहत कार्रवाई योग्य घोषित किया गया है।
- इस योजना के तहत **विदेशी भी पुरस्कार राशि को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे**। इसके अतिरिक्त सूचना प्रदान करने वाले व्यक्तियों की पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा तथा गोपनीयता का सख्ती से पालन किया जाएगा।

बेनामी लेनदेन कानून के मुख्य प्रावधान

- वर्ष 2016 में संशोधित 1988 का अधिनियम, लेनदेन को एक ऐसे **बेनामी लेनदेन के रूप** में परिभाषित करता है, जहां एक संपत्ति किसी व्यक्ति के स्वामित्व के अंतर्गत होती है या किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित की जाती है, परंतु उसके मूल्य का भुगतान किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इस परिभाषा के अंतर्गत ऐसे संपत्ति लेनदेन भी शामिल हैं, जहां i) एक काल्पनिक नाम के तहत लेनदेन किया जाता है; ii) किसी संपत्ति का स्वामी उसके स्वामित्व से अवगत नहीं है या अवगत होने से इनकार करता है; iii) संपत्ति प्रदान करने वाले व्यक्ति के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु किए गए प्रमुख परिवर्तन हैं - चार प्राधिकरणों यथा- **प्रारंभिक अधिकारी, अनुमोदन प्राधिकारी, प्रशासक और निर्णायक प्राधिकरण** को सम्मिलित किया गया है, जो बेनामी लेनदेन से संबंधित जांच-पड़ताल एवं पूछताछ करेंगे। एक अपीलीय न्यायाधिकरण, निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित अपीलों की सुनवाई करेगा, और इसके पश्चात इनकी सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकेगी।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के रूप में घोषित इस अपराध के ट्रायल हेतु एक या अधिक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में कार्य करने हेतु नामित करने के लिए निर्देशित करता है। विशेष न्यायालय को शिकायत दाखिल करने की तिथि से छह महीने के भीतर मामले का निपटान करना अनिवार्य है।

हालिया कदम

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बेनामी संपत्ति लेनदेन (निषेध) अधिनियम,1988 (PBPT) के तहत **निर्णायक प्राधिकरण की नियुक्ति और अपीलीय न्यायाधिकरण** की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- PBPT अधिनियम के तहत निर्णायक प्राधिकरण की नियुक्ति द्वारा प्रथम स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी तथा प्रस्तावित अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के लिए अपीलीय तंत्र प्रदान करेगी।

7.4. भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक (FEOB), 2018

[Fugitive Economic Offenders Bill (FEOB), 2018]

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक (FEOB), 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई है।

VISION IAS

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- यह अधिनियम किसी व्यक्ति को एक **भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) के रूप में** घोषित करने की अनुमति प्रदान करता है **यदि**:
  - किसी भी निर्दिष्ट अपराध के लिए उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो जहां मामला 100 करोड़ रुपये से अधिक का हो, और
  - उसने देश छोड़ दिया हो और अभियोजन का सामना करने हेतु वापस लौटने से इंकार कर दिया हो।
- यह न केवल लोन डिफॉल्टर और फ्रॉड्सटर को शामिल करता है, बल्कि उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो कर, काले धन, बेनामी संपत्तियों और वित्तीय भ्रष्टाचार से संबंधित कानूनों का उल्लंघन करते हैं।
- **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** विधि प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च एजेंसी होगी।
- किसी व्यक्ति को FEO घोषित करने के लिए, **एक विशेष अदालत (धन शोधन निवारण अधिनियम , 2002 के तहत नामित)** में एक आवेदन दायर किया जाएगा जिसमें जब्त की जाने वाली संपत्ति का विवरण, और व्यक्ति के अता-पता से संबंधित कोई जानकारी शामिल होगी।
- विशेष अदालत को व्यक्ति को किसी निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने से कम से कम छह सप्ताह का समय दिया जाएगा । यदि व्यक्ति उपस्थित हो जाता है तो कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी।
- यह अधिनियम विशेष अदालत के समक्ष आवेदन लंबित होने की स्थिति में अधिकारियों को **अस्थायी रूप से आरोपी की सम्पत्ति को कुर्क करने** की अनुमति प्रदान करता है।
- FEO के रूप में घोषित होने पर, किसी व्यक्ति की **संपत्ति को जब्त किया जा सकता है** और ऋणभार(संपत्ति से संबंधित अधिकारों और दावों) से मुक्त संपत्ति को केंद्र सरकार से संबद्ध(vested in) किया जा सकता है,।
- भगोड़े के रूप में वर्गीकृत व्यक्ति ,जबतक भारत वापस नहीं आते हैं और अभियोजन का सामना नहीं करते हैं , वे भारत में **कोई भी सिविल केस दायर करने में सक्षम नहीं होंगे** ।

7.5. भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018

(Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018 पारित किया गया है, यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करता है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

- इस अधिनियम का विस्तार जम्मू-कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में है।
- इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन **विशेष न्यायाधीशों** को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था।
- इस अधिनियम में **साक्ष्य प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व अभियोजन पक्ष से अभियुक्त पर स्थानांतरित किया गया है।**
- इस अधिनियम के अंतर्गत, सरकार से वेतन प्राप्त करने वाला और सरकारी सेवा में कार्यरत या सरकारी विभाग, कंपनियों या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी भी उपक्रम में कार्यरत किसी व्यक्ति को **'लोक सेवक'** के रूप में परिभाषित किया गया है।
- इस अधिनियम के तहत अवैध परितोषण लेना, आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग, आर्थिक लाभ प्राप्त करना आदि को अपराध की श्रेणी में रखा गया है
- **सांसदों और विधायकों** को इस अधिनियम से बाहर रखा गया है।
- यदि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अपराध सिद्ध हो जाते हैं, तो उसे **कारावास की सजा, जिसकी अवधि छह माह से कम नहीं होगी और जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, का प्रावधान किया गया है।**

VISION IAS

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- वर्तमान में, सार्वजनिक अधिकारियों की भ्रष्ट गतिविधियों से संबंधित अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 द्वारा विनियमित किए जाते हैं।
- 2011 में, भारत द्वारा **यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन** की पुष्टि की गई और अपने घरेलू कानूनों को इस सम्मेलन के अनुरूप बनाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। इसके तहत एक सरकारी कर्मचारी द्वारा अवैध तरीके से धन एवं संपत्ति प्राप्त करने और रिश्वत देने एवं लेने को अपराध की श्रेणी में शामिल करना, विदेशी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने और निजी क्षेत्र में रिश्वत संबंधी गतिविधियों को संबोधित करना आदि शामिल हैं।

यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन

- यह एकमात्र विधिक रूप से बाध्यकारी सार्वभौमिक भ्रष्टाचार विरोधी उपकरण है।
- इसमें पांच मुख्य क्षेत्र शामिल हैं: निवारक उपाय, अपराधीकरण और कानून प्रवर्तन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, संपत्ति पुनर्प्राप्ति, और तकनीकी सहायता एवं सूचना का आदान-प्रदान।
- इसमें भ्रष्टाचार के विभिन्न प्रकार शामिल हैं, जैसे रिश्वत, प्रभाव का प्रयोग, पद का दुरुपयोग, और निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार संबंधी विभिन्न गतिविधियाँ।

8. सुर्ख़ियों में महत्वपूर्ण संवैधानिक / सांविधिक / कार्यकारी निकाय

(Important Constitutional/ Statutory/ Executive Bodies in News)

8.1. संघ लोक सेवा आयोग

(Union Public Service Commission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र द्वारा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सदस्यों की नियुक्ति संबंधी नियमों में परिवर्तन किया गया है, इन परिवर्तनों का उद्देश्य इन नियमों को केंद्र सरकार के सचिवों की नियुक्ति के नियमों के समान बनाना है, न की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के नियमों के समरूप, (जैसा की पूर्वती व्यवस्था में प्रचलित था)।

UPSC के संबंध में

- **अनुच्छेद 315** के तहत केंद्र एवं प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
- यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। **संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323** तक में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की स्वतंत्रता, शक्तियों एवं कार्यों के अतिरिक्त इसके संगठन तथा सदस्यों की नियुक्तियां और पदमुक्ति इत्यादि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 316- सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल:

- UPSC में एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य सम्मिलित होते हैं, जिनकी **नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है**। संविधान के तहत आयोग की सदस्य संख्या को निर्धारित नहीं किया गया है तथा इसे राष्ट्रपति (जो इसकी संरचना को निर्धारित करता है) के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त आयोग की सदस्यता के लिए **कोई योग्यता निर्धारित नहीं है**, परंतु एक अर्हता यह है की आयोग के कुल सदस्यों में से आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो कि भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के तहत कम से कम **दस वर्ष तक किसी पद पर कार्यरत रहे हों**।
- संविधान द्वारा **राष्ट्रपति को अध्यक्ष एवं आयोग के अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने हेतु भी अधिकृत** किया गया है।
- आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य **छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु**, जो भी पहले हो, तक अपना पद धारण करता है। हालांकि, वे राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप कर किसी भी समय पद मुक्त हो सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुरूप पद से हटाया जा सकता है।

संघ लोक सेवा आयोग के कार्य:

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 320** के तहत, आयोग से, लोक सेवाओं और अन्य पदों पर भर्ती से संबंधित सभी मामलों पर परामर्श देना आयोग का कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं:

- संघ की सेवाओं में नियुक्ति हेतु **परीक्षाओं का संचालन** करना।
- साक्षात्कार के माध्यम से **प्रत्यक्ष भर्ती** द्वारा चयन करना।
- पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन (absorption) पर अधिकारियों की नियुक्ति करना।
- सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं एवं पदों के लिए **भर्ती संबंधी नियमों** का निर्धारण और संशोधन करना।
- विभिन्न लोक सेवाओं से संबंधित **अनुशासनात्मक मामलों** का निर्धारण करना।
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामले पर **सरकार को परामर्श प्रदान करना**।

8.2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(Central Bureau of Investigation: CBI)

सुर्खियों में क्यों?

आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को दी गई **"सामान्य सहमति"** को वापस ले लिया है। यह कदम इन दोनों राज्यों में एजेंसी द्वारा पूर्व अनुमति के बिना की जाने वाली कार्यवाही की शक्ति को प्रभावी रूप से कम करेगा।

VISION IAS

सामान्य सहमति (General Consent)

- चूंकि यह निर्दिष्ट है कि CBI के अधिकार क्षेत्र में केवल केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारियों से संबंधित मामले आते हैं, अतः यह केवल राज्य सरकार की सहमति के पश्चात ही ऐसे मामलों की जाँच कर सकती है जो उस राज्य के कर्मचारियों से संबद्ध हों या उस राज्य में हिंसक अपराधों से जुड़े हों। इस प्रकार **हर बार अनुमति लेने से बचने के लिए** मामला-विशिष्ट (case-specific) सहमति के बजाय यह सामान्य सहमति प्राप्त कर लेती है।
- सामान्य सहमति आम तौर पर छह महीने से लेकर एक वर्ष तक की अवधि के लिए दी जाती है।

अन्य संबंधित तथ्य

- CBI {जिसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (Delhi Special Police Establishment: DSPE) अधिनियम,1946 के तहत स्थापित किया गया था} को अब जांच के लिए प्रत्येक मामले के लिए हर बार **राज्य सरकार से एक अलग अनुमति प्राप्त करनी होगी।**
- यह प्रथम अवसर नहीं है। विगत कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों ने कुछ समय के लिए सामान्य सहमति वापस लेने सम्बन्धी कदम पहले उठाये हैं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

- यह भ्रष्टाचार और प्रमुख आपराधिक जांच से संबंधित मामलों के लिए केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है।
- यह एक सांविधिक निकाय **नहीं** है।
- लोकपाल अधिनियम 2013 द्वारा यह निर्धारित किया गया कि CBI के निदेशक को एक समिति की अनुशंसा पर नियुक्त किया जाएगा। इस समिति के सदस्यों में **प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश** सम्मिलित होंगे।
- केंद्र सरकार केवल संबंधित राज्य सरकार की **सहमति से ही** राज्य के किसी अपराध की जांच करने के लिए CBI को अधिकृत कर सकती है। हालांकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय **राज्य की सहमति के बिना** भी देश में कहीं भी ऐसे अपराध की जांच करने के लिए CBI को आदेश दे सकते हैं।

8.3. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

(Competition Commission of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में इसके द्वारा नियुक्त किए गए सदस्यों को कम करने का निश्चय किया है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

- इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए स्थापित किया गया था। आयोग के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :
    - प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना।
    - बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा इसे बनाए रखना।

- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
- भारतीय बाजारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किये जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना।

- अप्रैल 2018 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने CCI के आकार को संतुलित करने के उद्देश्य से इसे सात सदस्यीय (एक अध्यक्ष और छह सदस्य) से 4 सदस्यीय (एक अध्यक्ष और तीन सदस्य) में परिवर्तित करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है।

8.4. केंद्रीय सूचना आयोग

(Central Information Commission)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गयी है।

केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में

- इसकी स्थापना उन व्यक्तियों की शिकायतों पर कार्रवाई करने हेतु **सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत** की गयी थी जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचना अनुरोध प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं।
- इसमें **एक मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और दस से अधिक सूचना आयुक्त (IC) सम्मिलित हैं,** जिनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, समिति के सदस्यों में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष रूप में), लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं।
- आयोग के क्षेत्राधिकार में सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारी आते हैं।
- सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयोग एकमात्र अपीलीय प्राधिकारी होता है, जो किसी निकाय को सार्वजनिक प्राधिकारी घोषित कर सकता है यदि वह इस पर आश्वस्त हो जाता है कि संगठन सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सम्मिलित किए जाने संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

8.5. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

(National Commission for Protection of Child Rights)

सुर्खियों में क्यों?

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की।

NCPCR के संदर्भ में

- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत बाल अधिकार **संरक्षण आयोग** अधिनियम, 2005 के तहत एक सांविधिक निकाय है।
- आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी विधियाँ, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान में निहित बाल अधिकार और UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ चाइल्ड के दृष्टिकोण के अनुरूप हो। **0 से 18 वर्ष के समूह के एक व्यक्ति को बालक के रूप में परिभाषित किया गया है।**
- आयोग के सदस्यों में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होते हैं-
  - **एक अध्यक्ष** जो जाना माना प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और जिन्होंने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए असाधारण कार्य किया है; और
  - निम्नलिखित क्षेत्रों से **6 सदस्य (जिसमें से कम से कम दो महिलाएं होंगी)** जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, सक्षम, ईमानदार और इन क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त तथा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी-
    - शिक्षा;
    - बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण और बाल विकास;
    - किशोर न्याय या उपेक्षित या वंचित बच्चों की देखभाल या निःशक्त बच्चे;
    - बालश्रम या बच्चों में तनाव का उन्मूलन;
    - बाल मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान, और
    - बच्चों से संबंधित कानून।

VISIONIAS

8.6. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

(National Commission for Safai Karmacharis : NCSK)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के कार्यकाल को अगले तीन वर्षों तक बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।

आयोग के संबंध में

- सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1993 के तहत 1994 में इसे एक **सांविधिक निकाय** के रूप में गठित किया गया था।
- 2004 में इस अधिनियम के समाप्त होने के बाद से, **आयोग अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर-सांविधिक निकाय** के रूप में कार्य कर रहा है, जिसका कार्यकाल सरकारी प्रस्तावों के माध्यम से समय-समय पर बढ़ाया जाता है।
- सफाई कर्मचारियों के लिए अवसरों, तथा उनकी स्थिति संबंधी असमानताओं के उन्मूलन हेतु की जाने वाली कार्रवाईयों और विशिष्ट कार्यक्रमों के संदर्भ में यह **केंद्र सरकार के लिए एक अनुशंसाकारी निकाय** के रूप में कार्य करता है।
- आयोग **मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के रूप में रोजगार का निषेध** के कार्यान्वयन की निगरानी भी कर रहा है।

VISION IAS

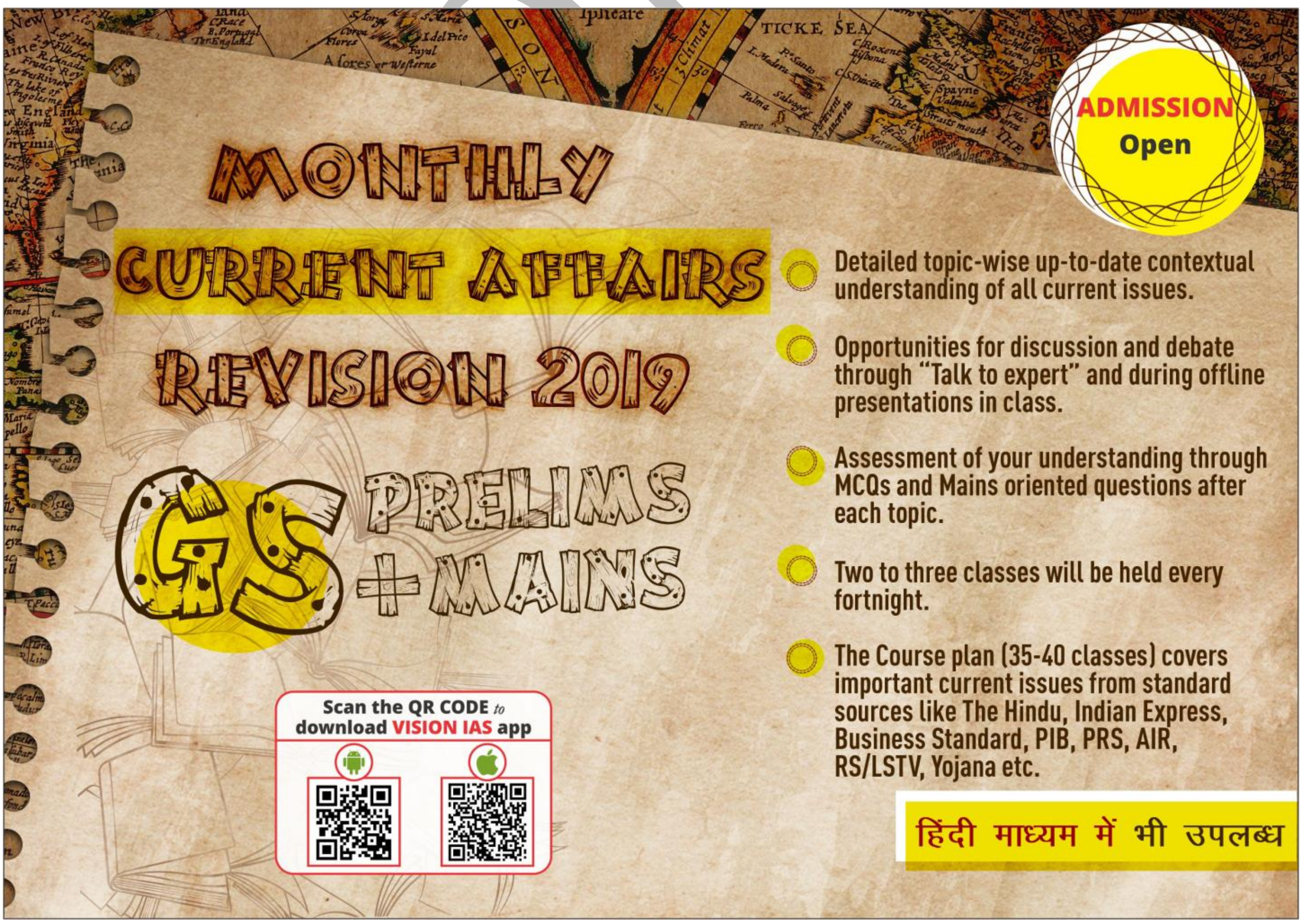

9. शासन के महत्वपूर्ण पहलू

(Important Aspects of Governance)

9.1. सुर्खियों में रहीं सूचना का अधिकार अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएं

(Important Sections of Right to Information Act in News)

धारा	विवरण
धारा 2(h)	• इसके अनुसार "लोक प्राधिकरी" से आशय ऐसे किसी भी प्राधिकारी या निकाय अथवा स्वायत्त संस्था से है जिसकी स्थापना या गठन- • संविधान द्वारा या उसके अधीन हो; • संसद द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि द्वारा; • राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि द्वारा; • समुचित सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा किया गया हो, इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं: ○ कोई निकाय जो केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन हो और उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधि से वित्तपोषित हो (RTI अधिनियम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध निधि से वित्तपोषण को परिभाषित नहीं करता है। परिणामतः, न्यायालयों को प्रायः यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि वित्तीय सहायता का कोई विशेष स्वरूप या मात्रा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधि का गठन करती है या नहीं)। ○ कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित हो।
धारा 4	• इसमें उल्लेख है कि, प्रत्येक सरकारी विभाग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट और वेबसाइटों के माध्यम से स्वेच्छा से सूचनाओं का प्रकटीकरण करना अनिवार्य है। • यह अधिदेशित है कि लोक प्राधिकरणों के लिए अपने सभी रिकॉर्डों को RTI अधिनियम के अनुरूप सूचीबद्ध और इंडेक्स के रूप में बनाए रखना अनिवार्य है।
धारा 8(1)	• इसमें कुछ सूचनाओं को RTI अधिनियम से **छूट** प्रदान की गई है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता, व्यापार रहस्य, विधि प्रवर्तन और न्यायिक प्रक्रिया आदि से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं।
धारा 8(2)	• इसमें प्रावधान किया गया है ऐसी सूचना जिन्हे उप-धारा (1) के तहत या ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के तहत छूट प्राप्त है, को प्रकट किया जा सकता है यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों की हानि से अधिक है।

9.2 केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964

[Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964]

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली,1964 [CCS (conduct) rules,1964] के कई प्रावधानों का प्रयोग प्रायः लोक सेवकों के विरुद्ध किया जाता है, जिससे उनके मौलिक अधिकार बाधित होते हैं।

VISION IAS

सिविल सेवक और मौलिक अधिकार

- अनुच्छेद 33 के तहत, सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के सम्बन्ध में मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाना संसद की शक्ति के अधीन है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार सभी 'नागरिकों' के लिए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से लोक सेवक भी शामिल हैं।
- **यद्यपि एक लोक सेवक को नागरिकों के रूप में मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, परन्तु अनुच्छेद 309 के उपबंध के तहत राज्य को उनकी 'सेवा की शर्तों को विनियमित करने की शक्ति' भी प्राप्त है।**

नियमावली से संबंधित पृष्ठभूमि

- **यह नियमावली 'क्या करें तथा क्या न करें' संबंधी नियमों के एक समूह की व्यवस्था करती है:** ये नियम सिविल सेवकों से पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखने, कर्तव्यपरायणता तथा राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने की मांग करती है जो किसी भी लोक सेवक हेतु अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। परन्तु कुछ प्रतिबन्धों एवं उनके मौलिक अधिकारों के मध्य टकराव उत्पन्न हो सकता हैं। उदाहरणार्थ -
    - लोक सेवकों के किसी समाचार-पत्र या पत्रिका के संपादन या प्रबंधन में भाग लेने पर प्रतिबन्ध।
    - स्टॉक ब्रोकर्स के माध्यम से किए गए यदा-कदा निवेशों को छोड़कर स्टॉक, शेयर या अन्य निवेशों में सट्टेबाजी पर निषेध।
    - लोक सेवकों के उपहार प्राप्त करने, सम्पत्ति खरीदने व बेचने, वाणिज्यिक निवेश करने, कंपनियों को प्रोत्साहन देने तथा सेवानिवृति के पश्चात् व्यावसायिक नियोजन प्राप्त करने पर प्रतिबंध।
- **CCS (आचरण) नियमावली, 1964 का नियम 9:** नियम 9 किसी भी लोक सेवक को अपने नाम या गुमनाम या छद्म नाम से ऐसे किसी भी तथ्य या राय के विवरण को प्रकाशित करने पर रोक लगाता है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी वर्तमान या हालिया नीति या कार्रवाई पर प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव डालती हो।

9.3. दोषपूर्ण अभियोजन (न्याय का कुप्रबंधन)

Wrongful Prosecution (Miscarriage of Justice)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारतीय विधि आयोग (LCI) ने **"रॉंगफुल प्रॉसिक्यूशन (मिस्कैरिज ऑफ़ जस्टिस): लीगल रेमेडीज"** नामक शीर्षक से अपनी 277वीं रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की है।

सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा,1966

- यह न्याय के कुप्रबंधन से निपटने वाले प्रमुख दस्तावेजों में से एक है।
- यह अपने पक्षकारों को जीवन के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, वाक् स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, निर्वाचन संबंधी अधिकार तथा उचित प्रक्रिया तथा निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार सहित व्यक्तियों के सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों के सम्मान हेतु प्रतिबद्ध करता है।
- अगस्त 2017 तक अनुबंध के 172 पक्षकार थे। इसके अतिरिक्त 6 अन्य हस्ताक्षरकर्ता भी हैं जिन्होंने अभी तक इसकी अभिपुष्टि नहीं की है।
- यह **आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR)** तथा **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights: UDHR)** के साथ-साथ **इंटरनेशनल बिल ऑफ़ ह्यूमन राइट्स** का भाग है।

पृष्ठभूमि

- **भारत विश्व के उन प्रमुख देशों में से एक है जहाँ अधिकतम अंडर ट्रायल** (विचाराधीन कैदी) **जनसंख्या है:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की प्रिज़न स्टेटिस्टिक्स इंडिया (PSI) रिपोर्ट 2015 के अनुसार सम्पूर्ण देश में 4.19 लाख से अधिक कैदी थे जिनमें से 67.2% विचाराधीन थे (अर्थात् जो न्यायिक हिरासत में हैं तथा जिनकी जांच या ट्रायल लम्बित है)।

मौजूदा प्रावधान निम्नलिखित उपचार प्रदान कराते है

VISION IAS

वर्तमान में न्याय के कुप्रबंधन से पीड़ित किसी व्यक्ति को न्यायालय आधारित उपायों की तीन श्रेणियां उपलब्ध हैं:

- **सार्वजनिक क़ानूनी उपाय**: इसे संविधान के **अनुच्छेद 21** (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) तथा **अनुच्छेद 22** (मनमानी गिरफ्तारी तथा अवैध निरोध के विरुद्ध संरक्षण) के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के दौरान व्यवहार में लाया जाता है। ज्ञातव्य है कि इन अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय क्रमशः **अनुच्छेद 32 और 226** के तहत रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हैं।
- **निजी क़ानूनी उपाय:** यह लोक सेवकों के अन्यायपूर्ण कृत्यों, विशेष रूप से किसी लोक सेवक द्वारा नियोजन के दौरान की गयी लापरवाही के कारण हुई मौद्रिक क्षति के लिए राज्य के विरुद्ध दीवानी मुकदमों के रूप में मौजूद है। सार्वजनिक और निजी कानूनी उपाय दोनों ही अपनी प्रकृति में पीड़ित के हित पर केंद्रित हैं।
- **आपराधिक कानूनी उपाय:** यह दोषकर्ता को उत्तरदायी ठहराता है अर्थात् राज्य के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उनके कदाचार के लिए आपराधिक कार्रवाही करने का अधिकार देता है।

9.4. गवाह संरक्षण योजना

(Witness Protection Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को गवाह संरक्षण योजना अपनाने हेतु निर्देश दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

अनुच्छेद, 141 - उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी।

अनुच्छेद, 142 - इसके तहत उच्चतम न्यायालय **पूर्ण न्याय** (उन मामलों में जिनमें कुछ स्पष्ट अवैधता दिखती है, अनुपयुक्त न्यायाधिकार का प्रयोग अथवा स्पष्ट रूप से अन्याय हुआ है) सुनिश्चित करने हेतु यथोचित राहत प्रदान कर सकता है। उपचारात्मक याचिका (Curative petition) की उत्पत्ति इसी अनुच्छेद में अंतर्निहित है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- उच्चतम न्यायालय ने इस योजना को संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा इस विषय से सम्बंधित विधि का प्रवर्तन किए जाने तक **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141/142 के अंतर्गत विधिक वैधता** प्रदान की है।
- **यद्यपि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अधिनियम के तहत** गवाह संरक्षण का प्रावधान पहले से ही है, तथापि इस योजना के तहत अन्य सभी मामलों में भी खतरे के स्तर के अनुसार गवाहों हेतु संरक्षण का विस्तार किया गया है। गवाह संरक्षण विधेयक अभी भी लंबित है।
- **ज़ाहिरा शेख बनाम गुजरात राज्य वाद में** उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई हेतु गवाह संरक्षण आवश्यक है।

गवाह संरक्षण योजना के संबंध में

- इस योजना का उद्देश्य किसी गवाह को निडरतापूर्वक और सत्यता के साथ गवाही देने में सक्षम बनाना है। इसके तहत, गवाह के संरक्षण हेतु जहां तक संभव हो गवाह को न्यायालय कक्ष तक पुलिस एस्कॉर्ट प्रदान करने या संगठित आपराधिक समूह से सम्बंधित अधिक जटिल मामलों में, एक सुरक्षित घर में अस्थायी निवास प्रदान करने, एक नई पहचान देने, और किसी अज्ञात जगह पर स्थानांतरण करने जैसे असाधारण उपाय हो सकते हैं।
- इसमें निम्न से संबंधित प्रावधान हैं-
  - गवाह संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया,
  - तकनीक का प्रयोग, जैसे- मुक़दमे के दौरान कैमरे का प्रयोग
  - गवाह संरक्षण निधि आदि।

VISION IAS

10. विविध

(Miscellaneous)

10.1. युवा सहकार-उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना

(Yuva Sahakar-Cooperative Enterprise Support And Innovation Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की** एक नई योजना **"युवा सहकार-उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना"** का शुभारंभ किया है।

भारत में सहकारी समितियां (Cooperatives in India):

2011 के **97 वें संविधान संशोधन अधिनियम** ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया। इसने संविधान में निम्नलिखित तीन परिवर्तन किए:

- इसने **सहकारी समितियों के गठन संबंधी अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया (अनुच्छेद 19(1)(c))**।
- इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने हेतु **राज्य की नीति के एक नए निदेशक सिद्धांत, (अनुच्छेद 43-B)** को सम्मिलित किया।
- इसने संविधान में एक **नये भाग IX-B "सहकारी समितियाँ"** (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) को सम्मिलित किया, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित हैं:
  - स्वैच्छिक गठन, सदस्यों के लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी तथा स्वायत्त कार्यप्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के संस्थापन, विनियमन और समापन हेतु प्रावधान कर सकती है।
  - राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित संख्या के अनुसार बोर्ड में निदेशक सम्मिलित होंगे। लेकिन किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी।
  - राज्य विधानमंडल प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में महिलाओं एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों का आरक्षण **(अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए दो सीटें)** का प्रावधान करेगी।

युवा सहकार के बारे में

- **उद्देश्य:** NCDC द्वारा युवाओं की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु इस युवा-अनुकूल योजना को तैयार किया गया है इसके माध्यम से युवाओं को सहकारी व्यापार उद्यमों (cooperative business ventures) की ओर आकर्षित किया जा सकेगा। यह सहकारी समितियों को नये एवं नवाचारी क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- **CSIF फण्ड:** यह योजना NCDC द्वारा सृजित 1000 करोड़ रुपये की "सहकारिता स्टार्ट अप एवं नवाचार निधि' (CISF) से सम्बद्ध होगी। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों एवं महत्वाकांक्षी जिलों के उद्यमों तथा महिला / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अथवा दिव्यांग सदस्यों वाले सहकारी उद्यमों हेतु विशिष्ट प्रोत्साहन शामिल किए गए हैं।
- **योग्यता:** योजना का लाभ लेने हेतु कम से कम एक वर्ष से संचालित तथा सकारात्मक निवल संपत्ति (net-worth) वाली सभी प्रकार की सहकारी समितियां पात्र होंगी।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के बारे में

- NCDC **सहकारी क्षेत्र हेतु समर्पित** शीर्ष वित्तीय तथा विकासात्मक संस्थान के रूप में कार्यरत एकमात्र **सांविधिक संगठन (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** के अधीन) है।
- यह कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, पशुधन, मत्स्य पालन, कपास की ओटाई एवं कताई (cotton ginning and spinning), चीनी उद्योग तथा अधिसूचित सेवाओं जैसे हॉस्पिटैलिटी, परिवहन, ग्रामीण आवास, अस्पताल / स्वास्थ्य सेवा इत्यादि से जुड़े कार्यक्रमों को दृढ़ता एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है।

VISION IAS

10.2 इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज

(India Urban Data Exchange: IUDX)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने **स्मार्ट सिटीज मिशन** के लिए **इंडियन अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX)** के विकास की शुरुआत की है।

इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज एक **मंच** है जिसका प्रयोजन असंबद्ध शहरी डेटा मंचों को परस्पर-संबद्ध करके तथा सह-सृजन और नवाचार को सक्षम बनाकर **स्मार्ट सिटीज़ के विभिन्न हितधारकों के मध्य** डेटा के सरल एवं कुशल विनिमय को सुविधाजनक बनाना है।

- **स्मार्ट सिटी मिशन** का लक्ष्य देशभर में तकनीकी समाधानों का प्रयोग करते हुए 100 नागरिक-अनुकूल और संधारणीय शहरों का विकास करना है।
- इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी पर 16,000 करोड़ से अधिक रुपयों (कुल 2.04 लाख करोड़ का 8%) का व्यय किया जाएगा।
- इसका एक प्रमुख लक्ष्य अपशिष्ट प्रवाह, यातायात व्यवस्था एवं निगरानी तंत्रों जैसे नगरपालिका परिचालनों का डिजिटलीकरण करने के पश्चात सभी डेटा को एक **एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC)** में प्रेषित करना है।
- IUDX की स्थापना और विस्तार हेतु केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, स्मार्ट सिटी अधिकारियों, अनुसंधानकर्ताओं और औद्योगिक अभिकर्ताओं के साथ एक गैर-लाभकारी स्टार्ट-अप कंपनी **ओपन स्मार्ट सिटीज ऑफ़ इंडिया (OSCI)** भी प्रस्तावित है।

एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC)

- यह एक केंद्र है जहाँ एक सिटी ऑपरेशन सेंटर एप्लिकेशन के माध्यम से सम्पूर्ण शहर की सूचना को एकत्रित किया जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है एवं उसका विश्लेषण किया जाता है।
- यह प्रणाली सेंसर्स के माध्यम से स्ट्रीट लाइट्स, पार्किंग लाइट्स, पार्किंग, यातायात (उल्लंघन और भीड़भाड़ नियंत्रण सहित), अपशिष्ट प्रबंधन, जलापूर्ति आदि को नियंत्रित कर सकेगी।
- जून 2018 तक, ICCC का संचालन भारत के 10 स्मार्ट शहरों में किया जा चुका था, जिनमें नवीनतम शहर नया रायपुर है।

10.3. सिटी डेटा इनिशिएटिव

(City Data Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विजयवाड़ा** 'सिटी डेटा फॉर इंडिया इनिशिएटिव' में शामिल हो गया है।

सिटी डेटा फॉर इंडिया इनिशिएटिव के बारे में:

- **टाटा ट्रस्ट्स** और **वर्ल्ड कौंसिल ऑन सिटी डेटा (WCCD)** ने इस पहल हेतु एक प्रमुख भागीदारी की स्थापना की है।
- इसका उद्देश्य **WCCD ISO 37120 सिटी डेटा प्रमाणन** प्राप्त करने हेतु "भागीदार शहरों" की सहायता करना है।
- इसे वर्ष 2016 में तीन शहरों नामतः **पुणे, सूरत और जमशेदपुर** के साथ लॉन्च किया गया था। ज्ञातव्य है कि ये तीनों शहर WCCD ISO 37120 सिटी डेटा प्रमाणन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर हैं।
- यह पहल लाखों भारतीय शहरी नागरिकों हेतु अवसंरचनात्मक सेवाओं, समावेशी विकास और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में योगदान करती है।

WCCD प्रमाणन के बारे में:

- यह प्रमाणन **वैश्विक रूप से तुलनीय सिटी डेटा हेतु प्रकाशित प्रथम अंतरराष्ट्रीय मानक** है। यह प्रमाणन अन्य शहरों की तुलना में एक शहर के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रदर्शनों के मापन हेतु संकेतकों का एक व्यापक समुच्चय प्रदान करता है।

VISION IAS

- इसमें अर्थव्यवस्था, शिक्षा और पर्यावरण से लेकर स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा अग्नि एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसे **17 विषयों से संबंधित 100 संकेतकों** का उपयोग किया गया है।
- **WCCD प्रमाणन स्तर (एस्पिरेशनल, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम)** शहर द्वारा इस संकेतकों पर उनके प्रदर्शन पर आधारित है।
- शहरों द्वारा एक बार ISO 37120 प्रमाणन प्राप्त होने के उपरांत उन्हें **WCCD के ग्लोबल सिटीज रजिस्ट्री** में शामिल कर लिया जाता है।
- तत्पश्चात उस शहर से संबद्ध डेटा WCCD के ओपन सिटी डेटा पोर्टल पर उपलब्ध हो जाता है तथा इसे नागरिक निकायों, राज्य और केन्द्रीय प्राधिकरणों, अंतरराष्ट्रीय निकाय और लोगों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।

वर्ल्ड कौंसिल ऑन सिटी डेटा (WCCD)

- यह **मानकीकृत सिटी डेटा से संबंधित एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता** है जो स्मार्ट, सतत, सुनम्य और समृद्ध शहरों का निर्माण करता है।
- WCCD ओपन सिटी डेटा के माध्यम से सेवाओं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु प्रतिबद्ध **नवाचारी शहरों के एक नेटवर्क** को होस्ट करता है तथा **मानकीकृत अर्बन मेट्रिक्स** हेतु एक सुसंगत और व्यापक मंच प्रदान करता है।
- WCCD, नवाचार को प्रोत्साहित करने, वैकल्पिक भविष्य की परिकल्पना करने और बेहतर एवं अधिक निवास योग्य शहरों के निर्माण हेतु शहरों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, कॉर्पोरेट भागीदारों और शैक्षणिक समुदाय के मध्य **रचनात्मक अधिगम भागीदारी हेतु एक वैश्विक केंद्र है।**

10.4.मिशन सत्यनिष्ठा

(Mission Satyanishtha)

- हाल ही में **रेल मंत्रालय** द्वारा मिशन सत्यनिष्ठा का आरंभ किया गया।
- इस मिशन का उद्देश्य सभी रेलवे कर्मचारियों को नैतिकता का पालन करने और कार्य के दौरान सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता के संदर्भ में **संवेदनशील बनाना है।**

10.5. सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग

(Centre for Research and Planning)

- हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के इन-हाउस (आंतरिक) थिंक-टैंक, **सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग** का अनावरण किया गया।
- इसका प्रमुख अधिदेश **मौलिक न्यायशास्त्र (fundamental jurisprudence) एवं कानून के सिद्धांतों में अत्याधुनिक अनुसंधान करना होगा।**

10.6. केप टाउन कन्वेंशन बिल, 2018 का प्रारूप

(Draft Cape Town Convention Bill, 2018)

- हाल ही में **नागर विमानन मंत्रालय** ने **केप टाउन कन्वेंशन** (कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट) और प्रोटोकॉल (प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन मैटर्स स्पेसिफिक टू एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट) को भारत में लागू करने हेतु प्रारूप विधेयक जारी किया है।
- केप टाउन कन्वेंशन को वर्ष 2001 में **इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन** (ICAO) तथा **इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ़ प्राइवेट लॉ (UNIDROIT)** के संयुक्त तत्वाधान में अपनाया गया था।
- यह कन्वेंशन सामान्य प्रकृति का है तथा तीन क्षेत्रकों, यथा- विमानन, रेलवे एवं अंतरिक्ष उपकरणों पर लागू होता है।
- **भारत** जुलाई 2018 में इस कन्वेंशन का एक पक्षकार बना। वर्ष 2016 तक इस कन्वेंशन के 65 पक्षकार थे।

इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसे 1944 में राष्ट्रों द्वारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन कन्वेंशन (शिकागो कन्वेंशन) के प्रशासन और शासन के प्रबंधन हेतु स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य इंटरनेशनल सिविल एविएशन स्टैण्डर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेज (SARPs) और सुरक्षित, दक्ष, संरक्षित, आर्थिक रूप से संधारणीय और पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी नागरिक उड्डयन क्षेत्र के पक्ष में नीतियों पर आम सहमति बनाना है।

यूनिफिकेशन ऑफ़ प्राइवेट लॉ (UNIDROIT) के संबंध में

- यह राष्ट्रों एवं राष्ट्रों के समूहों के मध्य निजी और विशेष रूप से वाणिज्यिक कानूनों के आधुनिकीकरण, सामंजस्य और समन्वय हेतु आवश्यकताओं एवं तरीकों का अध्ययन करने तथा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एकसमान कानूनी उपायों, सिद्धांतों और नियमों को तैयार करने के लिए एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी संगठन है।

10.7. पत्थलगड़ी आंदोलन

(Pathalgadi Movement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, झारखण्ड के अनेक आदिवासी गांवों द्वारा अपनी **ग्राम सभा को एकमात्र संप्रभु प्राधिकरण** घोषित करके तथा **अपने क्षेत्रों में 'बाहरी लोगों (outsiders)' को प्रतिबंधित करते हुए** विशाल पट्टिकाएं (पत्थलगड़ी) स्थापित की गयी हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- पत्थलगड़ी आन्दोलनकर्ताओं द्वारा **संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा की गयी है,** परन्तु उनके द्वारा **अपनी ग्राम सभा से पृथक किसी अन्य प्राधिकरण को अस्वीकार कर दिया गया है।**
- पत्थलगड़ी आन्दोलनकर्ता झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में विस्तारित हैं। .

10.8 संयुक्त राष्ट्र वैश्विक मीडिया कॉम्पैक्ट

(UN Global Media Compact)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, भारत के **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** सहित विश्व भर के तीस से अधिक संगठन वैश्विक मीडिया कॉम्पैक्ट के निर्माण हेतु एकजुट हुए।

कॉम्पैक्ट से संबंधित अन्य तथ्य:

- यह यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन के सहयोग से आरंभ की गई संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है।
- इसका लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किये जाने वाले सतत विकास लक्ष्यों (SDGS) के संबंध में जागरुकता बढ़ाना है।
- इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के साथ विषय वस्तु को साझा करने (कंटेंट शेयरिंग) और लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने संसाधनों और रचनात्मक प्रतिभा का लाभ उठाने हेतु विश्व भर के संगठनों को प्रेरित करना है।

10.9. "बियॉन्ड फेक न्यूज़" परियोजना

('Beyond Fake News' Project)

सुर्खियों में क्यों?

भारत में गलत सूचना किन तरीकों से और क्यों फैलाई जाती है, इस सन्दर्भ में ब्रिटेन (UK) स्थित प्रसारण चैनल BBC द्वारा "बियॉन्ड फेक न्यूज़" परियोजना लॉन्च की गई है।

अन्य सम्बन्धित तथ्य

- **इस परियोजना का उद्देश्य वैश्विक मीडिया साक्षरता पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए गलत सूचनाओं और फेक न्यूज़ से निपटना है।**
- **फेक न्यूज़ से निपटने के लिए भारत में कोई विशिष्ट कानून नहीं** है।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल भारत के संविधान के **अनुच्छेद 19 (2)** में निर्धारित **सीमित परिस्थितियों** के अनुसार ही अंकुश लगाया जा सकता है और **झूठ या मिथ्या होना उन 'युक्तियुक्त निर्बंधनों' में से एक नहीं** है।

VISION IAS

फेक न्यूज से निपटने में संलग्न निकाय

- **प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (Press Council of India):** प्रेस काउंसिल एक्ट, 1978 के अनुसार यह गलत सूचना प्रसारित करने के दोषी पाए गए समाचार पत्र, न्यूज़ एजेंसी, संपादक या पत्रकार को चेतावनी या सलाह दे सकती है अथवा उसकी निंदा कर सकती है।
- **ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल (Broadcasting Content Complaint Council: BCCC)**: यदि कोई प्रसारणकर्ता सांप्रदायिक घृणा उत्पन्न करता है, महिलाओं या बच्चों के विरुद्ध हिंसा को प्रोत्साहित करता है, हिंसा से जुड़े वीभत्स दृश्यों वाली सामग्री को प्रसारित करता है, अंधविश्वास या दवाओं एवं अन्य निषिद्ध पदार्थों के उपभोग को बढ़ावा देता है तो उसके विरुद्ध BCCC में आपत्तिजनक टीवी कंटेंट या फेक न्यूज़ से संबंधित एक शिकायत दर्ज़ करायी जा सकती है।
- **इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन (Indian Broadcast Foundation: IBF)**: यह 24x7 चैनलों (हर समय प्रसारण करने वाले चैनलों) द्वारा प्रसारित सामग्री के विरुद्ध शिकायतों को देखता है।
- **न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (News Broadcasters Association: NBA):** यह प्राइवेट टेलीविजन समाचार चैनलों और सामयिक घटनाक्रम के प्रसारणकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी प्रकृति स्व-नियामक की है और यह समाचार प्रसारणकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज की गयी शिकायत की निष्पक्ष जांच करता है।

10.10. वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट

(World Government Summit)

- हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट (विश्व सरकार शिखर सम्मेलन) का आयोजन किया गया था।
- यह एक वैश्विक मंच है जो विश्वव्यापी सरकारों के भविष्य को आकार प्रदान करने हेतु समर्पित है।
- यह सम्मेलन प्रत्येक वर्ष, सरकारों की अगली पीढ़ी हेतु एजेंडे का निर्धारण करता है। यह इस विषय पर ध्यान केन्द्रित करता है कि सरकारें किस प्रकार मानवता द्वार सामना की जाने वाली सार्वभौमिक चुनौतियों को हल करने हेतु नवाचार और प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकती हैं।

10.11. सुर्ख़ियों में रही ई-शासन संबंधी पहलें

(E-governance initiatives in news)

ई-शासन संबंधी ई-पहलें	विशेषताएं
राष्ट्रीय ई-विधान आवेदन (National e-Vidhan Application)	• यह **संसदीय कार्य मंत्रालय** की एक पहल है। • इसका उद्देश्य सदनों की कार्यवाहियों को डिजिटल बनाते हुए देश के सभी विधानमंडलों को पेपरलेस (कागजरहित) बनाना है।
ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली (Online Assurances Monitoring System: OAMS)	• इसे **संसदीय कार्य मंत्रालय** द्वारा विकसित किया गया है। • प्रश्नों का उत्तर देने अथवा बहस के दौरान मंत्रियों द्वारा सदन के पटल पर वायदों, वचनों या अभिव्यक्ति के किसी अन्य रूप में विभिन्न आश्वासन दिए जाते हैं। • कुछ आश्वासन सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों या प्रश्नों की पूर्ति हेतु उसी समय सूचना की अनुपलब्धता के कारण दिए जाते हैं। • लोकसभा व राज्यसभा को दिए गए आश्वासन को **आश्वासन की तिथि से तीन माह की अवधि** के अंतर्गत पूर्ण किए जाने की आवश्यकता होती है। इसमें किसी प्रकार के विस्तार को लोकसभा / राज्यसभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। • **संसदीय कार्य मंत्रालय** सरकार के अंतर्गत एक **समन्वयकारी अभिकरण** है, जो संसद के

VISION IAS

	साथ सरकार के परस्पर सम्पर्क का समन्वय करती है। • संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए **आश्वासनों का कार्यान्वयन** करना भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम,1961 के अंतर्गत मंत्रालय को समनुदेशित विशिष्ट कार्यों में से एक है। • OAMS के औपचारिक शुभारंभ के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा ई-कार्यालय के माध्यम से चयनित सभी आश्वासन इस प्रणाली पर प्रकट हो जाएंगे तथा विभिन्न मंत्रालय/विभाग, लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय इस प्रणाली के माध्यम से सभी उद्देश्यों हेतु संचार स्थापित करेंगे।
सी-विजिल (cVigil)	• यह **भारत निर्वाचन आयोग द्वारा** लांच की गई एंड्रॉयड आधारित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। • यह नागरिकों को निर्वाचनों हेतु आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के दौरान राजनीतिक दलों, उनके प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कदाचार के साक्ष्यों को साझा करने में सक्षम बनाती है। • सतर्क नागरिक को आदर्श संहिता के उल्लंघन की स्थिति के दौरान दो मिनट की अवधि तक का एक चित्र या वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। तत्पश्चात फोटो या वीडियो को ऐप पर अपलोड करना होता है।
एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (Integrated Government Online Training Programme: iGOT)	• इसे **कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा** आरंभ किया गया है। • यह **ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारियों की आवश्यकताओं को लक्षित करेगा** तथा प्रशिक्षण संबंधी इनपुट कार्यस्थल पर और सुविधानुसार समय (फ्लेक्सीटाइम) पर उपलब्ध होंगे। • यह विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु प्रशिक्षण संसाधनों के **कोष तक पहुंचने के लिए एक एकल बिंदु** के रूप में कार्य करेगा।
पैसा (PAiSA) - पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सब्वेन्शन एक्सेस	• यह **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** द्वारा लॉन्च किया गया एक वेब पोर्टल है। • इसे इलाहाबाद बैंक द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है तथा इसमें सभी राज्य, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के शामिल होने की अपेक्षा की गई है। • यह **दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)** के तहत लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान की प्रोसेसिंग करने हेतु **एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के रूप में कार्य** करता है। • यह सेवाओं के वितरण में व्यापक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने हेतु सरकार को सीधे लाभार्थियों से जोड़ेगा।
आपूर्ति ऐप (Aapoorti app)	• यह भारतीय रेलवे की ई-खरीद प्रणाली अर्थात् IREPS के तहत भारतीय रेलवे की आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क के डिजिटलीकरण का एक भाग है। • यह भारतीय रेलवे की ई-निविदा और ई-नीलामी गतिविधियों के संबंध में डेटा एवं सूचना प्रदान करेगा। • यह भारतीय रेलवे में व्यवसाय करने की सुगमता, पारदर्शिता और दक्षता स्थापित करने में सहायता करेगा।

VISION IAS

आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (Emergency Response Support System: ERSS)	• हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने ERSS योजना का शुभारंभ किया। • हिमाचल प्रदेश ERSS के तहत **अखिल भारतीय एकल आपातकालीन नंबर '112'** लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य है। यह राज्य में एक आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र के माध्यम से पुलिस, अग्नि, स्वास्थ्य और अन्य हेल्पलाइन्स से संपर्क स्थापित करेगी। • केंद्र सरकार ने संपूर्ण देश में ERSS परियोजना के कार्यान्वयन हेतु **निर्भया फंड** के तहत 321.69 करोड़ रूपये आवंटित किए हैं। • **विशेषतया महिलाओं** की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए '112 इंडिया' मोबाइल ऐप में एक विशेष **'शाउट' (SHOUT)** फीचर प्रदान किया गया है।
टेली-लॉ इनिशिएटिव और न्याय बंधु	• टेली-लॉ ऐप का उद्देश्य **सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs)** के माध्यम से विधिक सहायता प्रदान करना है। • यह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के **पैरा लीगल वालंटियर्स** को **CSC में ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLE) के साथ समन्वय में** पैनल अधिवक्ता से अधिमान्य तिथि और समय पर अपॉइंटमेंट प्राप्त करने की सुविधा के साथ केस के ऑन फील्ड पूर्व-पंजीकरण को सक्षम बनाएगा। • **न्याय बंधु** ऐप का उद्देश्य देश में **प्रो बोनो** (बिना शुल्क के विधिक सेवाएं प्रदान करने की) संस्कृति को सुदृढ़ करना है। ○ यह पंजीकृत पात्र लाभार्थियों को प्रो बोनो के रूप में अपना समय देकर निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक **अभ्यासरत अधिवक्ताओं के साथ जोड़ने** हेतु एक मंच भी उपलब्ध करवाता है। • ये दोनों पहलें **अनुच्छेद 39A** के तहत संवैधानिक प्रतिबद्धता के अनुसरण में आरंभ की गई हैं।

10.12. रिपोर्ट्स और सूचकांक

(Reports and Indexes)

सूचकांक और रिपोर्ट	विवरण

करप्शन परसेप्शन इंडेक्स	• इसे **ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल** द्वारा प्रकाशित किया गया है।
	• इस सूचकांक में भारत ने अपनी स्थिति में सुधार किया है तथा वर्ष 2017 के 81वें स्थान की तुलना में **वर्ष 2018 में 78वां स्थान** प्राप्त किया है।
	• यह सूचकांक ने देशों को सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर 0 से 100 के स्कोर के आधार पर रैंक प्रदान की है। जहां शून्य "अत्यधिक भ्रष्ट" तथा 100 "अत्यधिक ईमानदार" स्थिति की ओर संकेत करते हैं।
	• ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल **बर्लिन में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है।**
	  ○ यह ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर का भी प्रकाशन करता है।
	  ○ हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के सहयोग से 'लोकल सर्कल्स' ने इंडिया करप्शन सर्वे, 2018 जारी किया है।

VISION IAS

द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2018	• हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर (PAC) द्वारा जारी किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ शासित राज्यों की सूची में केरल ने लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ○ **बिहार** को राज्यों में अंतिम स्थान (30 वां) प्राप्त हुआ है। • यह सूचकांक बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर (PAC) नामक गैर-लाभकारी थिंक टैंक द्वारा वार्षिक रूप से जारी किया जाता है।

यूनाइटेड नेशंस ई-गवर्नमेंट सर्वे, 2018	• यह सर्वेक्षण संयुक्त राष्ट्र द्वारा **प्रत्येक दो वर्षों** में जारी किया जाता है। वर्ष 2018 की थीम **'गियरिंग ई-गवर्नमेंट टू सपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड सस्टेनेबल एंड रिसिलिएंट सोसाइटीज'** है।
	• यह इस तथ्य का मापन करता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सार्वजनिक क्षेत्र और लोगों की दिनचर्या को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं।
	• यह सर्वेक्षण **ई-गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स (EGDI)** को भी शामिल करता है जो राष्ट्रीय स्तर पर ई-गवर्नेंस में हुई प्रगतियों का आकलन करता है। यह तीन सूचकांकों पर आधारित एक संयुक्त सूचकांक है:
	  ○ एक तिहाई डेटा अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित **टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स (TII)** से प्राप्त होता है
	  ○ एक-तिहाई डेटा यूनेस्को (UNESCO) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित **मानव पूँजी सूचकांक (HCI)** से प्राप्त होता है।
	  ○ एक-तिहाई डेटा एक स्वतंत्र सर्वेक्षण प्रश्नावली से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित **ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स (OSI)** से प्राप्त होता है।
	• **ई-पार्टिसिपेशन इंडेक्स (EPI)** यू एन ई-गवर्नमेंट सर्वे के एक अनुपूरक सूचकांक के रूप में व्युत्पन्न हुआ है, जो ई-सूचना साझाकरण; नीतियों एवं सेवाओं के संबंध में ई-परामर्श तथा निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी पर केन्द्रित है।
	• ई-गवर्नमेंट इंडेक्स में **डेनमार्क** को एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता का दर्जा प्रदान किया गया है जबकि **भारत को 96वां स्थान** प्रदान किया गया है। ई-पार्टिसिपेशन इंडेक्स में भारत को 15वां स्थान प्रदान किया गया है तथा यह एक उप-क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है।

द ग्लोबल स्टेट ऑफ़ डेमोक्रेसी इंडेक्स	• इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (IDEA) ने "द ग्लोबल स्टेट ऑफ़ डेमोक्रेसी इंडेक्स" (GSoD) शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। • इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (International IDEA) एक अंतर-सरकारी संगठन है जो संपूर्ण विश्व में सतत लोकतंत्र संस्थाओं और प्रक्रियाओं का समर्थन करता है • इंटरनेशनल IDEA **संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी पर्यवेक्षक है।**
डेमोक्रेसी इंडेक्स	• हाल ही में द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को 41वीं रैंक प्रदान की गई तथा उसे 'दोषपूर्ण लोकतंत्र' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। • यह सूचकांक लंदन स्थित समाचार पत्र द इकोनॉमिस्ट द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। • इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इन्क्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जारी किया है। ○ **इन्क्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, 2019** में भारत को 47वीं रैंक प्रदान की गई।

VISION IAS

वैराइटीज ऑफ़ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, 2018	• यह वैराइटीज ऑफ़ डेमोक्रेसी (V-Dem) संस्था द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट लोकतंत्र का अत्यंत व्यापक वैश्विक परीक्षण प्रदान करती है। • भारत को **"बैकस्लाइडर (अपेक्षित प्राप्त न करने वाला देश)"** के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि विगत दस वर्षों में भारत में लोकतंत्र की गुणवत्ता में ह्रास तथा वर्ष 2014 से तीव्रतम ह्रास दर्ज किया गया है। • **वर्गीकरण हेतु विभिन्न श्रेणियां** o **उदार लोकतंत्र:** जहां प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और कानून तक पहुंच का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय वितरण हेतु बेहतर संस्थागत प्रणाली, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, सहभागितापूर्ण निर्वाचन आदि अधिकार प्राप्त हैं। o **निर्वाचक लोकतंत्र:** यहां नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु मानवाधिकारों, अभिव्यक्ति और संघ निर्माण की स्वतंत्रता इत्यादि के संबंध में महिलाओं और निर्धनों जैसे कुछ वर्गों को अपवर्जन तथा निम्न मानदंडों का सामना करना पड़ता है। **इस प्रकार भारत एक निर्वाचक लोकतंत्र की श्रेणी में आता है।** o **निर्वाचन निरंकुशतंत्र:** जहां नागरिकों को मताधिकार तो प्राप्त है पर उससे अधिक कुछ खास अधिकार नहीं हैं। ऐसे देशों में दमन, सेंसरशिप और संस्थागत भय का माहौल होता है। o **अवरुद्ध निरंकुशतंत्र:** एक **अवरुद्ध निरंकुशतंत्र** अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व से पूर्णतः मुक्त होता है। शासन भय और धमकी के आधार पर संचालित होता है।
वर्ल्ड ट्रेंड्स इन फ्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट ग्लोबल रिपोर्ट, 2017/2018	• यह रिपोर्ट **यूनेस्को (UNESCO)** द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस (3 मई) के अवसर पर प्रकाशित की जाती है। • प्रेस की स्वतंत्रता का परीक्षण **इसके चार मुख्य आयामों के आधार पर किया जाता है यथा - (1) मीडिया की आजादी, (2) मीडिया बहुलवाद, (3) मीडिया की स्वतंत्रता और (4) पत्रकारों की सुरक्षा।**

10.13. पुरस्कार

(Awards)

पुरस्कार	विवरण
इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड, 2018	• **इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड** के तहत **तीन श्रेणियों** यथा - प्रोजेक्ट अवार्ड, इनोवेटिव आइडिया अवार्ड और सिटी अवार्ड में 9 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। • इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड का शुभारंभ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। इस पहल का उद्देश्य शहरों में सतत विकास को प्रोत्साहन प्रदान करते हुए शहरों, परियोजनाओं और नवोन्मेषी विचारों को सम्मानित करना है। • **पात्र प्रतिभागियों में केवल स्मार्ट सिटी शामिल थे,** जहां संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) / स्मार्ट सिटी स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPVs) को प्रस्ताव प्रस्तुत करना था। • **इनोवेटिव आइडिया अवार्ड** o 7 शहरी विषय वस्तुओं में आसाधारण नवोन्मेष को सम्मानित करना यथा-

	अभिशासन, पर्यावरण निर्माण, सामाजिक पहलू, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, शहरी पर्यावरण, परिवहन एवं गतिशीलता, जल व स्वच्छता जो शहरों के सफल रूपांतरण में सहयोग कर रहे हैं। ○ **वर्ष 2018 के इनोवेटिव आईडिया अवार्ड हेतु भोपाल और अहमदाबाद का चयन किया गया है।** • **प्रोजेक्ट अवार्ड** ○ पूर्ण हो चुकी (01 अप्रैल, 2018 तक) विशिष्ट परियोजनाओं हेतु प्रदान किया गया है। • **सिटी अवार्ड** ○ मूल्यांकन के लिए 'प्रोजेक्ट अवार्ड' और 'इनोवेटिव आइडिया अवार्ड' हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों तथा परियोजना कार्यान्वयन पर विचार किया गया। ○ **वर्ष 2018 में सिटी अवार्ड हेतु सूरत स्मार्ट सिटी का चयन किया गया।**
मैग्सेसे पुरस्कार	• दो भारतीय नागरिकों **भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक** को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। • वर्ष 1957 में स्थापित, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। • यह फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। • भरत वाटवानी ने अपने श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन के माध्यम से भारत की सड़कों से **मानसिक रोगियों के बचाव और उपचार के लिए** अपना जीवन समर्पित कर दिया है। • सोनम वांगचुक को **लद्दाख के युवाओं के जीवन अवसरों में सुधार करने** हेतु पहचान प्राप्त हुई है।
कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट (CAPAM) अवार्ड्स	• यह राष्ट्रमंडल के विभिन्न देशों में स्थित एक **गैर-लाभकारी संस्था CAPAM** द्वारा प्रदान किया जाता है। ○ कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), CAPAM का एक संस्थागत सदस्य है। • इनोवेशन इनक्यूबेशन श्रेणी में, पुरस्कार उन्नयन बांका (बिहार) को प्रदान किया गया है, जिसका उद्देश्य "सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा" उपलब्ध कराना है। • **'इनोवेशन इन पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट'** श्रेणी में **एकीकृत कृषि बाजारों (कर्नाटक)** को पुरस्कार प्रदान किया गया है।
ISSA श्रेष्ठ कार्यप्रणाली पुरस्कार, 2008 (ISSA Good Practice Award, 2018)	• हाल ही में **कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)** को "एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम" में 'ISSA श्रेष्ठ कार्यप्रणाली पुरस्कार, 2018' से सम्मानित किया गया है। • **अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन (ISSA)** सामाजिक सुरक्षा संस्थानों, सरकारी विभागों और अभिकरणों हेतु एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसे **अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन** के तत्त्वावधान में स्थापित किया गया है। **ESIC के बारे में** • यह **श्रम और रोजगार मंत्रालय** के अधीन वर्ष 1948 में स्थापित **एक सांविधिक, स्वायत्त निगम** है।

VISION IAS

	• **यह रोगग्रस्तता, मातृत्व अवकाश, नि:शक्तता और नियोजन के दौरान गंभीर चोट लगने के कारण मृत्यु की घटनाओं के संबंध में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को चिकित्सकीय और नकद लाभ प्रदान करता है।** • यह मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में लागू है। • कुछ राज्यों में 10 या अधिक लोगों को नियोजित करने वाले गैर-मौसमी कारखानों तथा 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों हेतु अनिवार्य। • दुकानों, होटल, रेस्तरां व प्रीव्यू थिएटर सहित सिनेमाघरों, सड़क-मोटर परिवहन उपक्रमों तथा समाचार पत्र और निजी चिकित्सा एवं शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में सामाजिक सुरक्षा कवरेज।

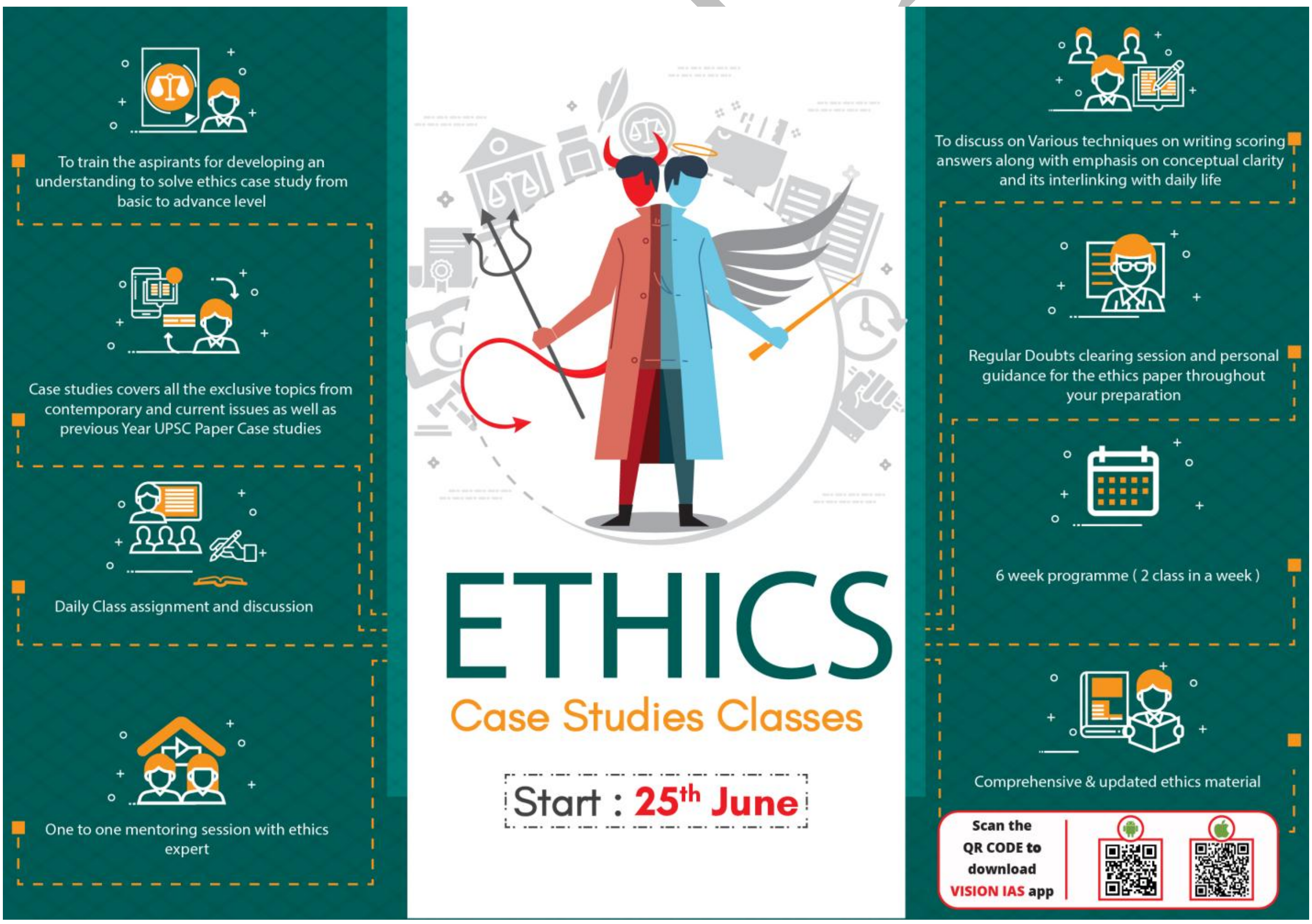

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS